


बौर सेवा मन्दिर दिल्ली

୩୫୯

क्रम संख्या

काल नं० ०४२२८४१

ੴ ਪ੍ਰਾਤਿ



नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ६०]

संक्त २०१२

[अंक २

संस्कृतसाहित्य के कुछ पारिभाषिक शब्द

[श्री रामशंकर भट्टाचार्य]

आज राष्ट्रभाषा के लिये पारिभाषिक शब्दों की रचना एक विचार्य विषय है। इस विषय में संस्कृत साहित्य के पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन आवश्यक तथा उपादेय होगा—ऐसा समझकर यह निबंध लिखा जा रहा है।

वस्तुतः किसी भी शास्त्र का प्रश्नान् पारिभाषिक शब्दों के बिना कदापि नहीं हो सकता।^१ यदि शास्त्र को लघु, संयत और सुजेय करना है तो शास्त्रकार को पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना ही होगा। इन पारिभाषिक शब्दों की महत्ता के विषय में हमारे पूर्वाचार्य सावधान थे और उन्होंने पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, प्रकार, निर्माणपद्धति आदि विषयों पर कुछ विचार भी यत्र तत्र किया है। इस निबंध में उन विचारों का संक्षिप्त संकलन किया जा रहा है।

१ - यद्यपि पारिभाषिक शब्दों के बिना शास्त्ररचना अशक्य है, तथापि यह प्रसिद्धि है कि वैयाकरण चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण में संशा शब्दों का व्यवहार स्वेच्छा से नहीं किया था। प्रसिद्धि है 'चन्द्र-पश्चम् असंशक्तम् व्याकरणम्' (चान्द्रव्याकरण संशा = पारिभाषिक शब्द से शून्य है)। परन्तु हम चान्द्र-व्याकरण की अंतरंग समीक्षा करते हैं तब देखते हैं कि चन्द्र को वाध्य होकर कहीं कहीं संशाशब्दों का प्रयोग करना पड़ा है (द० तिळन्त प्रकरण)। चान्द्रव्याकरण के असंशक्त का व्यापर्य इतना ही है कि पाणिनीय व्याकरण के समान 'चान्द्र' में कृत्रिम संशा शब्दों का बाहुल्य नहीं है।

लक्षण — पूर्वाचार्यों के अनुसार पारिभाषिक शब्द उसी को कहा जाता है, जो केवल शास्त्रव्यवहार्य हो तथा शास्त्रकार द्वारा संकेतित अर्थ का वाचक हो। पारिभाषिक शब्द के जितने भेद हैं, उन सबों में यह लक्षण सम्यक् रूप से चरितार्थ होता है। ‘शास्त्रे संकीर्त्यमानः शब्दः’ शास्त्रीय संशा का सामान्य लक्षण है। यह संशा उद्देश्य-विशेष के लिये बनाई जाती है। निष्प्रयोजन संज्ञा का निर्माण नहीं होता [संज्ञा या पारिभाषिक शब्द के विषय में पूर्वाचार्य कहते हैं—‘व्यवहारार्थं शास्त्रे कृतः संकेतः संज्ञा’] । वस्तुतः जो शब्द शास्त्रमात्रव्यवहार्य तथा शास्त्रकार-संकेतित अर्थ को ही कहे, वही ‘पारिभाषिक’ शब्द है।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी-कभी ‘संज्ञा’ (पारिभाषिक शब्द) ऐसी भी होती है जिसका व्यवहार संप्रदाय में तो है, अर्थात् शब्द व्यवहार में तो प्रयुक्त होता है पर शास्त्र के प्रथमों में उसका प्रयोग नहीं है। शास्त्रकार व्यवहार तो करता है, किंतु शास्त्र में लिखित नहीं है—ऐसा कथन सहसा विश्वास-योग्य नहीं होता, पर पाणिनि के ‘वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः’ (६ । ३ । ९) रूप से निष्पत्र संज्ञा में यह बात सुप्रमाणित होती है। यहाँ जिनेन्द्र बुद्धि ने कहा है—नैतै कच्छिद् व्याकरणे कृते, आभ्यामपि वैयाकरणा व्यवहरन्ति’ (न्यास) अर्थात् किसी व्याकरण में इन संज्ञाओं का विधान नहीं है, पर वैयाकरण इन संज्ञाओं का व्यवहार करते आए हैं। आचार्य कैयट ने इस समस्या का समाधान किया है कि शास्त्रों में यत्रि ‘आत्मनेपद-परस्मैपद’ रूप दो संज्ञा-शब्दों का व्यवहार है, पर वैयाकरण कभी कभी ‘पद’ के स्थान वर ‘भाष’ शब्द का उच्चारण करते हैं। यह समावान कुछ सदोष ज्ञात होता है और इसके अन्य युक्ततर उत्तर के लिये हम विद्वद्वर्ग से अनुरोध करते हैं।

इस प्रकार शास्त्र में व्यवहार्य पारिभाषिक शब्द ‘संज्ञा’ भी कहलाता है। संस्कृत-भाषा में संशा शब्द तीन पृथक्-पृथक् अर्थ में प्रचलित हैं, जिनका विवेचन करने के अनन्तर ही शास्त्रीय लक्षणों का अध्ययन समीचीन होगा। संज्ञा शब्द, ‘गो’, ‘घट’, ‘पट’—आदि जातिवाचक शब्दों के लिये भी व्यवहृत होता है। न्याय आदि दर्शनों में इस अर्थ में ‘संज्ञा’ शब्द का प्रचुर व्यवहार है।^२ निश्च में भी ‘गो’ आदि जातिवाचक शब्दों को ‘संज्ञा’ कहा गया है। व्यक्तिवाची शब्द (Proper noun) के लिये भी ‘संज्ञा’ शब्द का व्यवहार शास्त्र में (विशेष कर शब्दशास्त्र में) मिलता है, जैसे किसी विशेष मनुष्य की

२ - द० न्यायवाचिक तात्पर्यटीका, प० १२८, १३८ इत्यादि।

संज्ञा (नाम) देवदत्त है। यह 'संज्ञा' शब्द का द्वितीय व्यवहारार्थ है। इस निर्बंध में जिस 'संज्ञा' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह 'शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द' के अर्थ में है जिसका सामान्य लक्षण है—'व्यवहारार्थ शास्त्रे कृतः संकेतः संज्ञा'।^३

शास्त्रकार किसी विशिष्ट कार्य के लिये जिस शब्द का स्वेच्छा से अर्थ विशेष में संकेत करते हैं, वही 'संज्ञा' शब्द यहाँ हमारा विवेच्य है। यह 'संज्ञा' शब्द सर्वथा अश्रुत-पूर्व भी हो सकता है, या लोक में प्रचलित कोई शब्द भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसका अर्थ शास्त्रकार के निर्देशानुसार ही होगा, लोक में प्रचलित अर्थ नहीं लिया जायगा। जैसे लोक में एक शब्द है 'गुण'। शब्दशास्त्रकार पाणिनि ने इस लौकिक शब्द का पारिभाषिक संज्ञा की तरह व्यवहार किया है जो सर्वथा नवीन अर्थ है (१।१२ सूत्र द्रष्टव्य), जिससे लोक का कोई संबंध नहीं है। सामान्यतः 'गुण' शब्द का पाणिनीय व्याकरण में इसी अर्थ में प्रयोग होता है।

यह पहले ही जान लेना चाहिए कि संज्ञा शब्द, (पतञ्जलि की भाषा में अकृतिम संज्ञा) यदि लोक प्रचलित भी हो, तो भी उसका अर्थ अवश्यमेव लोक-विदित नहीं होगा, अर्थात् शास्त्रकार स्वयं अपने शास्त्र में उपदिष्ट किसी सूक्ष्म अर्थ के बाचक रूप में ही उस शब्द का प्रयोग करेगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब शास्त्रकार इस प्रकार लोक-प्रचलित शब्द का ग्रहण संज्ञार्थ करता है तब यह प्रायः देखा जाता है कि लौकिक अर्थ के साथ पारिभाषिक अर्थ का कुछ न कुछ सादृश्य रहता है। (जैसा हम आगे देखेंगे)। शास्त्रकार यदि नवीन संकेत किस रूप से करता है, इसका विचार भर्तृहरि ने किया है^४।

३ - 'देवदत्त' शब्द भी संज्ञा है, तथा शास्त्रव्यवहार्य संकेतिन अर्थ-बाचक शब्द भी संज्ञा है। दोनों में समानता यह है कि ये दोनों शब्द किसी व्यक्ति विशेष से निश्चित समय पर स्वाभीष्ट अर्थ में संकेतित होते हैं, ऐसे केवल इतना ही है कि 'देवदत्त' शब्द शास्त्र मात्रव्यवहार्य नहीं है। इस संकीर्णता को दूर करने के लिये बाद में शास्त्रव्यवहार्य शब्द के लिये 'पारिभाषिक' शब्द भी प्रचलित हुआ था। अभी यह विषय विवाराधीन है।

४ - व्यवहारार्थ नियमः संज्ञाना संक्षिप्ति कर्त्तव्य ।

नित्य एव तु संबन्धी दित्यादिषु गवादिवद् ॥

वृद्धयादीनां च शास्त्रेऽस्मिन् शक्त्यवच्छैरलवदः ।

अकृतियोऽभिसंबन्धो विशेष्यविशेष्यवत् ॥

‘घट’, ‘पट’ आदि शब्दों से ‘संज्ञा’ शब्दों का भौलिक भेद स्पष्ट रूप से ज्ञान लेना चाहिए। ‘घट’, ‘पट’ आदि शब्द चिरकाल से प्रचलित हैं, किसी आचार्य-व्यवहार के कारण ही प्रसिद्ध न होकर लोक-व्यवहार के कारण सिद्ध हैं तथा उनके अर्थ लौकिक व्यवहार से ही ज्ञात हैं। परन्तु संज्ञा-शब्द को नियमतः आदिमान् माना जाता है, अर्थात् जिस अर्थ में वह शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह अर्थ किसी आचार्य द्वारा किसी शास्त्र के लिए ही किसी समय संकेतित हुआ था (या नवीन शब्द होने से निर्मित हुआ था) यह पूर्वाचार्यों का संमान्य सिद्धांत है। काणाद ने स्पष्ट कहा है—‘संज्ञाया आदित्वात्’ (४।२।६)। [यद्यपि यहाँ संज्ञा शास्त्रीय परिभाषिक-शब्द नहीं है, तथापि उनका कथन है कि किसी पदार्थ का नामकरण आदिमान् अवश्य होगा। परिभाषिक शब्द भी किसी आचार्य द्वारा अर्थ-विशेष के बोधन में संकेतित है। अतः विषय की भिन्नता होने पर भी यह नियम समान रूप से प्रवर्तनीय है:]

ऐसे संज्ञा शब्द अपने अर्थ के वाचक नहीं होते—यह ज्ञातव्य है। वाचक उसी को कहा जाता है, जिसका शब्दार्थ-संबंध आचार्यकृत न हो—किसी शास्त्रीय कार्य के लिए। योगशास्त्र का संयम शब्द इसका प्रसिद्ध उदाहरण है (३।४ पातञ्जलि सूत्र) वाचस्पति ने ठीक ही कहा है—यह शब्द शास्त्रीय अर्थ-विशेष का नहीं कहा जायगा वरन् भाष्यकार ने इसे ‘तान्त्रिकी परिभाषा’ कहा है। [तान्त्रिकी = तन्त्रते व्युत्पाद्यते योगो येन शास्त्रेण तत् तन्त्रम्, तत्र भवा तान्त्रिकी] (तत्त्वबैशारदी)।] यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि परिभाषिक शब्द तो तन्त्र-व्यवहृत (= शास्त्रीय) ही होगा, अतः ‘तान्त्रिकी परिभाषा’ शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्तर में वक्तव्य है कि अन्य तन्त्र में भी यह परिभाषा है और पतञ्जलि ने उस शब्द को अपने शास्त्र में भी ले लिया है, इसलिये वह ‘तान्त्रिकी परिभाषा’ है। विज्ञान भिक्षु ने भी यही कहा है—‘तन्त्रान्तरसिद्ध संज्ञाप्रति-

संज्ञास्वरूपमाभित्य निर्मिते सति लौकिकी।

काचित् प्रवर्तते काचित् निर्मिता सञ्जिधावपि॥

शास्त्रे तु महती संज्ञा स्वरूपोपनिष्ठना।

अनुमानं निर्मितस्य सञ्जिधाने प्रतीयते॥

आशृत्तेरनुमानं वा सारूप्यात् तत्र गम्यते।

शब्दभेदानुमानं वा शक्तिभेदस्य वा गतिः॥

पादक्षमिवं सूत्रम्' (योगवाचिक)। पर वह समाधान पूर्णतः ठीक नहीं जान पड़ता; सम्यक् समाधान के लिये विद्वानों को बल्न करना चाहिए।

इस सूत्र में दूसरा संशय यह है कि इसे वाचस्पति ने परिभाषा-सूत्र कहा है, और भिषु ने संज्ञा-प्रतिपादक। क्या 'संज्ञा' और 'परिभाषा' समानार्थक शब्द हैं? उत्तर में वक्तव्य है कि 'संज्ञा' और 'परिभाषा' में अनेक विषयों में कुछ साम्य होने पर भी कुछ भेद किया गया है, और तदनुसार व्यवहार भी है, किंच 'संज्ञा' और 'परिभाषा' का अन्योन्य-विनिमय भी होता है। अतः स्थल विशेष पर संज्ञा को परिभाषा कहना दोषावह नहीं है। बात यह है कि 'परिभाषा' प्रक्रिया या सिद्धांत-संबंधी आचार्यों का नियामक वाक्य है (द्र० काशिका १।२।५६) और संज्ञा भी किसी शब्द का आचार्य के अर्थ में प्रवृत्ति-नोधक है (द्र० वाचिक — आचार्याचारात् संज्ञासिद्धिः । १।१।१ महाभाष्य)। अतः संज्ञा और परिभाषा (और पारिभाषिक शब्द) का अन्योन्य-विनिमय रूप व्यवहार उपयन्न होता है। अर्थ में नियमन या लक्षण भी परिभाषा शब्द का अर्थ होता है जैसा काशिका (१।२।५७) के 'इहान्ये वैयाकरणाः कालोपसर्जनयोः परिभाषां कुवन्ति...' —इस वाक्य में स्पष्ट है।

शास्त्रकार चाहे तो कृत्रिम शब्दों को बनाकर भी संज्ञा का निर्माण कर सकता है। कवि शास्त्रकार नवीन शब्द की रचना करता है और कवि प्रचलित शब्द का प्रहण कर स्वोद्भावित अर्थ से उसे संकेतित करता है इसका यथास्थान विचार किया जायगा।

पारिभाषिक शब्दों का प्रयोजन शास्त्र-चिंतक एकस्वर से कहते हैं कि शब्द-व्यवहार में लाभव के लिये संज्ञाओं की रचना की जाती है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्पष्ट ही कहा है 'लक्ष्यर्थं संज्ञाकरणम्' (१।१।१) अर्थात् वारचार अधिक शब्दों का व्यवहार न करना पड़े इसलिये शास्त्रकार अनेक शब्दों के लिये एक लघु शब्द को विशेष अर्थ में संकेतित कर देते हैं। इस कथन की पुष्टि योगदर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि शास्त्रों से भी होती है। एक उदाहरण लीजिए—योगशास्त्र में धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों के लिये एक पारिभाषिक शब्द है—'संयम्' (योगसूत्र ३।४)। इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है, इसके विषय में वाचस्पति ने कहा है—'त्रयस्य तत्र तत्र नियुज्यमानस्य प्रातिस्थिकसंज्ञोक्तारणे गौरवं स्थादिति लाघवार्थं परिभाषासूत्रम् अवतारयति' (तत्त्व वैशारदी)। शास्त्र में अनेक शब्दों के स्थान पर एक लघु शब्द को संकेतित करने से अवश्य लघुता होती है। किंच पारिभाषिक शब्द ऐसे एक सहम अर्थ को कहता है,

जिसको कण्ठतः कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विशेष यथा कर एक बार अर्थ-संकेत कर देने से बार बार उस अर्थ का ही बोध होगा, जिससे शास्त्रार्थ के टीक-ठीक बोध में व्याप्रात नहीं होगा। यह भी लघुता ही है। कैथट ने कहा है—' सर्वार्थामिधानशक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टार्थे संव्यवहाराय नियम्यते तदा तत्रैव प्रतीतिं जनयति नान्यत्र ' (प्रदीप १ । १ । २०) ।

संज्ञा शब्दों के प्रकार—किसी विषय की निर्माण-पद्धति के विचार के लिए उस पदार्थ का विभाग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण विषय की रचना एक अखंड नियम से हुई हो; हो सकता है कि विषय के एक-एक अवांतर प्रकार के निर्माण के लिये एक-एक रीति अपनाई गई हो। वस्तुतः हम स्पष्ट देखते हैं कि पूर्वाचार्यों ने अनेक विचित्र रीतियों से संज्ञा-शब्दों का निर्माण किया है, अतः पहले 'संज्ञा' के भेदों का संकलन कर रहे हैं—

(क) मूलतः संज्ञा दो ही प्रकार की होती है—अन्वर्थ संज्ञा और कृत्रिम संज्ञा। कृत्रिम संज्ञाओं का व्यवहार व्याकरण में ही होता है (अन्य शास्त्रों में इसका व्यवहार नहीं देख पड़ता) और अन्वर्थसंज्ञा का व्यवहार सब शास्त्रों में है। अन्वर्थसंज्ञा उसे कहते हैं जिसमें शब्द का अवयवार्थ भी है या लोक में उसका प्रचलन भी है।^४ अन्वर्थ संज्ञा वस्तुतः योगरूढ़ होती है, जैसा कि नागेश ने कहा है—'अन्वर्थसंज्ञात्वं नाम योग-रूढत्वम्' (उद्योत १ । १ । २९)। अन्वर्थसंज्ञा का प्रसिद्ध उदाहरण पातञ्जलयोग शास्त्र में व्यवहृत 'ऋतम्भर' शब्द है (१ । ४८ सूत्र), जिसके विषय में भाष्यकार ने कहा है—'अन्वर्था च सा सत्यमेव विमतिं' (तत्रैव)। अन्वर्था का अर्थ है 'अनुगतार्था'; केवल स्वेच्छा से कल्पित कोई शब्दगात्र नहीं, जैसा पातञ्जलरहस्यकार ने कहा है—'अन्वर्था अनुगतार्था ननु शब्दमात्रम्' (१ । २)।

अन्वर्थसंज्ञा के विषय में एक स्वाभाविक प्रश्न यह हो सकता है कि यदि यह संज्ञा शब्द अर्थानुगत ही है, तो उसको 'संज्ञा' कहने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों न उसे वाचक लौकिक शब्द ही समझा जाय? उत्तर यह है कि इसीलिये अन्वर्थसंज्ञा को

४.— छन्दशास्त्रों में छन्दों के जो नाम कहे गए हैं, (शिखरिणी, हरिणी, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, द्यग्भरा इत्यादि) उन सबों का लौकिक अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है, पर उस अर्थ की संगति छन्दों के स्वरूप से किस रूप से ही संकेती है—यह एक विवरणीय विषय है। विदानों को 'छन्दों' के नाम तथा लच्छे में जो अर्थ-संगति है, उसके अध्ययन का प्रयास करना चाहिए।

योगरूढ़ कहा जाता है, यौगिक नहीं। संज्ञा कितनी ही अन्वर्थों क्यों न हो वह संज्ञी के स्वभाव को पूर्णतः उस प्रकार नहीं कह सकती, जैसे याजक, पालक आदि यौगिक शब्द अपने अर्थ का पूर्णतः अभिधान करते हैं। एक उदाहरण लीजिए—‘स्फोट’ शब्द एक अन्वर्थसंज्ञा है, क्योंकि वह अर्थ का स्फुटीकरण करता है (स्फोट इति च अर्थस्फुटी-करणाधीना संज्ञाउपस्कार, २।२।२२), पर क्या ‘स्फोट’ पदार्थ वस्तुतः केवल इतने अर्थ का बोधन करता है ? इस शब्द के अर्थ की व्याप्ति अत्यंत विस्तृत है। वैशेषिक दर्शन में ‘भूयस्त्व’ एक अन्वर्थसंज्ञा है। (८।२।५), पर इसका अर्थ केवल आविक्य नहीं है, प्रत्युत ‘इतरद्रव्यानभिभूतैः पार्थिवावयवैराग्नधत्वमेव भूयस्त्वम्’ (उपस्कार दा२।५) है, अतः हमें मानना पड़ता है कि अन्वर्थसंज्ञा यौगिक शब्द नहीं हो सकता, उसे योगरूढ़ कहना ही होगा।

यह प्रश्न हो सकता है कि सामान्य योगरूढ़ शब्दों से योगरूढ़ संज्ञाशब्दों का पार्थक्य क्यों स्वीकार किया जाता है ? इसका उत्तर यह है कि यथापि उक्त संज्ञा शब्द शब्दात्मि से योगरूढ़ है, तथापि उस शब्द का अर्थ शास्त्र मात्र प्रसिद्ध है, लोक-प्रसिद्ध कदापि नहीं है। पूर्वोक्त ‘भूयस्त्व’ शब्द के उदाहरण में हम देखते हैं लोक में भी यह शब्द ‘आविक्य’ अर्थ में चलता तो है पर वैशेषिक के पारिभाषिक अर्थ में नहीं। अतः वह पंकजादि शब्दों के समान योगरूढ़ कदापि नहीं है। दूसरा उदाहरण लीजिए—द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीनों की वैशेषिक में ‘अर्थ’ संज्ञा है (८।२।३)। इस शब्द का उक्त शास्त्र-प्रसिद्ध अर्थ लोक-प्रचलित नहीं है। अतः यह तथा ऐसे अन्य शब्द योगरूढ़ होते हुए भी संज्ञा शब्द होंगे।

कभी-कभी अन्वर्थ संज्ञा में अवयवार्थ को न लेकर सादृश्य-संबंध से ही नाम रख दिया जाता है। सांख्य में ‘भूतादि’ संज्ञा इसका एक अच्छा उदाहरण है। ‘तामस अहंकार’ की प्राचीन संज्ञा ‘भूतादि’ थी (सांख्यकारिका २५ का०)। क्यों इसकी संज्ञा ‘भूतादि’ रखी गई है, इसके लिये भाष्यकार गोडपाद युक्ति देते हैं—तामसोहंकारो भूतादिसंज्ञितो निष्क्रियत्वात्। तात्पर्य यह है कि तामस अहंकार अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, और भूत शब्द भी स्थिरत्व का बोधक है, अतः उसके लिये भूतादि संज्ञा अन्वर्थ है। आदि शब्द इसलिये जोड़ा गया है कि उससे प्रभूतों की उत्पत्ति होती है।

अन्वर्थ संज्ञा का ही दूसरा नाम ‘महती संज्ञा’ (= महासंज्ञा) है। अन्वर्थ संज्ञा से यदि इसका कुछ मेद भी करना है तो इतना कहा जा सकता है कि अन्वर्थसंज्ञा

६ - अन्य द्रव्यों से अनभिभूत पारिव अवयवों से आरम्भतः ही ‘भूयस्त्व’ है।

नियमतः अर्थानुगत होगी, किंतु व्याख्याकारों के कथनानुसार 'महासंज्ञा' कभी-कभी अर्थशून्य भी हो सकती है, क्योंकि संज्ञी में उसके अर्थ की कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

पहले हम अन्वर्थ संज्ञापर्याय 'महासंज्ञा' के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अष्टाध्यायी में एक संज्ञा है—‘संयोग’ (११.७)। वहाँ यदि प्रस्तुत संज्ञा को ‘संयोग’ न कहकर उसके बोधन के लिए अन्य कोई एकाक्षर शब्द रखा जाता, तो विशेष कोई दोष नहीं होता, और इसलिये अन्यान्य व्याकरणों में एकाक्षर शब्द बनाए भी गए हैं, पर एक ऐसा स्थल है जहाँ 'संयोग' के रूप-अर्थ की भी आवश्यकता होती है, अतः पाणिनि ने 'संयोग' शब्द से ही संज्ञा बनाई है (द्र० बाल्मनोरमा)।

यद्यपि प्राचीनतम व्याख्याकार यह मानते थे कि 'महासंज्ञा' आरंभ में किसी प्रयोजन के लिये की जाती है^७ पर समय बीतने पर जब उस संज्ञा-शब्द की विशिष्टार्थ-बोधकता लुप्त हो जाती है तब अर्थवान् महासंज्ञाओं को भी व्याख्याकार अर्थशून्य की भौति समझने लगते हैं। पाणिनि-व्यवहृत 'सर्वनामस्थान' की मूलभूत अन्वर्थकता का परिचय न होने के कारण ही जिनेन्द्रबुद्धि (न्यासकार) ने उसको प्रयोजन-रहित कहा है—‘पूर्वाचार्यैरेवेयं प्रयोजनमन्तरेण महती संज्ञा प्रणीता’। पदमंजरीकार ने इस विचार को और बढ़ाया और यह निर्णय किया—‘तस्मात् पूर्वाचार्यान् उपात्वव्युमेषा महती संज्ञा क्रियते’। इन लोगों ने उक्त शब्द की सार्थकता का परिचय न रहने के कारण ही सत्रकार पाणिनि के प्रति भ्रमोत्पादक कल्पना (अनुमान नहीं) की, जिसका खंडन मैंने अन्यत्र किया है।

जहाँ पाणिनि ने पूर्वाचार्य-व्यवहृत किसी अर्थवान् 'महासंज्ञा' का प्रयोग आपने ग्रंथ में किया है, वहाँ पाणिनि यह भी चाहते हैं कि पूर्वाचार्य के अभीष्ठ अर्थ का ग्रहण भी किया जाय।^८ परमप्राचीन काशिकाकार तथा कैयट आदि ने बारबार इस सत्य का प्रतिपादन किया है, जैसा कि 'तत्पुरुष' संज्ञा के विषय में कहा गया है—पूर्वाचार्यसंज्ञा चेयं महती, तदङ्गीकरणम् उपाधेरमपि तदीयस्यत्र परिप्रहार्थम्—उत्तरपदाथेप्रधानस्तत्-

७ - वैदिकाभरण में महासंज्ञा के विषय में कहा गया है—‘अन्वर्थत्वं महासंज्ञा व्यञ्जन्त्यधीन्तराणिच । पूर्वाचार्यैरतस्तास्तु सूतकारणं चाक्षिताः’ (१२)।

८ - शास्त्रान्तर की संज्ञा स्वशास्त्र में लेने से यथावत् उसका ग्रहण करना ही शास्त्रकारों की प्रचलित पद्धति है।—दृष्ट्य संचिप्तसार की गोपीचन्द्र टीका ६५८ ।

पुरुष इति' (२।१।२२) । अर्थात् पूर्वाचार्यों ने हत्पुरुष शब्द का जो अर्थ भी लिया था, पाणिनि को भी वह इष्ट है, क्योंकि पाणिनि ने बिना कुछ परिवर्तन किए (जो शास्त्रकार होने के नाते वे कर सकते थे) उस शब्द को लिया है । अतः पाणिनि को भी पूर्वाचार्यों का अर्थ इष्ट है । ठीक ऐसा ही विचार 'भूवादयो धातवः' (१।३।१) सत्र पर भी काशिका में मिलता है ।

अब हम कृत्रिम संज्ञा (जिन शब्दों का कुछ भी लौकिक अर्थ नहीं है) पर विचार करेंगे । यहाँ केवल शास्त्रिकों का विचार ही उपस्थित किया जायगा, क्योंकि अन्यशास्त्रों में इसका कोई व्यवहार नहीं है ।

'कृत्रिम संज्ञा' का सामान्य लक्षण है—'जो संज्ञा पूर्णतः आचार्य द्वारा कृत है' और लोक-व्यवहार में अज्ञात है । व्याकरण में टि, ध, षु, भ आदि एकाक्षर संज्ञाएँ इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं । प्राक्-पाणिनीय काल में भी इस प्रकार की एकाक्षर या अर्थहीन संज्ञाएँ थीं और आधुनिक व्याकरणों (मुख्यबोध, जैनेन्द्र) में भी इस रीति का प्रसार है ।

इस प्रकार अर्थहीन शब्दों का संज्ञारूप से व्यवहार आचार्यों ने क्यों किया—इस पर धीरबुद्धि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि जहाँ अन्वर्थ संज्ञा रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, वहाँ लाघव के लिये ऐसे एकाक्षर शब्दों का व्यवहार किया गया है ।

यह उत्तर सामान्य दृष्टि से दिया गया है । इसमें भी यह चिन्तनीय है कि क्यों एक संज्ञा को कोई शास्त्रकार अन्वर्थ बनाते हैं, और कोई कृत्रिम । जैसे पाणिनि ने 'करण' संज्ञा (कारक विशेष) सार्थक मानी है, तो शूक्रतन्त्र-व्याकरण में अर्थशून्य 'रण' शब्द-रूप संज्ञा बनाई गई है । कण्ड्य वर्ण को कोई 'छ्य' कहता है, 'हस्त' को किसी आचार्य ने केवल 'स्व' कहा है इत्यादि । इन पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में आचार्यों की प्रतुचिं ऐसी जान पड़ती है कि पहले ये शब्द सार्थक पारिभाषिक संज्ञाएँ थीं, (करण, हस्त, इत्यादि) और बाद में लाघवप्रिय आचार्यों ने उन सार्थक शब्दों के एकदेश को लेकर संज्ञा-शब्द का निर्माण किया है जिससे शब्दतः लाघव भी हो और उससे पूर्व-प्रचलित एक सार्थक शब्द का अनुभान भी हो (अर्थात् पूर्व शब्द भी स्मृतिपथ में उद्दित रहे) । यदि आचार्य को सर्वथा अभिनव लघिष्ठ शब्द की रचना इष्ट होती, तो पूर्व प्रचलित संज्ञा-शब्द का अनुकरण न कर सम्यक् अभिनव लघुतम संज्ञा-शब्द ही बनाते

क्योंकि आचार्य तो संज्ञा-शब्द के निर्माण में स्वतन्त्र है ही। हमारा यह विचार कठोल-कल्पित नहीं है, प्रत्युत पूर्व-व्याख्याकारों ने भी इस बत को कहा है, यथा—

मुग्धबोध की टीका में रामानन्द ने कहा है—‘अत्र सर्वशास्त्रप्रसिद्धाः संज्ञाः प्रायेण एकदेशेन उच्यन्ते तत्संज्ञास्मरणार्थम्। यथा स्वर्यप्लु इति हस्तदीघप्लुनानां प्रहणम्’ (१।५)। जहाँ पूर्वप्रचलित सार्थक शब्द के एकदेश को ही लेकर संज्ञा बनाई गई है, वहाँ जैसे पूर्व-प्रचलित संज्ञा का स्मरण दिलाना उस नूतन संज्ञा का एक कार्य है, वैसे ही उसका यह भी एक कार्य प्रतीत होता है कि नवीन शास्त्रकार अपने शास्त्र के लिये उस संज्ञा की अन्वर्यकता को अनावश्यक समझते थे। अन्यथा प्रचलित प्रसिद्ध ‘संज्ञा’ को तोड़कर नूतन संज्ञा का निर्माण (जिससे एक के स्थान पर दो संज्ञाओं का स्मरण अन्धेता को करना पड़े) उपपत्र नहीं होता। ध्यान देकर विचारने से यह निर्णय ठीक जान पड़ता है, पर कहीं-कहीं इसका अपवाद भी दिखाई देता है।

पारिभाषिक शब्दों के विषय में एक दूसरा विचारणीय विषय यह भी है कि कभी-कभी शास्त्रकार पारिभाषिक शब्द का अर्थ ग्रंथ में कहते हैं और कभी कभी नहीं भी कहते हैं। जब सूत्रकार पारिभाषिक अर्थ का निर्देश नहीं करते हैं और वह शब्द लौकिक अर्थ-वान् भी होता है, तब यह संशय उत्पन्न होता ही है कि यहाँ कोई पारिभाषिक अर्थ (शास्त्रमात्र-व्यवहरणीय) विवक्षित है या लोक प्रसिद्ध अर्थ विवक्षित है। यह संशय तब और भी दढ़तर हो जाता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-प्रसिद्ध अर्थ भी शास्त्र में व्यवहार्य है—निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए—

योगसूत्र में कहा गया है—‘तीव्रं संवेगानामासङ्गः’ (१।२१); संवेग शब्द का एक प्रचलित अर्थ भी है, जो कथंचित् घट भी सकता है, अतः यहाँ कोई पारिभाषिक अर्थ इच्छा है या नहीं—ऐसा संशय हो सकता है। इसके उत्तर में यह सामान्यतः कहा जा सकता है कि जब भी इस प्रकार का संदेह हो, तभी उस शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों से इसका निरूपण करना चाहिए कि वहाँ यह शब्द ‘पारिभाषिक था या नहीं। क्योंकि पारिभाषिक शब्द जब स्व-संप्रदाय में अति प्रचलित होगा, तब बाद में कोई भी आचार्य उसका अर्थ-निर्देश दिना किए भी उसका प्रयोग कर सकता है। इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि लौकिक अर्थ को मुसंगति यदि न हो, तो अवश्यमेव पारिभाषिक अर्थ विवक्षित है, ऐसा यथार्थ अनुमान हो सकता है। प्रकृतस्थल में हम जानते हैं कि यह ‘संवेग’ शब्द योग-विद्या का पारिभाषिक है।

वस्तुतः अतिप्रचलन के कारण सभी आचार्यों ने अनेक स्थलों पर अर्थ-निर्देश न कर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्वयं पाणिनि ने 'द्वितीया', 'तृतीया' आदि पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार अर्थ-निर्देश के बिना ही किया है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के शब्दों में ये संज्ञा-शब्द अतिप्रचलित थे (काशिका २।३।२)।

यह बात गोतम, कशाद, आदि के लिये भी सत्य है। उन्होंने 'संस्कार' 'अहंष्ट' आदि शब्दों का पारिभाषिक अर्थ में व्यवहार तो किया है, पर उनका अर्थ-निर्देश नहीं किया है। पूर्वाचार्यों के अर्थों का अनुसंधान बिना किए उन शब्दों के केवल लोक-प्रसिद्ध अर्थ का प्रहण जब हम करते हैं तब अर्थ का अनर्थ होजाना सहज ही है। क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अर्थ यहाँ घटता नहीं है अतः कोई पारिभाषिक अर्थ ही ऐसे स्थलों पर अनुसंधेय होना चाहिए।

संस्कृत के संज्ञा शब्दों की एक विशिष्टता यह भी है कि कभी-कभी एक ही शब्द अवयव तथा समुदाय के लिये भी व्यवहृत होता है। जैसे पंचप्राण के प्रथम विमाग का नाम भी 'प्राण' है (प्राणोदान व्यानापानसमानाः); उसी प्रकार श्रद्धांग योग का चरम अंग समाधि है, और योग का पर्याय भी समाधि है (पातंजल शास्त्र में)। यह व्यवहार केवल इसलिये हो गया है कि प्राण तथा समाधि अन्य अंगों में सर्वप्रमुख और श्रेष्ठ हैं प्राण के अधीन अन्य व्यानादि रहते हैं तथा समाधि अन्य अंगों की अन्तिम परिणति है।

कभी-कभी पारिभाषिक शब्दों में काव्य-सौंदर्य का प्रतिभास भी होने लगता है अर्थात् जिन पदार्थों के लिये संज्ञाओं की रचना की गई है, उन दोनों की जिस सदृशता को लेकर संज्ञा बनाए गए हैं, उनमें अर्थगत मौलिक सादृश्य की अपेक्षा व्यावहारिक सौंदर्यबोध अधिक होता है। यहाँ शब्दों के चयन में कोई शास्त्रीय परिपक्वता नहीं है, प्रत्युत रसबोध अपेक्षाकृत अधिक उद्बुद्ध रहता है। किस समय शास्त्रकारों में ऐसी प्रवृत्ति का उदय हुआ था—यह अनिश्चित है। पर इतना निश्चित ही है कि ऐसे संज्ञाओं की रचना के अवसर पर मन में दार्शनिक विशद प्रक्षा की अपेक्षा स्थूल रसबोध अधिक सक्रिय था। सांख्यशास्त्र से उदाहरण दिया जा रहा है।

सांख्य में ९ प्रकार की त्रुष्टि स्वीकृत है—'नव तुष्टुयोऽभिमताः' (सांख्यकाव्यिका ५०)। काव्यिका में 'प्रकृतित्रुष्टि' आदि नौ नाम उनके लिये दिए गए हैं। पर इन नामों

के लिए जो प्राचीन संज्ञाएँ थीं, उनसे पूर्वोक्त रीति का परिचय मिलता है। उन संज्ञाओं के नाम ये हैं—अम्भस्, सलिल, मेघ, वृष्टि, सुतम, पार, सुनेत्र, नारीक तथा अनुच्छमाम्भः (द३० गौडपादभाष्य)। ध्यान देना चाहिए कि कारिका में जो शब्द प्रकृतितुष्टि, उपादान-तुष्टि, कालतुष्टि इत्यादि आए हैं उनमें दार्शनिक दृष्टि अधिक प्रबल है, उनके लिये जो प्राचीन संज्ञाएँ हैं—अम्भस्, सलिल, मेघ आदि उनमें काव्यात्मक संकेत की स्थूलता अधिक है। इन शब्दों के व्यवहार में लौकिक सौदर्य-बोधकता का उद्घाटन व्याख्याकारों द्वारा कराया गया है।

(१) प्रकृतितुष्टि की संज्ञा 'अम्भस्' इसलिये रखी गई है कि अम्भस् (जल) जैसे मज्जन-हेतु है, प्रकृतितुष्टि भी वैसे ही संसारमज्जन का हेतु है। इसी प्रकार (२) उपादानतुष्टि की संज्ञा 'सलिल' इसलिये की गई है कि सलिल (= जल) जैसे संसरण का निमित्त है, वैसे ही उपादान-तुष्टि भी संसरण का निमित्त है। (३) कालतुष्टि की प्राचीन-संज्ञा 'मेघ' है, 'कालप्रतीक्षाया उत्तापकत्वात्'। (४) भावाख्य-तुष्टि की संज्ञा वृष्टि है, क्योंकि उससे अक्षस्मात् विवेकख्याति का सिंचन होता है जैसे मेघ से अक्षस्मात् वृष्टि होती है। इसी प्रकार आगे भी व्याख्या की गई है।

इस रीति का दूसरा उदाहरण अष्ट सिद्धियों की प्राचीन संज्ञाओं में भी मिलता है—अह की प्राचीन संज्ञा तार, शब्द की संज्ञा सुतार, अध्ययन की हंशा तारतर, आधिभौतिक दुःखविषात की संज्ञा प्रमोद, आधिदैविक दुःखविषात की संज्ञा प्रमुदित, आध्यात्मिक दुःखविषात की संज्ञा प्रमोदमान, सुहृद्प्राप्ति की संज्ञा रम्यक तथा दान की संज्ञा सदाप्रमुदित है। (सांख्यकारिका ५१)। यदि हम यहाँ 'संज्ञी का स्वरूप तथा संज्ञा-शब्दों का प्रचलित अर्थ' इन दोनों की तुलना करें, तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा कि इन संज्ञाओं में दार्शनिक चमत्कारिता कुछ भी नहीं है, पर लौकिक रसबोध है। कब इन संज्ञाओं की रचना हुई थी—यह गवेषणीय है।

कभी-कभी एक पदार्थ के लिये दो पारिभाषिक शब्द व्यवहृत होते हैं। यदि अन्य शास्त्रकार ने एक ही विषय के लिये अन्य पारिभाषिक शब्द की रचना की हो, तो वह कोई दोषावह नहीं है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द के प्रणयन में आचार्य स्वतंत्र होता है, पर एक ही ग्रंथ (या शास्त्र में) एक ही आचार्य एक पदार्थ के लिये एकाधिक पारिभाषिक शब्द का व्यवहार करे—यह एक विचारणीय विषय होता है। इम समझते हैं कि

वहाँ ऐसा किया गया है, वहाँ कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा, जैसा कि निम्नोक्त उदाहरणों से प्रमाणित होगा :—

(क) प्राचीन पारिभाषिक शब्द जब अप्रचलित हो जाते हैं, तब तात्कालिक प्रचलित (अथवा सार्थक) शब्दों का प्रयोग उनके स्थान पर किया जाता है। इम जानते हैं कि प्राचीनतम वैशेषिक शास्त्र में न्यायवाक्यों के पांच अवयवों के पांच नाम थे—प्रतिशा, अपदेश, निर्दर्शन, अनुसंधान तथा प्रत्याम्नाय (उपस्कार ५२२)। इनके स्थान पर अपेक्षाकृत आधुनिक न्याय में—प्रतिशा, हेतु, दृष्टांत, उपनय तथा निगमन शब्दों का व्यवहार है। यहाँ स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैशेषिक का शब्द प्राचीनतर है और गोतम का शब्द आधुनिक। आगे चलकर वैशेषिक-शब्द अव्यवहृत ही हो गए। प्रत्याम्नाय आदि शब्दों का प्रचलन उस काल में सिद्धवत् नहीं था, अतः गोतम ने नवीन पारिभाषिक शब्दों की रचना की।

(ख) अट्टक प्रातिशाख्य में ‘वशंगम’ एक संज्ञा-शब्द है (४१४)। वहाँ एक दूसरी संज्ञा भी इसके स्थान पर है, जिसको ‘परिपक्ष’ कहा जाता है (५२५)। एक अर्थ में दो संज्ञाएँ क्यों हैं, इसका विचार उबट ने किया है। उन्होंने बताया है कि कार्य में कुछ अतिशय विशेष होने से पूर्वाचार्य एक के स्थान पर अन्य संज्ञा का भी निर्माण करते थे।

(ग) कभी-कभी संज्ञान्तर का कारण संज्ञी में निहित किसी तत्त्व का स्फुटरूप से प्रतिपादन भी होता था। इम जानते हैं कि ‘वर्ण’ के लिये ‘अक्षर’ रूप संज्ञान्तर का व्यवहार भी था, जिसके विषय में पतञ्जलि ने कहा है—‘अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्य अक्षर-मिति संज्ञा क्रियते’ (आहिक २)। वर्ण का ज्य आदि नहीं है, इसको दिखाने के लिये यह नई संज्ञा रची गई—यह स्पष्ट है।

इसके विपरीत यह भी देखा जाता है कि एक शास्त्र में एक ही शब्द पारिभाषिक तथा अपारिभाषिक दोनों अर्थों में व्यवहृत है, जिससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। आचार्य ने ऐसा क्यों किया?

इस प्रकार के व्यवहार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। वहाँ कर्म, करण, उपर्जन, संबुद्धि, संख्या आदि कितने ही ऐसे शब्द हैं, जो लौकिक और पारिभाषिक दोनों अर्थों में व्यवहृत हैं, और वहाँ कौन अर्थ लिया जायगा, इसका

कोई स्थृत उल्लेख भी नहीं है। ऐसे स्थलों पर व्याख्यान से निर्णय करना चाहिए कि कहाँ एक शब्द का पारिभाषिक अर्थ लिया जायगा और कहाँ लौकिक। यहाँ यह भी आनन्द चाहिए कि व्याख्यान निर्युक्तिक नहीं होता, उसका भी गमकतत्व होता है। सामान्यतः यह कहा जाता है—‘कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः’ (१११२२ भाष्य) अर्थात् वहाँ कृत्रिम तथा अकृत्रिम—दोनों अर्थों की प्रतीति होती है, वहाँ कृत्रिम (शास्त्र-संकेतित) अर्थ का बोध करना चाहिए। पर इस नियम का वैपरीत्य भी है। भाष्यकार ने पूर्वोक्त न्याय के समर्थन में जो लौकिक दृष्टान्त दिया है, उससे यह भी सूचित होता है कि अधिकांश स्थलों पर पूर्वोक्त न्याय ही स्वीकार्य है।

उपर्युक्त में यह बत्तव्य है कि यद्यपि इस निवन्ध में पारिभाषिक शब्दों की निर्माण-पद्धति पर इमने कुछ कहा नहीं है, तथापि संशा के प्रकारों पर ध्यान से विचार करने से उनकी निर्माणपद्धति भी विज्ञात होगी। निर्माणपद्धति के विषय में आज अनुशासन-वाक्य नहीं मिलता, पर उदाहरणों से नियमों की कल्पना की जा सकती है।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका
वर्ष ६० : संबत् २०१२ : अंक २

महाकवि भूषण का समय

[कैट्टेन शूरवीर सिंह]

महाकवि भूषण के संबंध में जो अन्वेषण अब तक हुए हैं, उनमें भूषण के काल-निर्णय पर मतभेद रहा है। श्री भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने भूषण का जन्म-संवत् १७३८ एवं मृत्यु-संवत् १८०० माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म-संवत् १६७० और मृत्यु-संवत् १७७२ लिखा है। ‘मिश्रबन्धु विनोद’ में भूषण का जन्म-काल अनुमान से संवत् १६७० और मृत्यु-संवत् १७७२ बताया गया है। इनके ग्रंथ ‘शिवराजभूषण’, ‘शिवाबाबनी’, ‘छत्रसाल दसक’ और स्फुट छंद ही अब तक हिन्दी-जगत् के समझ आप हैं। ‘मिश्रबन्धु विनोद’ में मिश्रबन्धुओं ने ‘भूषण उल्लास’, ‘दूषण उल्लास’ एवं ‘भूषण हजारा’ नामक ग्रंथ भी... महाकवि भूषण द्वारा रचित लिखे हैं, परंतु इस उल्लेख के साथ कि इन तीनों ग्रंथों का अब पता नहीं चलता।

‘मिश्रबन्धु विनोद’ में कहाकवि भूषण का कविता-काल संवत् १७०५ माना गया है। सौभाग्य से मुझे हाल ही में भूषण कृत एक ‘अलंकार प्रकाश’ नामक ग्रंथ की प्रति-लिपि उपलब्ध हुई है, जिसका रचनाकाल भी संवत् १७०५ ही है। इसमें दस उल्लास हैं, जिससे ग्रंथ का नाम ‘भूषण उल्लास’ होना विदित होता है। इस ग्रंथ के अप्राप्य होने का उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में भी है। इस ग्रंथ की उपलब्धि से महाकवि भूषण का काल प्रामाणिक रूप से निश्चित हो जाता है, एवं हिन्दी जगत के समझ भूषण के, अब तक अज्ञात, वास्तविक नाम पर भी प्रकाश पड़ता है। यह पुस्तक एक साहित्य-प्रेमी सज्जन के द्वारा बिला उच्चाव से प्राप्त हुई है और भूषण ने इसकी रचना गहरवार वंशीय नरेश देवीशाह अयवा देवी सिंह बुंदेला के लिए की थी। पुस्तक के दूसरे पृष्ठ के बाद के नीं पृष्ठ खुम हैं, जिनमें सम्प्रवतः भूषण के वंश-परिचय एवं निवास-स्थान का भी विस्तृत उल्लेख रहा होगा, क्योंकि राजवंश-पर्णन का कम दूसरे पृष्ठ में है। प्राची-

भूषण ने रीतिकालीन कवियों की यह परंपरा भी कि वे अपने आश्रयदाता के वंश-परिचय के पश्चात अपना वंश-परिचय एवं निवास-स्थान आदि भी लिखते थे। ग्रंथ के अंत में भी भूषण ने अपना वंश-परिचय इस प्रकार लिखा है—‘वीरावि वीर राजाधिराज श्री राजा देवीशाह देव प्रोत्साहित विपाठी रामेश्वर आत्मज कवि भूषण मुरलीधर विरचिते अलंकार प्रकारे अविधानिरूपनो नाम दसमो उल्लासः। समाप्तम् शुभम् भूयात्।’ इसी प्रकार प्रत्येक उल्लास की पुष्टिका में भूषण ने अपना परिचय दिया है।

इस ग्रंथ के ४३२ वें दोहे में भी भूषण ने अपना वंश-परिचय इस प्रकार दिया है—

“रामकृष्णं कश्यपं कुलहि, रामेश्वरं सुव तासु ।
ता सुन मुरलीधरं कियो, अलंकारं परकासु ॥”

इस दोहे से भूषण के कश्यप गोत्रीय होने की भी पुष्टि होती है। ग्रंथ का रचनाकाल ४३३ वें दोहे में इस प्रकार दिया गया है:—

‘पाँच सुब्रह चरिस, कातिक सुवि छठि जानु ।

अलंकारं परकासु को, कवि कीनो निमानु ॥ = संवत् १७०५।

मैंने आगे जो और खोज इस संबंध में की तो यह पता चला कि जिला हमोरपुर में ‘संगरा’ नाम का एक गाँव तहसील ‘चरखारी’ में है, जहाँ सत्रहवीं एवं अठारवीं सदी में गहरवार वंश का प्रबल पराक्रमी राज्य था। वहाँ अब भी इस प्राचीन राज्य-वंश का सुट्ट और प्राचीन किला विद्यमान है। इस वंश के एक राजा अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुस्तकालय भी वहाँ है, जिसमें बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं।

‘अलंकार प्रकाश’ से भी इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है—‘तिसु भयउ पूत,
संगर सपूत। महि महीपाल, अरजुन पाल।’ इत्यादि

इसी प्रकार महाकवि मतिराम के संबंध में भी अब तक एक भ्रम था। ‘मिश्रबन्धु विनोद’ तथा आचार्य रामचंद्र कुक्ल की सम्मति है कि भूषण एवं मतिराम परंपरा से सगे भाई प्रसिद्ध हैं और ‘तिकवापुर’ निवासी रक्ताकर विपाठी के पुत्र कहे जाते हैं। मुख्य सौभाग्य से मतिराम कृत ग्रंथ ‘वृत्त कौमुदी’ की हस्तलिखित प्रति अभी उपलब्ध हुई है। श्री कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा समादित ‘मतिराम ग्रंथावली’ एवं ‘मिश्रबन्धु विनोद’ में महाकवि मतिराम के रचित ग्रंथों में ‘छुंदसार पिंगल’ का नाम है। ‘मिश्रबन्धु विनोद’ से विदित होता है कि ‘छुंदसार पिंगल’ के थोड़े से ही पृष्ठ मिश्रबन्धुओं ने देखे थे। इसी तरह श्रीकृष्णबिहारीजी की ‘मतिराम ग्रंथावली’ से भी पता चलता है कि ‘छुंदसार’ पिंगल

ग्रंथ उनके देखने में नहीं आया। श्री भगीरथप्रसाद ने 'हृत्त कौमुदी' को ही 'छंदसार पिंगल' ग्रंथ माना है, परंतु श्रीकृष्णबिहारी मिश्र ने इन दोनों को पृथक माना है। इन्होंने लिखा है कि श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित का कहना है कि उनको अब यह ग्रंथ 'हृत्त-कौमुदी' नहीं मिल रहा है। श्रीकृष्णबिहारी मिश्र जी के सतत प्रयास करने पर भी उनको 'हृत्तकौमुदी' ग्रंथ नहीं मिला, जिससे उन्होंने माझुरी एवं नागरीप्रचारिणी सभा के छापे हुए अंशों के आधार पर ही इस संबंध में अपनी संमति प्रकट की। 'छंदसार पिंगल' के नाम का पता 'शिव सिंह सरोज' से ही मिश्र जी को लगा। ग्रंथ उन्होंने नहीं देखा। परंतु अब 'हृत्त कौमुदी' के उपलब्ध होने से उपरोक्त भ्रम दूर हो जाता है, और इस ग्रंथ के अध्ययन करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यही वह ग्रंथ 'छंदसार पिंगल' है जिसका 'शिवसिंह सरोज' में महाकवि मतिराम द्वारा रचित होना प्रसिद्ध है, और जिन्होंने 'स्तराज' 'ललित ललाम' एवं 'मतिराम सतसई' ग्रंथों की रचना की है। भाषा एवं शैली भी इन ग्रंथों की एक ही है। यह (छंदसार का संग्रह) पिंगल-ग्रंथ की रचना महाराज स्वरूपसिंह बुंदेला के लिये महाकवि मतिराम ने 'हृत्तकौमुदी' नाम देकर की थी।

'हृत्तकौमुदी' (छंदसार पिंगल) की रचना संवत् १७५८ में हुई। इस ग्रंथ में मतिराम ने अपने को विश्वनाथ का पुत्र तथा 'बनपुर' निवासी होना बताया है। मतिराम ने ग्रंथ के अंत में वंशवर्णन इस प्रकार किया है—

‘तिरपाठी बनपुर बसै’ वत्स गोत सुनि गेह

...

तिनके तनय उदार मति, विश्वनाथ हुआ नाम

...

तासु पुत्र मतिराम कवि, निज मति के अनुसार।

सिंह सरूप मुजान को, बरनै मुजस अपार॥

इस ग्रंथ में मतिराम ने जो अपने आश्रयदाताओं का वर्णन किया है, उससे यह सिद्ध होता है कि वही मतिराम है जिन्होंने महाकवि भूषण के साथ भारत-भ्रमण किया था। मतिराम ने इस ग्रंथ में अपने आश्रयदाताओं का वर्णन इस प्रकार किया है—

दाता एक जैसो शिवराज भयो तैसो अब,
फतेशाहि सीनगर साहिणी समाज है।
जैसो चित्तौर धनी राना नरनाह भयो,
तैसोई कुमाऊँ-पति पूरोरज लाज है।
जैसे जयसिंह जसवन्त महाराज भयो,
जिनको मही में अजौं बहौ बल साज है।
मित्र साहिनन्द सी बुन्देल कुल छंद जग,
ऐसो अब उदित स्वरूप महाराज हैं॥

यह तो इतिहास-सिद्ध है कि महाकवि भूषण एवं मतिराम ने तत्कालीन गढ़वाल एवं कुमाऊँ राज्यों की यात्रा की थी और गढ़वाल-नरेश फतेशाह की प्रशंसा में निम्नलिखित छंद की रचना की थी :—

लोक भ्रुवलोक्हूं ते ऊपर रहैगो मारौ,
भानु ते प्रभानि की निधान आनि मानैगो।
सरिता सरित सुरसरि तें करैगो साहि,
हरि ते अधिक अधिपति ताहि मानैगो।
उरध परारध ते गिनती गिनैगो गुनि,
वेद ते प्रमान सो प्रमान कछु जानैगो।
सुवश ते भलो मुख भूषण भनैगो बादि,
गढ़वार राज पर राज जो बखानैगो।

महाकवि भूषण ने शिवराजभूषण के २४९ वे छंद में अपने आश्रयदाताओं का निम्नलिखित वर्णन किया है—

मोरंग जाहु कि जाहु कुंमाऊँ,
सिरीनगरे की कवित बनाये।
धान्धव जाहु कि जाहु अमेरि, कि
जोधपुरै कि चित्तौरहि धाये।
जाहु कुतुब्ध कि पदिल पै, कि
दिलीसहु पै किन जाहु बुलाये।
'भूषण' गाय फिरो महि में,
बनिहै चित चाह शिवाहि रिखाये।

‘वृत्तकौमुदी’ के उपरोक्त छंद तथा ‘शिवराज भूषण’ का यह हँड स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि इन दोनों महाकवियों के आश्रयदाताओं में समानता थी।

इसी तरह इन दोनों ग्रंथों, मतिराम कृत ‘वृत्तकौमुदी’ (छंदसार पिंगल) एवं भूषण कृत ‘शिवराज भूषण’ में गजराज वर्णन के निम्नलिखित छंदों में भाव-साम्य एवं भाषा-साहश्य में इतनी विलक्षण एकता है कि इन दोनों महाकवियों की आपस की घनिष्ठता स्वतः प्रकट होती है।

जिनकी गरज सुन दिग्गज बे-आब होत । —शिवराज भूषण

जिनकी गरज होत दिग्गज अचेत हैं । —वृत्त कौमुदी

जकरे जंजीर जोर जकरे किरिरि हैं । —शिवराज भूषण

जकरे रहत जे न जालिम जंजीरन सो । —वृत्त कौमुदी

महाकवि भूषण का ‘अलंकार प्रकाश’ नामक ग्रन्थ जो मुखे उपलब्ध हुआ है और जिसका वर्णन ऊपर आ चुका है उसके कुछ छंदों के भाव, छंदरचना एवं लक्षण आदि की परिभाषा में जो ‘ललित ललाम’ से इतना अधिक साहश्य पाया जाता है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है कि महाकवि मतिराम ने ‘ललित ललाम’ में भूषण के ‘अलंकार प्रकाश’ से अनुकरण किया है और ‘अलंकार प्रकाश’ भी उसी ‘भूषण’ कवि की रचना है, जिससे मतिराम का बन्धुत्व था, एवं जिन्होंने ‘शिवराज भूषण’ की रचना की थी।

द्रष्टान्त

जितहि विष्व प्रतिविष्व गति, कवि भूषण निज होइ ।

कवित मांक तंह जानिये. द्रष्टान्ता पै सोह ॥

—अलंकार प्रकाश

जग समूह जुग धर्म जंह, जिमि विष्वहि प्रतिविष्व ।

सुकवि कहत द्रष्टान्त है, जो मन दर्पन विष्व ॥

—ललित ललाम

निदर्शन

एक अर्थ की सरस जंह, अर्थ दूसरो ठानु ।

कवि भूषण कहि कवित में, तहाँ निदर्शन जानु ॥

—अलंकार प्रकाश

सट्टव वाक्य जुग अर्थ को, जहाँ एह आरोप ।

बरनत तहाँ निदर्शना, कवि जनमत अति आरोप ॥

—ललित ललाम

अनन्य

एकहि को जो कोविदे, उपमित अह उपमान ।
वाहि अनन्य कहत हैं, कवि भूषण कवि जान ॥

—श्रलंकार प्रकाश

जहां एक की बात क्षे, उपमेयो उपमान ।
तहां अनन्ये कहत हैं, कवि मतिराम सुजान ॥

—ललित ललाम

व्याजस्तुति

कीजै निंदा वै जहां, बहुत बड़ाई होय ।
करत बड़ाई निर्दृश, जित व्याजस्तुति सोइ ॥

—श्रलंकार प्रकाश

निंदा में स्तुति पाइये, स्तुति में निंदा होइ ।
व्याज स्तुति सो कहत हैं, कवि कोविद सब कोइ ॥

—ललित ललाम

‘श्रलंकार प्रकाश’ की रचना संवत् १७०५ में होना सिद्ध है और ‘शिवराज भूषण’ की रचना संवत् १७१० में, जैसा शिवराज भूषण के इस छंद में पाया जाता है —

सम सत्रह सै तीस पर, शुचि वदि तेरह मान ।
भूषण शिव भूषण कियो, पदियो सकल सुजान ॥

‘ललित ललाम’ संवत् १७१८ और संवत् १७१६ में रची गई है और बूंदी नरेश भाऊ सिंह का राज्य काल १७१५ से १७३८। भूषण का महाकवि मतिराम से जेष्ठ होना सभी अन्वेषकों ने माना है। श्रलंकार प्रकाश के रचनाकाल से भी इसकी पुष्टि होती है। ‘श्रलंकार प्रकाश’ भूषण का प्रथम ग्रंथ प्रतीत होता है। ‘श्रलंकार प्रकाश’ के अध्ययन से इन दोनों कवियों का सगा भाई होने का भ्रम भी दूर हो जाता है। इनको जो वंश-भास्कर मुंशी देवी प्रसाद, श्री शिव सिंह सेंगर एवं श्री गुलामश्रीली बिलग्रामी आदि ने भाई-भाई होना लिखा है (यत्रपि प्रमाण किसी ने नहीं दिया) उससे एवं इनकी आपस में उपरोक्त घनिष्ठता होने से यह विदित होता है कि क्योंकि वे मौसेरे या ममेरे भाई रहे हों। बनपुर से व्यंबकुर में जाकर इनका बसना सिद्ध होता है। ये स्थान एक दूसरे के विस्तुल समीप हैं।

महाकवि भूषण के ‘शिवराज भूषण’ का निम्नलिखित छंद ही अब तक उनके वंश-परिचय का आधार रहा है। उससे भी उनका व्यंबकपुर में बसना ही विदित होता है।

दुज कनौज कुल कइयप, रत्नाकर सुत - धीर ।
उसत उद्यंतकपुर नगर, तरनि तनूजा तीर ॥

अब प्रश्न यह है कि 'आलंकार प्रकाश' के उपर्युक्त छंद में विता के नाम में जो अंतर मिलता है उसका क्या समाधान है। मेरा मत यह है कि 'रत्नाकर' महाकवि भूषण के पिता रामेश्वर का उपनाम था। जिस प्रकार मुरलीधर कवि 'भूषण' के उपनाम से प्रसिद्ध हुए उसी तरह उनके पिता रामेश्वर 'रत्नाकर' नाम से प्रसिद्ध हुए होंगे। कवियों में यह प्रथा थी कि अपना नाम अथवा उपनाम (छाप) छंदों में उपर्युक्त स्थान पर रखते थे। इसी तरह भूषण ने इस छंद में अपने प्रसिद्ध 'भूषण' उपनाम के साथ-साथ अपने पिता रामेश्वर का 'रत्नाकर' उपनाम लिखना उचित समझा। आलंकार प्रकाश में कवि ने अधिकतर 'भूषण' उपनाम से ही अपने को व्यक्त किया है। परंतु वहाँ अपना नाम मुरलीधर भी लिखा जाहाँ अपने पिता का नास्तिक नाम रामेश्वर कहा।

इस संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि उस काल में बहुधा रत्नाकर, सुधाकर, आदि नाम नहीं होते थे वरन् रामेश्वर, शंकर, विश्वनाथ आदि नाम अधिक प्रचलित थे। भूषण की अन्य रचनाओं की तरह इस ग्रन्थ के प्रकाश में न आने का कारण यह भी हो सकता है कि महाकवि भूषण उस काल में बीर रस के प्रतिनिधि कवि विल्यात हो चुके थे और संभव है इसी कारण 'आलंकार प्रकाश' को उन्होंने स्वयं भी ल्याति न दी हो।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी के राज्यकाल में वयस्क हो चुके थे और शिवराज भूषण की रचना उन्होंने छत्रपति शिवाजी के दरबार में संवत् १७३० के लगभग जाकर की थी। संभाजी एवं साहूजी के राज्यकाल में भी भूषण विश्वमान थे जैसा भूषण कृत 'शिववावनी' एवं उनके स्फुट छंदों से सिद्ध होता है। संभाजी का राज्यकाल संवत् १७३७ से १७४६ तक रहा और साहूजी संवत् १७६६ में श्रीरंगजेव की मृत्यु के पश्चात कैद से छूटकर दक्षिण आये। काल - विचार से भूषण का जन्म यदि संवत् १६७० के लगभग माना जाता है तो संवत् १७६४ में उनकी आयु ९४ वर्ष की होती है। १०० वर्ष की उम्र के भीतर बहुत से कवियों ने अपनी रचनाएँ की हैं। भूषण का तो दीर्घायु होना प्रसिद्ध ही है इसलिये ९४ वर्ष की आयु में साहूजी की प्रशंसा में रचना करना असंभव नहीं वरन् पूर्ण विश्वसनीय प्रतीत होता है।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष : ६० संवत् २०१२ : अंक २

भारतीय पोथियों का प्रवास

[श्री वाचस्पति गौरोत्ता]

भारत ज्ञानियों, पंडितों, कवियों और कलाकारों का देश रहा है। शास्त्रवित्तन और साहित्य-निर्माण उसके दो सनातन व्यवसाय रहे हैं। तपःपूत भारतीय महर्षियों ने अपने जीवन के क्षण-क्षण विद्याध्ययन और विद्या-वितरण जैसे महान् कार्यों को संपन्न करने में व्यतीत किए। अपने पूर्व पुरुषों से उत्तराधिकार के रूप में हमें जो संपत्ति उपलब्ध हुई वह थी हमारी साहित्य-संपत्ति। परंपरा से प्राप्त भारत का यह साहित्य-धन आज भी भारतीय एवं विदेशीय ग्रंथालयों में हस्तलिखित पोथियों के रूप में सुरक्षित है। भारत के इस अनुल विद्या-धन का उपयोग सारा संसार शताव्दियों से करता आ रहा है। भारत की यह ज्ञान-संपत्ति किस प्रकार विदेशों को प्रवासित हुई, इसका भी एक रोचक इतिहास है।

अपने इस बृहदनांगमय के प्रति भारतीय विद्वान् तब जागरूक हुए, जब अमूल्य एवं अप्राप्य हस्तलिखित पोथियों के बृहत्संग्रह विदेशों को प्रवासित हो चुके थे। राजनीतिक उथल-पुथलों के कारण भारत को जो अनूरणीय कृति उठानी पड़ी वह था उसके प्राचीन साहित्य का अपहरण। समय-समय पर श्रातताइयों द्वारा जिन असंख्य भारतीय पोथियों की होली जलाई गई उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती; किन्तु भारतीय ज्ञान के जो बृहद-भेड़ार आज भी विदेशों में दिलाई दे रहे हैं उनके संबंध में तो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम तो यहाँ के प्रतिकूल जल-वायु ने प्राचीन पोथियों को असमय ही ग्रस लिया दूसरे जो कुछ बच पाई थी उनसे विदेश ही लाभान्वित हुए। अनुकूल जल-वायु के कारण जो भारतीय पोथियाँ चीन, तिब्बत और नेपाल प्रभृति देशों में जीवित रह सकी हैं, प्राचीनता की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम की विनाशक आँधी ने, जो एक दिन अरब के मरुस्थल से उठी थी, भारत के जिन विशाल ग्रंथालयों को

किनष्ट किया वह इतिहास की एक अमिट घटना है। साथ ही इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जा सकता है कि विदेशी शासकों ने भारत की इस साहित्य-संपत्ति का जिस क्रूरता और स्वार्थपरता से अग्रहण किया उसका अभाव भी सदा बना रहेगा।

मध्य परिणाम

विशेषतः तिब्बत, नेपाल और यहाँ तक कि चीन, जापान, अमेरिका, हंगलैंड तक भारत से हस्तलिखित पोथियाँ पहुँचीं। पुरातत्व के खोजियों ने मठ-मंदिरों, गिरे हुए घरों, पुराने टीलों और बालू के नीचे से अनेक महत्वपूर्ण पोथियों को खोज निकाला। इन पोथियों में ताङ्गतीय पोथियाँ थीं। असीरिया, बेबिलोन और मिस्र के ऐतिहासिक पुस्तकालयों की भाँति प्राचीन भारत में भी पुस्तकालयों की कमी न थी। तक्षशिला, नालंदा, नदिया, मिथिला, तथा राजामोज के पुस्तकालय के अतिरिक्त मध्य-कालीन भारतीय पुस्तकालयों में शाहंशाह अकबर का राजकीय पोथीखाना और अरबी-फारसी भाषाओं की विद्यात विद्युती और गजेव की पुत्री जेबुनिसा का सुप्रसिद्ध पुस्तकालय भारतीय इतिहास की स्मृति मात्र रह गए हैं; असंख्य बौद्ध-विहारों और जैन उपाश्रयों के पोथी-संग्रह भी कथावशेष रह गए हैं।

चीन, जापान, तिब्बत, ब्रिटेन आदि देशों में जो असंख्य एवं मूल्यवान् भारतीय पोथियाँ प्रवासित हुईं उनकी तथ्य-विवरणिका प्रस्तुत करना कठिन ही नहीं असंभव भी है, किन्तु उसकी रूप-रेखा मात्र से ही विदित हो सकता है कि राष्ट्र की यह दुर्लभ-संपत्ति समय-समय पर किस प्रकार हम से दूर होती गई।

चीन में

ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर विदित होता है कि चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचारकार्य ईसा की कुछ शताब्दियों पूर्व से ही आरंभ हो गया था। हान-वंश के सम्राट मिंग अथवा मिंगी ने सन् ६४ ई० में अपने कुछ पंडितों को बौद्ध-दर्शन संबंधी साहित्य की खोज और शान-प्राप्ति के लिए भारत भेजा। किंतु खोतान में उन पंडितों की भेट चीन जाने वाले कुछ भारतीय बौद्ध मिक्षुओं से हो गई और वे सब चीन को लौट गए। इन भारतीय बौद्ध-मिक्षुओं के नाम थे काश्यप मातंग (किअ-एहमोतांग) और धर्मरल या गोवर्धन (धु-फा-लन्)। ये प्रथम भारतीय मिक्षुद्वय जब चीन में प्रविष्ट हुए तो सम्राट ने उनका आदर-सत्कार किया और उनके निवास-स्थान के लिए लोयांग में श्वेताश्व (पाइ-मा-स्म) नामक विहार का निर्माण कराया। कुछ दिनों बाद लोयांग का वह बौद्ध-विहार बौद्ध-संस्कृति का सुग्रसिद्ध केंद्र बन गया। सम्राट् मिंग का शासनकाल सन् ५८-७५ ई०

है। वे भिषुद्वय अनेक बौद्ध धर्म विषयक पोथियाँ साथ ले गए और वहाँ आकर उन्होंने उनका अनुवाद किया। काश्चप मातंग ने चीनी भाषा में प्रह्ले-वहल जिस पोथी को अनुदित किया उसकी एक प्रतिलिपि आज भी शांतिनिकेतन के संग्रहालय में विद्यमान है।

उच्चरी तातार के बई-बंश की राज-महिला बु ने ५१८ ई० में सुंग-युन् और हुई-सेंग नामक पंडितों को ग्रंथ-संग्रह के लिए उज्जयिनी और गंधार भेजा। इन पंडितों ने कुछ दिन भारत में रह कर ज्ञानार्जन किया और स्वदेश लौटते समय १७० महत्वपूर्ण पोथियाँ साथ लेते गए। चीन के दूसरे सम्राट् बु ने ५१९ ई० में पोथियों के अन्वेषणार्थ मगध में अपने पंडितों को भेजा। मगध के तत्कालीन राजा जीवगुप्त ने उन चीनीपंडितों का अन्त्य समादर ही नहीं किया; अग्रिम अपने राज्य में बौद्ध-पोथियों का संग्रह कर अपने पंडित परमार्थ के साथ उन्हें चीन वापस भेजा। इसी प्रकार इ-एह के राजा चि ने ५७५ ई० में ग्यारह विविध भाषा-विद् विद्वानों को मारत भेजा। वे विद्वान् लगभग ढाई सौ पोथियाँ चीन ले ही जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में विदित हुआ कि चेऊ-बंश तथा बु-बंश के राजा बौद्धधर्म-दोही बन गए हैं। फलतः वे तुर्किस्तान में ही रुक गए और जिनगुप्त प्रश्निभारतीय बौद्ध-भिषुओं के सहयोग से उन्होंने उन भारतीय पोथियों का चीनीभाषा में अनुवाद किया। सम्राट् ताई-चि ने भी १५० भिषुओं को भारत भेजा और वे असंख्य महत्वपूर्ण ग्रंथ साथ ले गए।

इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध परिवाजकत्रय फा-हियान्, हुएन्-सांग और ईत-सिंग कई वर्षों की भारतीय यात्रा के बाद सहस्रों पोथियाँ और महत्वपूर्ण आलेख चीन ले गए। फा-हियान् पहिला चीनी यात्री था जिसने भारतीय इतिहास पर काफी शोष किया। यह बौद्ध भिषु काशगर-खोतान होता हुआ पह्ले-वहल कश्मीर में प्रविष्ट हुआ और संपूर्ण उच्चरी भारत तथा मगध आदि प्रदेशों का भ्रमण कर ताम्रलिपि से सुभद्रपथ द्वारा सिंहल होता हुआ १५ वर्ष बाद लौट कर चीन गया। भारत के अतिरिक्त श्री लंका से भी यह यात्री अनेक पोथियाँ साथ ले गया था। इसी यात्री के साथ चे-येन और पाओ-युन् नामक दो भिषु और आए थे, जिन्होंने कश्मीर में रुककर संस्कृत-गोथियों का अनुवाद कर चीन भेजा।

दूसरे चीन यात्री हुयेन्-सांग के विषय में सुप्रसिद्ध इतिहासकार बिसेंट रिम्य लिखता है कि 'यह यात्री मार्ग की अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ साथ में बुद्ध भगवान् की मूल्यवान् स्तरण-रक्त-प्रतिमाएं और २० घोड़ों पर ६५७ वृहत्काव भारतीय

पोथियाँ भी लेता गया। अपने जीवन का शेष भाग उसने उन पोथियों का चीनी-भाषांतर करने में विताया। ६६९ ई० तक उसने ६४ ग्रंथों का अनुवाद कर डाला था।' वह ग्रंथ-संग्रह ५२० जिल्हों में विभाजित था, जिसको सिगान्-फु के हुँग-फु विहार में रखा गया। १७ वर्ष बाद वह लौटकर गया।

ईतिहा सीरा द्वितीय था जो जावा, सुमात्रा, मलय, नीकोबर होकर ताम्रलिसि के मार्ग से भारत आया। श्रीविजय (सुमात्रा) में उसने संस्कृत का श्राव्ययन किया और नालंदा, राजगिरि, बुद्धगया, वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती तथा वाराणसी प्रभृति भारतीय विद्या-केंद्रों तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर लगभग ४०० बौद्ध-गोथियों को वह जाते समय साथ लेता गया। कुछ पोथियों का अनुवाद उसने सुमात्रा में बैठ कर किया। ६८६ ई० में वह स्वदेश लौटा।

और भी कई चीनी-बौद्ध भारत आये। शिह-चे-मंग और फा-यंग नामक भिक्षु-द्वय भी अनेक ग्रंथ चीन ले गए। शिह-चे-मंग को कुसुमपुर (पटना) निवासी रेवत नामक ब्राह्मण से अनेक सुंदर और व्यवस्थित पोथियों प्राप्त हुई थीं। फा-यंग २५ भिक्षुओं को भी साथ लाया था। वे वहाँ से जिस महावृपूर्ण पोथी को चीन ले गए उसका नाम था—अवलोकितेश्वर-महास्थानप्राप्त-व्याकरणसूत्र। चीन को जितनी भी पोथियाँ प्रवासित हुईं उनमें श्रविकांश संस्कृत-भाषा की थीं।

नंदी अथवा पुण्योपाय नामक एक भारतीय बौद्ध भिक्षु सिंहल से महायान और स्थविरवाद के लगभग १५०० ग्रंथ लाद कर चीन ले गया, जिनमें कई पोथियों का चीनी भाषा में सफल अनुवाद हुआ।

आज भी चीन में राष्ट्र-निर्माण के साथ-साथ साहित्य-निर्माण की आधुनिकतम वैज्ञानिक योजनाओं को बड़े चाव से प्रोत्साहन दिया जारहा है। संप्रति चीन में छु: बृहत्-पुस्तकालय है—राष्ट्रीय पीपिंग-पुस्तकालय, नानकिंग-पुस्तकालय, चुंग्किंग-पुस्तकालय, लान्-चौ-पुस्तकालय, बन्यांग-पुस्तकालय और बू-छांग-पुस्तकालय। राष्ट्रीय पीपिंग-पुस्तकालय चीन का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी गणना विश्व के बृहत्तम पुस्तकालयों में की जाती है। इस पुस्तकालय की स्थापना का का श्रेय मिंग (१३६८-१३४४ ई०) और छिंग (१६४४-१६११ ई०) वंशीय राजाओं को है। इसमें संपति देशी-विदेशी भाषाओं की लगभग २५ लाख पुस्तकें विद्यमान हैं, जिनमें बौद्ध सूत्रों के अपेक्षे ४,३०० भाग हैं, जो सुंग-वंशीय युग (११४८-११७३ ई०) में लकड़ी के ब्लाकों द्वारा छापे गए थे।

जापान में

चीन से बौद्धधर्म का प्रचार जिन-जिन देशों में हुआ, जापान का उनमें प्रमुख स्थान है। जापान में छठीं शताब्दी के आस-पास बौद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ। बौद्धधर्म को अधिक स्थायी और व्यापक बनाने के हेतु अनेक बौद्ध-भिक्षुओं द्वारा बहुत-सी संस्कृत-पोथियाँ चीन से जापान ले जाई गईं। बौद्ध-धर्म की इन पोथियों ने और बौद्ध-धर्म के प्रचारकों ने बौद्ध-धर्म के प्रति जापान में एक उत्कंठा जागरित कर दी। फलतः वहाँ की एक शिशु (सुखावती) नामक बौद्ध-संस्था ने अपने दो सुयोग्य विद्वानों, बनयोगु-नाजिओ और कासावारा, को १८७६ ई० में संस्कृत भाषा के अध्ययनार्थ आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में भेजा। कासावारा की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। तीसरे जापानी पंडित ताकाकुसू भी आक्सफर्ड से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर जापान वापस गए। उक्त पंडितद्वय ने जापान में संस्कृत-भाषा का अच्छा प्रचार करने के साथ बाहर से आई हुई बौद्ध-पोथियों का बड़े मनोयोग से अध्ययन तथा अनुवाद किया।

जिस समय मैक्समूलर आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक थे उस समय उन्होंने नाजिओ और ताकाकुसू द्वारा जापान से एक 'सुखावती व्यूह' नामक संस्कृत पोथी को अवलोकनार्थ मँगाया। वह पोथी चीनी-भाषा में अनूदित थी और उसका उच्चारण जापानी लिपि में उल्लिखित था। तदुपरात भी महापंडित मैक्समूलर द्वारा अनेक महत्वपूर्ण हस्तालिखित और प्रकाशित संस्कृत-ग्रंथ जापान से आक्सफर्ड मँगाए गए, उनकी प्रतिलिपियाँ कराई गईं और आज भी वे ग्रंथ और उनकी प्रतिलिपियाँ आक्सफर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन ग्रंथालय में सुरक्षित हैं। उनमें प्राकृत और संस्कृत में लिखी हुई कुछ ताइपत्रीय पोथियाँ तो बड़े ही महत्व की हैं। सिंहली और बर्मी लिपियों में लिखी हुई कुछ पाली-पोथियाँ भी जापान से प्राप्त हुई हैं।

काश्यप, धर्मरक्ष, धर्मपाल, बोधिरचि, बोधिधर्म, कुमारजीव, परमार्थ, प्रश्नतर प्रभृति भारतीय बौद्धपर्यटक बौद्धधर्म के प्रचारार्थ न केवल दुर्गम पर्वत-पर्यों को पारकर जापान आदि देशों में असंख्य भारतीय पोथियाँ साथ ले गए; अपितु उन्होंने उन देशों की भाषाओं में भी अद्भुत कृतियों की रचनाकर अपने प्रखर पांडित्य और साथ भारत के नाम को भी गौरवान्वित किया।

तिब्बत में

किंवदंती है कि तिब्बत के नरेश अंबु के राजप्रासाद में दैवयोगात् ऊपर से एक ऐसी पेटी गिरी बिसमें 'करण्ड-न्यूहसूत्र' को एक हस्तालिखित पोथी, 'ओं मणि पद्मे हुं'

एक लिखित मंत्र तथा स्वर्ण-चैत्य एवं चितामणि की एक मूर्ति विद्यमान थी। यह किंवदंती उंतनी प्रामाणिक न भी हो; किंतु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्य देशों की भाँति तिब्बत में भी भारतीय पोथियाँ बहुत बड़ी संख्या में प्रवासित हुईं। अनेक बौद्ध-पर्यटकों और धर्म-प्रचारकों के साथ ऐसी असंख्य मूल्यवान् पोथियाँ भारत से तिब्बत को गईं, जो संप्रति भारत और संसार में कहीं भी अनुपलब्ध हैं। काल-कविता हो जाने के उपरांत आज भी ताङ्पत्र, भोजपत्र और मांडपत्र पर लिखी हुई पाँचवीं से दशवीं शताब्दी तक की सहस्रों पोथियाँ तिब्बत में पाई जाती हैं।

सन् ६१६ ई० में थौमी-संभोत नामक विद्वान् ने भारत में श्राकर ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया और वह 'व्याकरणमूल-विशद-नाम' तथा 'व्याकरण-लिंगावतार' नामक व्याकरण-ग्रंथों को अनेक अनूदित ग्रंथों सहित तिब्बत ले गया; जिनका परिचय समय-समय पर मिलता रहा। १०१३ ई० में अपनी शिष्यमंडली के साथ सुप्रसिद्ध अनुवादक धर्मपाल और १०४२ ई० में अतिशा नामक भारतीय पंडित तिब्बत गए और वहाँ उन्होंने तंत्र-ग्रंथों का सफल अनुवाद किया।

अनेक विद्याप्रेमी और बौद्ध धर्मानुयायी नरेशों ने भारतीय विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया। ऐसे नरेशों में किलि-सो-त्सान का नाम उल्लेख्य है। इन विद्यानुरागी नरेशों ने संस्कृत पोथियों के अध्ययनार्थ खोतान और भारत से पंडितों को बुलाया। इन्हीं के राज्यकाल में चीन से प्राप्त 'मुवर्ण-प्रभात-सूत्र' और 'कर्मशतक' का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। अनुवादक विद्वानों में धनशील, यद्बवर्मा और जिनमित्र प्रमुख भारतीय भिक्षुओं के नाम उल्लेख्य हैं। इसी समय सुप्रसिद्ध पंडित अग-सोम ने तिब्बती भाषा में आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्रविषयक संस्कृत-ग्रंथों का अनुवाद किया।

नालंदा विश्वविद्यालय के अनुकरण पर लासा में सम्ये नामक महाविहार की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी कि सरलता-पूर्वक भारतीय पोथियाँ वहाँ एकत्र की जा सकें और भारतीय पंडितों के सहयोग से उनके तिब्बती भाषा में अनुवाद किए जा सकें। 'महाव्युत्तर्चि' नामक संस्कृत-तिब्बती महाकोश के अनुवादक पद्मसंभव और कमलशील नामक विद्वान् सन् १८७४ ई० में भारत आए और अनेक महत्वपूर्ण पोथियाँ तिब्बत ले गए। नागर्जुन, चंद्रकीर्ति, अश्वघोष, वरशच्चि, रविगुप्त और कालिदास प्रमुख आचार्यों-महाकवियों की कृतियाँ तिब्बत पहुँचीं जो एक दिन सफल तिब्बती-अनुवाद के रूप में वहाँ प्रचारित हुईं। 'रामायण' और 'महाभारत' की अनूदित पोथियों से वहाँ

की जन-प्रकृति अत्यधिक प्रभावित हुई और जहाँतक बने सका भारत से इस्तलिलित पोथियाँ तिब्बत को प्रवासित होती गईं।

हाल ही में महार्पित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत-यात्रा के समय धर्म, दर्शन, व्याकरण और काव्य-विषयक अनेक भारतीय पोथियों को खोज निकाला। उन पोथियों में तेरहवीं शताब्दी की लिखी हुई भगवदत्तकृत 'माघ काव्य' की टीका 'तस्व कौमुदी' के अतिरिक्त बौद्ध-दर्शन-विषयक आचार्य बुद्ध श्रीज्ञान (श्राट्वीं शताब्दी) कृत 'अभिसम्यालंकार' की टीका 'प्रज्ञाप्रदीपावली' और 'शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता' आदि के नाम उल्लेख्य हैं।

कुन्देलिंग महाविहार में रखी हुई कुछ ताङ्गतीय पोथियों का भी राहुल जी ने पता लगाया। वहाँ उन्हें नैयायिक धर्मकीर्ति कृत 'वादान्य' पर नालंदा के आचार्य शांत-रक्षित द्वारा लिखी हुई एक महत्वपूर्ण टीका उपलब्ध हुई। उस टीका-ग्रन्थ का विस्तार लगभग २००० श्लोकों का था और लिपिकाल १० वीं शताब्दी। आचार्य धर्मकीर्ति का यह ग्रन्थ आज केवल भोटिया-भाषा में लिखा हुआ मिलता है। इसका मूलरूप संस्कृत में था। उक्त विहार में ही प्राप्त अन्य दो पोथियाँ—'अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता' और 'सद्धर्मपुंडरीक' के विषय में राहुल जी का कहना है कि "प्रज्ञापारमिता महाराजा मही-पालदेव गौडेश्वर (६७४-१०२६ ई०) के समय में लिखी गई थी। इन दोनों पुस्तकों की काष्ठ-ग्रन्थिकाओं पर सुंदर बहुरंगे चित्र बने हुए हैं। ... कुटकर पत्रों में तीन पत्र ऐसे भी मिले हैं जिनमें सिद्ध गोरखनाथ के पद हैं।"

आज भी तिब्बत के कान-जुर और तान्-जुर नामक बौद्ध-संग्रहों से विदित होता है कि भारत से कितनी अधिक पोथियाँ तिब्बत को प्रवासित हुईं।

ब्रिटेन में

भारत की जो अपरिमित साहित्य-संपत्ति ब्रिटेन को प्रवासित हुई उससे आज भी वहाँ के ग्रंथालय और संग्रहालय सुशोभित हो रहे हैं। लंदन-स्थित इंडिया आफिस, ब्रिटिश एशियम, एशियाटिक सोसायटी और कामनवेल्थ जैसे विशाल संग्रहालय भारतीय ज्ञान से ज्योतित हो रहे हैं। अकेले कामनवेल्थके ग्रंथालय में ४००० से अधिक अमूल्य भारतीय पोथियाँ संग्रहीत हैं, जिनकी भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी तथा तिब्बती हैं और जो दर्शन, धर्म, संगीत, काव्य, नाटक, गणित आदि विषयों में वर्गीकृत हैं। वहाँ की लगभग १५० हिंदी की पोथियाँ ३०० वर्ष प्राचीन हैं। हिंदी की पोथियों में पृथ्वीराज रासो,

हम्मीर रासो, कवीरबचनावली, पदमावत, रामचरितमानस, कविप्रिया, रामचंद्रिका और विहारी सतसई की अनेक प्राचीन प्रतियाँ सुरक्षित हैं।

कामनवेल्थ-पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथियों को रखने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। वहाँ का संग्रह भी अद्वितीय है। सुनसिद्ध दार्शनिक दाराशिकोह ने जिन भारतीय उपनिषदों का सन् १६२४ ई० में अपने राज-पंडितों के सहयोग से संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया उस अनुवाद का हिंदी-खण्डांतर कामनवेल्थ-पुस्तकालय में विद्यमान है। इसका हिंदी-अनुवाद प्रह्लाद पंडित ने १७१८ वि० में किया था।

इसी प्रकार ब्रिटिश ग्रन्जियम में भी अनेक नयनाभिराम अनुपलब्ध पोथियाँ संग्रहीत हैं। संस्कृत आदि भाषाओं की पोथियों के अतिरिक्त वहाँ ६० हिंदी की पोथियाँ सुरक्षित हैं, जिनमें बल्लभानार्य का जीवनचरित, लीलावती, वैद्यमनोत्सव, छोक-मंजरी, कोकसार-विधि, संगीत-दर्पण और संगीत-रवाकर आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी के प्रकाशित कैटलॉग को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि भारतीय पोथियों का कितना महत्वपूर्ण संग्रह वहाँ विद्यमान है। इंडिया आफिस में पोथियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण पुरातत्व-संबंधी ऐतिहासिक आलेख भी सुरक्षित हैं। इस मूल्यवान् सामग्री को लौटाकर भारत लाने के लिए भारत सरकार की इस समय बातचीत हो रही है। इंडिया आफिस की हिंदी-पोथियों में रामायण, योगवाशिष्ठ भाषा, रामविनोदबचनिका, उपनिषद-नृसिंहतापनी, छांदोग्य उपनिषद्, २३ उपनिषद्-संग्रह, अध्यात्मरामायण, कवीरबचनावली और हरिदास के पदों का अद्वितीय संग्रह विद्यमान है। इसी प्रकार एशियाटिक सोसायटी में रखी हुई हिंदी-पोथियों में राठौर-वंशावली, शाहीनामा, सोमवंश की वंशावली, राजतरंगिणी तथा गागवत पुराण जैसी दुष्पाप्य पोथियाँ संग्रहीत हैं।

चीन, जापान, तिब्बत और ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों में भी भारतीय-पोथियाँ प्रवासित हुईं। अरब, फारस और तुर्किस्तान में भी पर्याप्त पोथियाँ पहुँचीं। अन्य देशों की भाँति वहाँ भी यह कार्य बाँद्द-भिक्कुओं द्वारा आरंभ हुआ। धार्मिक एकता के नाते बाहरी देशों से अनेक भिन्न तथा पर्यटक भारत आए और ज्ञान-शर्जन के साथ-साथ पोथियों को भी अर्जित कर वे साथ लेते गए। ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में लिखित अनेक पोथियाँ मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं। ‘धम्मपद’ की जिस ताङ्गत्रीय पोथी को फ्रांसीसियों ने खोज निकाला था वह कुषाण-कालीन थी और उसका समय द्वितीय शतक था। इसी प्रकार

तुकिंस्तान और खोतान में भी खरोष्टी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखी हुई अनेक पोथियाँ उपलब्ध हुई हैं।

मिस्र, यूनान और ईराक के व्यापारियों ने जब भारत की हस्तलिखित पोथियाँ अपने देशवासियों को दिखाईं तो उन्हें रक्तगर्भा भारतभूमि की इस साहित्य-संगति को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इयाम, कंबोडिया और मलय आदि द्वीपों में भी भारतीय पोथियाँ पहुँचीं। चीनी-यात्री ईस्तिंसग के यात्रा-विवरणों से विदित होता है कि कोरिया के हृष-एह, हुएन-त्ताइ (सर्वजदेव) हुए-छन्; बौद्धर्म (फौ-तो-तमो) संघवर्मा (सेंग-किश्चा-गो-ओ) प्रभृति भित्तुओं द्वारा भी भारतीय पोथियाँ कोरिया को गईं।

‘दशचित्र-तत्त्वण’ नामक एक शिल्प-शास्त्र का प्रथ, जिसको लार्ड कर्जन ने अनेक ग्रंथोंसहित नेपालराज्य के पुस्तकालय से निकालकर विलायत भेजा, उसीकी एक प्रति तंजौर के प्राचीन पुस्तकालय में सुरक्षित थी। वह भी किसी प्रकार अर्मनी पहुँची और इलाफर नामक एक विद्वान् द्वारा अनूदित होकर लिपजिग के एक पुस्तकालय से सन् १६१२ ई० में उसका प्रकाशन हुआ। शिल्पशास्त्र जैसे असाधारण विषय पर लिखी गई उक्त पोथी को देखकर विश्व के विद्वानों को आश्चर्य हुआ कि भारत को हजारों वर्ष पूर्व शिल्पशास्त्र जैसे विषय की जानकारी ही नहीं थी; अपितु वहाँ उस विषय पर पुस्तकें भी लिखी जाने लगी थीं।

एतद्विषयक एक समाचार १ अगस्त, '४५ के दैनिक हिंदुस्तान में देखने को मिला था। सुपरिचित इतिहासकार एवं साहित्यकार डा० रघुवीर चीन, मंगोलिया और मध्य-एशिया से बहुत बड़ी संख्या में हस्तलिखित पोथियाँ, तत्त्वज्ञान और महत्वपूर्ण पुरालेखों को साथ ला रहे हैं। डा० रघुवीर चीन की राष्ट्रीय विज्ञान और साहित्य-परिषद् (एकेडेमिया सिनिका) के आमंत्रण पर चीन गए थे। वे जिस सामग्री को साथ ला रहे हैं उसका वजन लगभग १० टन है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि इस अमूल्य संग्रह से भारत के साथ मध्य एशिया, मंचूरिया, चीन, जापान और कोरिया के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के (पहली शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक) युग को आलोकित किया जा सकेगा। भारत के लिए यह सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।”

तिब्बत और मंगोलिया से डा० साहव को दस-सहस्र धार्मिक पोथियाँ प्राप्त हुई हैं। ग्यारहवीं शती में चित्रित चीनीत्रिपिटक भी उक्त सामग्री में सम्मिलित है। ८८ भागों का एक दूसरा संग्रह है जिसमें तांत्रिक मंत्रों से भरे दस-सहस्र पृष्ठ हैं। ८० से भी अधिक

ऐतिहासिक पुरालेलों के श्रवणीष, लगभग १०० मंगोलिया के भित्तिचित्र तथा पत्थर, लोहे और काठ की बनी मूर्तियाँ उक्त संग्रह में विशेष रूप से उल्लेख्य हैं।

इस प्रकार आमूल अनुशीलन करने के पश्चात् विदित होता है कि इस्ती पूर्व की कुछ शताब्दियों से लेकर आज तक भारत की यह अद्वितीय राष्ट्रीय-संपत्ति कितने बड़े परिमाण में विदेशों को प्रवासित होती रही और उक्तके अभाव में हमारा साहित्यिक और सांस्कृतिक अभ्युत्थान किस प्रकार गतिशब्द होता गया।

आज भी ऐसे मूल्यवान् ग्रंथरत्नों से भारत के सहस्रों घर भरपूर हैं। आज भी हमारे मठ-मंदिरों, ग्रन्थागारों और राजा-महाराजाओं के सरस्वती-भंडारों में अपरिमित गोथियों सुरक्षित हैं। पचासों संस्थाएं और हजारों व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य करने की कामना करते हुए भी अर्थाभाव और अन्य अनेक कठिनाइयों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह एक गंभीर विचार का विषय है कि अपने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए राष्ट्रीय सरकार और देश के विदानों का ध्यान इस दिशा में आकर्षित हो।

महाभारतकाल-निर्णय

[श्री पंड्या वैजनाथ जी]

भगवान् श्री वासुदेव कृष्ण के स्वर्गारोहण पर कलियुग का आरंभ हुआ और तब ही से कलिसंवत् का भी आरंभ हुआ । ऐहोले के शिलालेख में एक जैन मंदिर बनने की तिथि भारत-युद्ध से ३७३५ और शकसंवत् के प्रारंभ से ४५६ वर्ष बाद की लिखी है (एपी० इंडि० जि० ६ - पृ० ७) । यह कलिसंवत् पंचांगों में बराबर चला आता है और सन् १९५६ ई० में वह कलिसंवत् ५०५७ है । इस हिसाब से कलिसंवत् ईस्वी सन् से ११०१-२ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ । यही श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण का समय था और इस हिसाब से महाभारतकाल ११५२-५३ ई० पूर्व निकलता है क्योंकि युद्ध के पश्चात् युधिष्ठिर ने १५ वर्ष तक तो अपने चाचा धृतराष्ट्र की आजानुसार और तदनन्तर ३६ वर्ष तक अपनी बुद्धि के अनुसार स्वतंत्र राज्य किया । इसके अंत में श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण का समाचार सुनकर परीक्षित को राज्य सौंपा कर वे हिमालय को चले गये । रा० वा० चिंतामणि-विनायक वैद्य इस मत को स्वीकार करते हैं । पर पुराणों में एक दूसरा मत भी है जिससे प्रभावित होकर तिलक, दीक्षित, रमेशचंद्रदत्त, और बहुतसे पश्चिमीय विद्वान् भी भारत युद्ध को १४००-१५०० ई० पूर्व हुआ मानते हैं । वह पुराण-मत इस प्रकार है :—

महादेवाभिषेकात्तुयावत्तजन्मपरीक्षितः । एतद्वर्ष (एकवर्ष) सदस्यं तु ज्ञेयं-
पंचाशदुत्तरं ॥ — वायुपुराण ।

[महादेव के अभिषेक से परीक्षित के जन्मपर्यंत १००० वर्ष या १००१ वर्ष हुए और उसमें ५० वर्ष कम (या अधिक) हुए ।]

महादेव नाम से कित राजा का अर्थ है यह संदिग्ध रहा । मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण एवं श्रीमद्भागवत में भी ऐसे श्लोक हैं पर महादेव के बदले महापदम् का या नंद का नाम है । जिस समय विद्वानों ने महाभारतकाल १४०० संवत् ६० पूर्व निश्चय किया तब इतने ही शान के आधार पर यह निर्णय हुआ था । पर इस निर्णय में इस लेखक की समझ में एक बात पर थोड़ा भी विचार नहीं हुआ ऐसा जान पड़ता है । वह श्रीमद्भागवत (११-१०), विष्णुपुराण (५-३७) और महाभारत (मूसलपर्व अ० ८) आदि ग्रंथों में लिखी बात है कि “श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण के सातवें दिन द्वारका समुद्र में ढूब जायगी ।” इमें यह विचार करना आवश्यक

है कि क्या वास्तव में द्वारका समुद्र में डूबी और यदि डूबी तो उस प्रलय का असर और कहीं भी पड़ा या नहीं। हम जानते हैं कि बाहिल में नोआ (Noah) के प्रलय की बात लिखी है और वह बात सुमेरियादेश के पुराने समय की है। वहाँ ईस्थी पूर्व ३००० वर्ष के लगभग एक प्रलय हुआ था जिसमें उस देश की राजधानी उर (Ur) ऊंचे पर होने के कारण बच गई; पर उसके आसपास का देश, ४०० मील लंबा और १०० मील चौड़ा, गहरे जल में डूब गया और इतने समय तक डूबा रहा कि वहाँ की बस्ती के ऊपर आठ फुट से अधिक पंक-मिट्टी का स्तर जमा हो गया। इसके नीचे तथा ऊपर बस्ती के चिह्न मिलते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इसी प्रलय की बाढ़ में द्वारका भी डूब गई। कुछ भाग द्वारका का अब भी जल में खड़ा है जिसे 'बेट द्वारका' कहते हैं। यात्री वहाँ यात्रार्थ जाते हैं।

इस विषय पर भी पुरातत्व विशेषज्ञों का विचार होना आवश्यक जान पड़ता है कि कैलिडिया के उर ग्राम के जलप्रलय के पश्चात् वहाँ पूर्व से आकर लोग बसे थे। वे कहाँ से गए थे? वे विशेष सम्य थे, खेती और धातुओं का ज्ञान जानते थे, उनके पास लेखन-कला भी थी। एक लेखक ने लिखा है कि असीरिया की राजधानी निनिवेह (Nineveh) का संस्कृत-भाषान्तर शोणितपुर है और इस आधार पर उनका अनुमान है कि श्रीकृष्ण वासुदेव के पोते अनिरुद्ध की पत्नी उषा असीरिया के राजा की पुत्री थी। निनिवेह पुराना ग्राम है पर उसका आदिकाल २००० ई० पू० से अधिक पूर्व का नहीं माना जाता। उर ग्राम के प्रलय का समय लगभग ३००० वर्ष ई० पू० का माना जाता है। प्रलय-जल से जो पंक-मिट्टी आठ फुट गहरी जमा हो गई थी उसके नीचे खोदने पर सुमेरियन लोगों की बस्ती के श्वर और सम्यता के चिह्न मिले हैं जिनका काल ३००० वर्ष ई० पू० का निश्चय हुआ है। २७०० ई० पू० में उन्होंने बड़े-बड़े महल और मंदिर अपनी राजधानी में बनाए थे। सुमेरियन लोगों की सम्यता का समय ४००० ई० पू० से आरंभ होता है। महाभारत-युद्धकाल-निर्णय करने में हमें इन बातों से सहायता मिल सकती है:—

(१) पुरातत्व-विशेषज्ञों-द्वारा हस्तिनापुर की पूरी-पूरी खुदाई होकर उसका अध्ययन करना और अन्य सम्यताओं से उसका मिलान करना और काल-निर्णय करना।

(२) पुराणों में लिखा है कि कुछ छात्रिय देश से बाहर चले गए और वात्य हो गए। बोगाज्कोई (Boghazkoy) पश्चियाई टर्की में २००० ई० पू० काल में हिंडाइट (Hittites) या खची लोगों की राजधानी थी। यहाँ एक लेख लगभग १३८० ई० पू० का मिला है जिसमें हिंडाइट और उनके पड़ोसी मित्राणि (मित्राणि!) लोगों के बीच में

संधि का वर्णन है। मित्तानी राजा के बाप का नाम दशरथ था। मित्तानी के देवता मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य, (अर्थात् अरिवन्) की साक्षी संधि-लेख पर दी गई है। ये ऋग्वेद के भी देवता हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग उन आर्य लोगों में से हैं जो मध्य एशिया से चले थे और अति प्राचीन संस्कृत और उससे निकली भाषाएँ या पुरानी संस्कृत की बहिन भाषाएँ (Indo-European) बोलते थे। ये लोग मेसोपोटेमिया में एक समय प्रवेश कर गए और ४००-५०० वर्षतक राज्य करते रहे। इनमें बहुत से आर्य-नाम व्यवहृत होते थे जैसे ऊरवर्णित नाम दशरथ। मित्तानी लोगों में एक रथ-दौड़ की पुस्तक थी जिसे किस्कुली नाम के लेखक ने लिखी थी। इसमें कई संस्कृत शब्द व्यवहृत हैं जैसे 'एकवर्तन', 'त्रिवर्तन', 'पंचवर्तन' 'शतवर्तन'। वर्तन शब्द का अर्थ रथों की दौड़ में मोड़ का है। २० पूँ की चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दियों में संस्कृत से मिलते-जुलते नाम मित्तानी राजाओं के तथा बोगाजकोई के पत्रव्यवहारों में मिलते हैं। पारजियर और जैकोबी इन मित्तानियों को भारत से गए ब्रात्य बताते हैं। मेसोपोटेमिया में अभी खुदाई जारी है, इटों के लेख मिले भी हैं। हम लोगों को वहाँ की खुदाई का अध्ययन करते रहना चाहिए; कदाचित् उससे हमारे देश के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़े। हिटाइट जाति के साथ कास्साइट जाति (Kassites) का वर्णन आता है। ये भी आर्य जाति के थे पर वे कहाँ से गए थे? यह ठीक नहीं मालूम। क्या ये भारतवर्ष से निकले ब्रात्यों में से थे? पुरातत्वज्ञों का विचार है कि आर्यलोग मध्यएशिया से रूस के दक्षिण होते हुए कुछ अंश में एशियामाझनर में उतरे। उनमें दो प्रकार के आर्य थे। मित्तानी राजाओं में दशरथ नामक राजा लगभग १४०० ई०पू० का था तो क्या हमारे राजा दशरथ इसके पूर्व हो चुके थे? इस प्रकार मध्यएशिया के पुरातत्व के अध्ययन से बहुतसी नहीं समस्याएँ उत्तर होती हैं जैसे असुर एक अनार्य जाति थी। भस्मासुर भारत के ईशान कोण में श्रीकृष्ण वायुदेव का समकालीन राजा था। असीरिया (Assyria) देश के लोग भी असुर कहलाते थे।

अंत में इस लेख से मेरा हेतु यही है कि महाभारत काल का प्रश्न उठाकर द्वारका के समुद्र में डूबने के काल और प्रस्तुत पर विशेषज्ञों का विचार जानूँ। मैंने कुछ पुरातत्वज्ञों से इस विषय में जिज्ञासा भी की, पर कोई उत्तर न मिला। पर श्रव श्राशा करता हूँ कि इस लेख के पत्रिका में छपने से कोई पुरातत्वज्ञ कृपाकर इस शंका का समाधान करेंगे।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष : ६० संवत् २०१२ : अंक २



उपनिषदों में तत्त्वचिन्ता का विकास

[श्री रमाशंकर तिवारी]

“आत्मा को ब्रह्म-रूप से प्रतिष्ठित करने वाले रिंगर ज्ञान” का निरूपण उपनिषदों की प्रतिगाथ वस्तु है। प्रसिद्ध जर्मन पंडित शोपेनहर का कथन है कि श्रौपनिषदिक सिद्धान्त एक प्रकार से अपौरुषेय ही हैं। ये जिनके मस्तिष्क की उपज हैं, उन्हें केवल मनुष्य कहना कठिन है। तत्त्वचिन्ता का जो विकास उपनिषदों में निर्दर्शित है, उसके तीन स्पष्ट सोपान परिलक्षित हैं। पहले में सृष्टि का मूलतत्त्व जल से लेकर किसी श्रगोचर सत्ता को कल्पित किया गया है; दूसरा ब्रह्मभावना के विकास से संबंधित है तथा तीसरे में आत्मा एवं ब्रह्म का तादात्म्य प्रतिपादित किया गया है।

(१)

बृहदारण्यक (५, ५) में कहा गया है कि यह व्यक्त जगत् पहले जल ही था। छान्दोग्योपनिषद् (७, १०) में जल का महत्व-निरूपण करते हुए कहा है कि ‘यह पृथिवी मूर्तिमान् जल है तथा अंतरिक्ष, द्युलोक, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण-वनस्पति तथा कीट-पतंग एवं पिपीलिका तक जिनने प्राणी हैं, वे सभी मूर्तिमान् जल ही हैं। अतः तुम जल की उपासना करो।’ इस उद्धरण से जान पड़ता है कि जल के जीवन-विषयक महत्व की स्थापना करने के हेतु ही बात कुछ बढ़ानड़ा कर कही गई है। अमरकोश में जल को जीवन का पर्याय माना गया है।^१ किन्तु, कठोरनिषद् में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि आत्मा जल से उत्पन्न हुआ—“अदृश्यः पूर्वमज्जायत।” इसी प्रकार, ऐतरेयोपनिषद् (१, १) में सृष्टिक्रम का वर्णन करते यह कहा गया है कि आत्मा अथवा परमात्मा ने जल को उत्पन्न करने के बाद उसमें से एक व्यक्ति को निकाला तथा उसे अवयवयुक्त किया और उसके भिन्न-भिन्न अंगों से जगत् एवं मनुष्य की रचना की। यहाँ यह जानकर किंचिद् आश्रय होता है कि आदिम यज्ञानियों तथा यहूदियों का भी अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धान्त था कि ‘सृष्टि का मूलतत्त्व जल ही है’। आधुनिक भूशास्त्र-वेत्ताओं ने

१ - आपः स्त्री भूमिन् वार्षीरि सलिल कम्लं जलम्।

८ः कीलालममृ॒ जीवनं मुवनं चनम्॥—अमरकोश।

पृथिवी को अत्युभाष-प्रवाही पदार्थ का गोला मानते हुए भी, जगत् के भौतिक विकास में जल का महस्त स्वीकार किया है। उनका मत है कि पृथिवी ठंडी हो जाने पर धरातल पर जल दीख पढ़ने लगा तथा चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इस निश्चैतन्य युग की प्रमुख चट्टानों में 'नीस' चट्टानें जल से ही निर्मित हैं तथा यह भी पता लगाया गया है कि पृथिवी पर उद्भूत प्रथम प्राणी प्रवालकीट (जूफाइट्स) थे जो सुमुद्र के गर्भ में निवास करते थे।

जल के बाद सूष्टि का मूलतत्त्व आकाश अधिक दार्शनिक ढंग से निरूपित किया गया है। छान्दोग्य प्रथम अध्याय के अष्टम एवं नवम खंड में, तीन व्यक्तियों—शिलक, दालभ्य तथा प्रवाहण—में उद्गीथ अर्थात् 'सामन्' की उत्पत्ति के विषय में हुए विवाद का वर्णन किया गया है। ये तीनों उद्गीथ-विद्या में कुशल पंडित थे। शिलक के पूछने पर दालभ्य ने कहा कि साम की 'गति' अथवा आश्रय स्वर है, स्वर की गति प्राण है, प्राण की गति अज्ञ है, अज्ञ की गति जल है, अथव जल की गति 'वह लोक' है। शिलक के फिर पूछने पर कि उस लोक की गति क्या है, दालभ्य ने कहा, "स्वर्गलोक का अतिकमण करके साम को किसी अन्य आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम साम को स्वर्गलोक में ही स्थित करते हैं क्योंकि स्वर्ग-रूप से ही साम की स्तुति की गई है।" शिलक ने इस व्याख्या का किंचिद् उपहास करते हुए कहा कि उस अवस्था में तो साम निश्चय ही 'अपतिष्ठित' अर्थात् निराधार सिद्ध होता है, और उसने अपनी ओर से यह बताया कि साम का आश्रय यह लोक ही है जिसका अतिकमण नहीं होना चाहिए। तब इस कथन को अपूर्ण एवं तर्कहीन मानते हुए तीसरे व्यक्ति प्रवाहण ने अधिक सुस्पष्ट ढंग से यह बताया—“इस लोक की गति आकाश है। समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं तथा आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश ही इनसे बड़ा है, अतएव आकाश ही इनका आश्रय है।”—(“अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यान्त्याकाशो-द्वैवैभ्यो इवायानाकाशः परायणम् ॥”)

इस प्रकार विश्व का मूल उत्स किसी सूक्ष्म तत्त्व को मानने की प्रवृत्ति तैत्तिरीयोप-निषद् (बल्ली २, अनुवाक ७) में स्पष्ट लिखित होती है जहाँ कहा गया है कि 'यह जगत् पहले 'असत्' (Non-being) या तथा इसीसे 'सत्' (Being) की उत्पत्ति हुई।' 'असत्' वाली इस कल्पना का परिवर्द्धित स्वरूप छान्दोग्य (अध्याय ३, खंड १९) में उपलब्ध होता है। विश्वोत्पादक अंडे का वर्णन करते हुए पंडितों का कथन है कि

यह अंड-सिद्धान्त यूनानियों तथा प्राचीन भारतीयों में भी प्रचलित था। छान्दोग्य में ऐसा उल्लेख है—“पहले यह आदित्य किंवा ब्रह्म ‘असत्’ ही था। वह ‘सत्’ हुआ। वह विकसित हुआ और एक अंडे में परिशत् हो गया। वह अंडा एक वर्ष तक उसी प्रकार पड़ा रहा। फिर वह पूटा। उसका एक खंड रबत (चाँदी) और दूसरा स्वर्ण हो गया। रजत-खंड ही यह पृथिवी है तथा स्वर्ण-खंड युलोक है। उस अंडे का ऊपरी स्थूल आवेदन पर्वत है तथा भीतरी सूक्ष्म भाग मेघ और नीहार (कुहरा) है। नदियाँ उसकी धमनियाँ हैं तथा वस्तिगत जल समुद्र है।”

लेकिन उपर्युक्त सूक्ष्म अथवा ‘असत्’ की कल्पना का उसी छान्दोग्य के छठे अध्याय के दूसरे खंड में स्पष्ट प्रत्याख्यान किया गया है। आशणि आपने को वेदविद्या में पूर्ण पारंगत समझने वाले आपने पुनः इवेतकेतु को यह उपदेश देते हैं—“हे सौम्य ! आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय ‘सत्’ ही था। अवश्य ही कुछ लोग यह कहा करते हैं कि आरंभ में एकमात्र ‘असत्’ ही था जिससे ‘सत्’ का उद्भव हुआ। किन्तु, हे सौम्य ! ऐसा कैसे हो सकता था ? असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे संभव है ? आरंभ में यह एकमात्र सत् ही था। उस सत् ने यह सोचा, ‘मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ !’ तब उसने तेज (उष्णता) उत्पन्न किया। × × × उस तेज से जल उत्पन्न हुआ, जल से अज का प्रादुर्भाव हुआ। × × × इन तीनों के संयोग से, जब वे सभी उस आरंभिक सत्ता से पूर्णतया श्रोतप्रोत हो गए, समस्त जगत् एवं भनुष्य की सृष्टि हुई।” यहाँ आशणि ने यह निरूपण किया है कि विश्व का उद्भव चेतन से हुआ है, अचेतन से नहीं।

पुनः, बृहदारण्यक (तृतीय अध्याय, अष्टम ब्राह्मण) में याज्ञवल्क्य ने प्रसिद्ध विदुषी गार्गी के प्रश्नों के समाधान में ‘अक्षरसत्त्वा’ का प्रतिपादन किया है। गार्गी ने जनक की सभा में पंडितों के संमुख याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न किये। पहला प्रश्न यह था, “हे याज्ञवल्क्य ! जो युलोक के ऊपर है, जो भूलोक के भीतर है, जो युलोक एवं भूलोक के मध्य में है, जो स्वयं युलोक तथा पृथिवी है तथा जिसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य कहते हैं — वह किसमें श्रोतप्रोत है ?” याज्ञवल्क्य के यह उत्तर देने पर कि वह आकाश में श्रोतप्रोत है, गार्गी ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश किसमें श्रोतप्रोत है ? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य का कथन अत्यंत महस्त्र का है—“हे गार्गी ! जिसमें आकाश श्रोतप्रोत है वह अविनाशी है। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म, न छोटा है, न बड़ा, न लाल है, न द्रव है, न लाला है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है,

न रस है, न रंघ है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न परिमाण है — × × × न वह कुछ स्वाता है और न कोई पदार्थ उसे स्वाता है। हे गार्गी ! ब्रह्मवेता लोग ऐसा कहते हैं। उसी अद्वार की आशा में सर्व तथा चंद्र नियमित होकर स्थित हैं। × × × इसी अद्वार की आशा से कुछ नदियों पञ्चिम की ओर बहती है। × × ×”^२

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि जगत् के उद्भव एवं विकास के संबंध में चिंतन करते हुए उपनिषद् के अधियों ने क्रमशः जल तथा आकाश जैसे हृष्टमान पदार्थों को, तथा तदुपरान्त असत्, सत् एवं अद्वार जैसी अगोचर सत्ता को सृष्टि का मूलतत्त्व स्वीकार किया। किन्तु, इस प्रकार का चिंतन ऋग्वेद एवं श्रावण्वेद में भी हुआ था और विश्व-रचना के एक केन्द्रीय आधार की कल्पना स्पष्ट हो चुकी थी तथा एकत्वाद (Monism) का आरंभ भी हो चला था। ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में सृष्टि-रचयिता के रूप में कम से कम चार अभिधारों—ब्रह्मणस्ति, विश्वकर्मा, पुरुष तथा हिरण्यगर्भ—का उल्लेख उपलब्ध है। पुनः वैदिक युग के अंत तक ‘प्रजापति’ की कल्पना पूर्ण हो चुकी थी। तदुपरान्त ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के काल तक इसे प्रमुखता मिल गई थी। किन्तु, वह सर्वथेष्ठ धारणा जो वेदांत का आधार है तथा जिसमें अन्य सभी कल्पनाओं का अन्तर्भूत हो जाता है, ब्रह्म की भावना थी। ब्राह्मण-प्रथाओं में इस भावना का उदय हुआ और उपनिषदों में इसे प्रवानता मिली। इसी कारण, श्रीपनिषदिक दर्शन को कभी-कभी ‘ब्रह्मवाद’ की आख्या दी गई है।

(२)

पंडितों का अनुमान है कि ऋग्वेद में ‘ब्रह्म’ शब्द पहले-पहल, ‘मंत्र’, ‘पूतज्ञान’ अथवा ‘रहस्यमय साधन’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ‘ब्रह्मवत्’ या ‘ब्रह्मवर्चस्’ जैसे यौगिक पदों में ‘पुनीत-ज्ञान-निष्णात’ दोनों का ही गाव सन्निहित है। ‘ब्रह्म’ शब्द से उस शक्ति का भी बोध होता था जो मंत्रों, स्तोत्रों एवं पूतज्ञान में गर्भित थी। इसी अंतिम अर्थ से,

२ - स होवा॒ चैतद॑ तदक्षरं गायि॒ ब्राह्मणा॑ अनिवद॒त्यस्थू॒ भनपवहवमदीर्घमलो॒ हितमन्नेहमच्छाय॑
मतभोऽवाय्वनाया॑ शमसंगमरसभगंधम द्वु॒ व॒ भ्रो॒ त्र॒ मवा॒ गमनोऽते॒ जस्कमप्राणमभु॒ खममा॑ व॒ भमन्तर॒ रमवा॑ न तद-॒
श्नाति॒ किचन न तदश्नाति॒ कश्चन ॥” — द्वृदद॑२४४२, ३, ८ (८) ।

“पृतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गायि॑ सर्वाच्छ्रमसौ॒ विष्टौ॒ तिष्टत; पृतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गायि॑ आवापूषित्वी॒ विष्टते॒ तिष्टत; × × × पृतस्य अक्षरस्य प्रशासने गायि॑ प्राच्योऽन्या॑ नवः॒ स्वन्दन्ते॒ श्वंतंभ्यः॒ पर्वते॒ भ्यः॒ प्रती॒ योऽन्या॑ वा॑ च दिशमन्वेतरथ पितरोऽवाभत्ता॑ ॥” — बृदी॑, ३, ८ (६) ।

आगे चलकर 'ब्रह्म' शब्द को सुष्ठि के उस मूल-तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति हुई जो विश्व की रचना एवं धारणा करने वाली शक्ति थी।^३ बृहदारण्यक (१, ४) और मैत्री उपनिषद् (६, १७) में यह कथन है कि वस्तुतः आरंभ में यह जगत् ब्रह्म था। तैत्तिरीयोपनिषद् की दूसरी बल्ली के छठे अनुवाक में कहा गया है —

" × × × सोऽकामयत । वहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽत्ययत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशन् । तदनुप्रविश्य सब्दं स्यामधवत् । निहक्तं चानिहकं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमधवत् । यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचाक्षते ।"

—“उस ब्रह्म ने यह कामना की कि मैं अनेक हो जाऊँ । अतः उसने तर किया । तप के उपरांत जो कुछ विद्यमान है, उस सबकी रचना की । इसे रचकर वह इसी में प्रविष्ट हो गया । इसमें प्रवेश कर, वह ब्रह्म मूर्च्च-अमूर्च, कथ्य-अकथ्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं (व्यवहार में समझा जाने वाला) सत्य-असत्य रूप हो गया । यह जो कुछ है, उसे ज्ञानी लोग 'सत्य' ही पुकारते हैं ।”

उपर्युक्त उद्धरण की तरह ऋग्वेद, ब्राह्मणों तथा अन्य उपनिषदों में भी प्रजनन का ही मादृश्य दिखाया गया है । जैसा पहले संकेतित है, जल एवं आकाश से संबंधित कल्पनाओं में चेतनाव का अभाव है, किन्तु उक्त स्थलों में इसका स्थान संनिवेश हो गया है । यह बात भी द्रष्टव्य है कि ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' एवं ब्राह्मणों में सतत सृष्टि-रचना को धार्मिक महत्व तथा अनुष्ठान का कार्य जताया गया है ।

'केन' उपनिषद् के तृतीय संड में ब्रह्म के यज्ञ-रूप में प्रादुर्भूत होने की कथा कही गई है । देवासुर-संग्राम में ब्रह्म ने, अलक्ष्यमाव से, देवताओं के लिए विजय प्राप्त की । इसे देवताओं ने अपने ही पराक्रम का फल समझा जिससे वे गर्व का अनुभव करने लगे । ब्रह्म ने उनका यह भाव समझ लिया और यज्ञ के रूप में उनके संमुख प्रकट हुआ । देवता यह नहीं समझ पाए कि वह यज्ञ कौन है । अग्नि उस यज्ञ का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवों द्वारा भेजा गया । अग्नि ने बड़े गर्व-पूर्वक यज्ञ से कहा कि पृथिवी में जो कुछ है, उसे मैं जला सकता हूँ । यज्ञ ने एक तिनका दिया और जलाने के लिए कहा । संपूर्ण वेग का उपयोग करने पर भी वह उस तृण को जला न सका । तदनंतर वायु ने गर्व किया कि वह पृथिवी पर की संपूर्ण वस्तुओं को उड़ा सकता है । किन्तु, वह भी

उस तिनके तक को उड़ाने में असमर्थ रहा। अन्ततः इन्द्र स्वयं यज्ञ के निकट गया, लेकिन यज्ञ अंतर्धान हो गया। तब वहीं स्वर्णभरणभूषिता परम शोभाशालिनी उमा का प्रादुर्भाव हुआ।^४ उमा ने वह समझाया कि—“यह ब्रह्म है। तुम ब्रह्म की ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो।” तभीसे देवताओं को ब्रह्म की प्रतीति हुई।

तथापि, इस ब्रह्म को समझना सामान्य बुद्धि के लिए सहज नहीं है। बृहदारण्यक के तीसरे अध्याय के षष्ठी ब्रह्मण में जल वाली पुरानी कल्पना को लेकर याज्ञवल्क्य से गार्मी प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। इस प्रश्नोचर में गार्मी पूछती है कि भूः आदि समस्त लोक वा पदार्थ, जल, वायु, अंतरिक्ष, गंधर्वलोक, आदित्यलोक आदि कमशः किसमें व्याप्त हैं और याज्ञवल्क्य बताते हैं कि एक की व्याप्ति आगे दूसरे में है। याज्ञवल्क्य के यह बताने पर कि प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है, गार्मी पुनः पूछ बैठती है कि “ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है?” यहीं याज्ञवल्क्य उसे रोक देते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर न देकर याज्ञवल्क्य बोले “हे गार्मी! इस प्रकार अति-प्रश्नों को तू न पूछ। इस प्रकार प्रश्न करने पर तेरा मस्तक गिर जायगा। तू उस देवता के विषय में अति-प्रश्न पूछ रही है जिसके विषय में अतिप्रश्न नहीं करना चाहिए।”

इसके उपरांत गार्मी जुप हो गई। याज्ञवल्क्य के अंतिम उत्तर में यह ध्वनि है कि संपूर्ण लोकलोकांतरों का एकमात्र आधार ब्रह्म किसी के आन्तित नहीं है, प्रत्युत उसी में सब पदार्थ ओतप्रोत हैं। अतः वह अतिप्रश्न के योग्य नहीं है तथा केवल अनुभव से जाना जा सकता है।

उसी बृहदारण्यक (५।१) में पुरानी आकाश-कल्पना के साथ ब्रह्म-सिद्धांत का संयोग दिखाते हुए कहा गया है कि आकाश ही ओंकारस्यी ब्रह्म है (‘ॐ त्वं ब्रह्म’). छान्दोग्य (४।१०) में ब्रह्म को प्राण, आनंद तथा आकाश बताया गया है। तैत्तिरीय की तीसरी वल्ली में भगु की ब्रह्मविषयक विशासा पर वरण ने कहा—

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयान्त्यभिसंक्षिप्तान्ति तद्विजिकास्त्व। तद् ब्रह्मेति।”

[जिससे ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आधार से जीते हैं

४ - शंकराचार्य ने उपा को ‘ब्रह्मविदा’ का प्रतीक माना है। —लेखक।

और अंततः विजाशोन्मुख होकर जिसमें लीन हो जाते हैं, उसे विशेष रूप से बानने की हड्डा कर। वही ब्रह्म है।]

भृगु ने पिता का संकेत समझ कर तप किया तथा उपर्युक्त लक्षणों को घटाकर अन्न में ही ब्रह्म का निश्चय किया। किंतु, उसका संशय फिर भी बना रहा। पिता से उसने पुनः ब्रह्मोपदेश की प्रार्थना की। वरुण ने तप करने का आदेश दिया। पुनः अनेक बार तप करने पर अंतिम बार उसे अनुभव हुआ—

“आनन्द ब्रह्मेति इयजानात्। आनन्दादूर्धेत् खलित्वमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिविसंशन्तीति।”

[आनन्द ही ब्रह्म है। क्योंकि आनन्द से ही सब प्राणी उत्तम होते हैं, उत्तम होने पर आनन्द ही के द्वारा जीवित रहते हैं तथा प्रवाण करते समय सभी आनन्द में ही समाविष्ट हो जाते हैं।]

ब्रह्म-विषयक सर्वाधिक महत्त्व का संदर्भ बृहदारण्यक के दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में आता है। काशी-नरेश अजातशत्रु से तत्त्व-ज्ञान पर गर्व करने वालाकि ने क्रमशः द्वादश परिभाषाएँ ब्रह्म के संबंध में प्रस्तुत कीं—‘आदित्य में रहने वाला पुरुष, चन्द्रमा में रहने वाला पुरुष, विषुत् में रहने वाला पुरुष, आकाश में रहने वाला पुरुष, वायु में रहने वाला पुरुष, अग्नि में रहने वाला पुरुष, जल में रहने वाला पुरुष, दर्पण में पड़ने वाला पुरुष का प्रतिविवेच, गमनशील पुरुष के पीछे (पदचाप से) उत्तम होने वाला शब्द, दिशाओं में रहने वाला पुरुष, छाया से संयुक्त पुरुष, अथवा आत्मा में रहने वाला पुरुष ही ब्रह्म है जिसकी वह उपासना करता है।’ अजातशत्रु ने वालाकि की प्रत्येक क्लृप्तना का प्रत्याख्यान क्रमशः यह कह कर किया कि ‘मैं समस्त भूतों के शिरोमणि एवं राजा, शुद्धवसनधारी सोम, तेजस्वी, पूर्ण तथा कियाशन्य, इन्द्र तथा वैकुंठ तथा अपराजिता सेना, विषासहि’^५ अर्थात् सहनशील, (सभी दृश्यमान पदार्थों के) ‘प्रतिरूप’, रोचिष्णु अर्थात् देवीष्यमान, प्राण, मृत्यु तथा आत्मन्वी (आत्मवान्) रूप में उसकी उपासना करता हूँ।’ अपनी प्रत्येक उकि का तर्कयुक्त खंडन देखकर वालाकि हतगर्व हो गया और उसने अजातशत्रु से ही ब्रह्मोपदेश की याचना की। तब अजातशत्रु ने पहले मनुष्य की स्वम एवं सुषुप्ति अवस्थाओं में आत्मा के ‘महाराज’ वा ‘महाब्राह्मण’ के समान अव्वरण करने का वर्णन कर, अंततः जगत् की उत्तरति का यों निरूपण किया है—

५ - अग्नि में जो इविष्य डाला जाता है उसे वह मरम करके सहन कर लेता है, इसलिए अग्नि को ‘विषासहि’ अर्थात् ‘सहन करने का जा’ कहा गया है।

“स यथोर्णमभिस्तनुनोबरेण्याभ्यः क्षुद्रा विस्तुलिंगा ब्युषरम्त्येष्मेवास्मा-
दात्मना सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि ब्युषरन्ति तस्योपनि-
षदसत्यस्थ सत्यमिति प्राणं वै सत्यं तेषामेष खत्यम् ॥”

[जिस प्रकार मकड़ा तंतुओं पर ऊर की ओर आता है तथा जिस प्रकार अग्नि से अनेक छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण तथा समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं । उस आत्मा का ज्ञान ही सत्य का सत्य है । प्राण ही सत्य है और यह आत्मा उन्हीं का सत्य है अर्थात् उन सबों में यह आत्मा ही सत्य, अविनाशी है ।]

इस उद्धरण में जहाँ तक ब्रह्म को किसी पदार्थ विशिष्ट में अवस्थित बताया गया है, वहाँ तक पुराने सृष्टि-सिद्धान्तों का अवलंबन किया गया मिलता है, किन्तु साथ ही इनका अतिक्रमण भी हो जाता है । क्योंकि इन पदार्थों के विषय में यह नहीं कहा जाता कि ये ही वे मूलतत्त्व हैं जिनसे विश्व की उत्पत्ति हुई, प्रत्युत उस आदि सत्ता के अधिष्ठान-रूप में ही इनकी स्वीकृति है । अजात ह्वारा बालाकि के कथनों का प्रत्याख्यान एवं संशोधन यह निवेश करता है कि वह सृष्टि-तत्त्व किन्हीं विशिष्ट पदार्थों में आधृत नहीं है । इन सभी सिद्धान्तों का मूलाधार एक है (जो समग्र विश्व का रचयिता है) । यह मूल तत्त्व मुश्यमि की अवस्था में अपने मानसिक अस्तित्व का स्वर्ण आधारता है, और यह तत्त्व आत्मा है अर्थात् यह आत्मा उन संपूर्ण शक्तियों, संसारों, देवताओं, एवं जीवों का उन्मेषक है जो इसी कारण सत्य है कि यह उनका सत्य है । ६

यह प्रसंग तत्त्वचिता के विकास को आगे बढ़ाता है । परवतों संबादो में इसी सिद्धान्त की अतिरिक्त व्याख्या की गई है । बृहदारण्यक (चतुर्थ अध्याय, प्रथम ब्राह्मण) में जनक एवं यात्यवलक्ष्य का संवाद है । जनक ने छः अष्टियों से ब्रह्म के संबंध में छः भिन्न-भिन्न बातें सुनी हैं । उसने सीखा है—वाणी ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, नेत्र ही ब्रह्म है, शोत्र ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है दृदय ही ब्रह्म है । यात्यवलक्ष्य प्रत्येक उक्ति को ‘एक चरण वाले ब्रह्म’ की घोषक बता कर प्रत्येक दशा में उस इन्द्रिय-विशेष से घोषित ब्रह्म के ‘आश्रतन’ (शरीर) एवं ‘प्रतिष्ठा’ (आश्रय) का उल्लेख कर यह बताते हैं कि वाणी-ब्रह्म की उपासना ‘प्रश्ना’-रूप से, प्राण-ब्रह्म की उपासना ‘प्रिय’-रूप से, नेत्र-ब्रह्म की उपासना

‘सत्य’-रूप से, श्रोत्र-ब्रह्म की उपासना ‘आनन्द’-रूप से, मनोब्रह्म की उपासना ‘आनन्द’-रूप से, तथा हृदय-ब्रह्म की उपासना ‘स्थिति’-रूप से करनी चाहिए।

उक्त अध्याय के दूसरे ब्राह्मण में वाशवल्क्य ने यह उपदेश दिया है—

“× × × स एष नेति नेत्यात्माऽग्निं नहि गृष्णतेऽशीर्यो नहि शीर्यतेऽसंगो
नहि सृज्यतेऽसितो न व्यथते न रिघ्यत्यमयं वै जनक प्राप्नोऽसीति ।”

[वह ‘नेति’, ‘नेति’ रूप से कथित आत्मा अप्राण है, क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता । वह अशीर्य है क्योंकि वह कभी शीर्ण या द्वीर्ण नहीं होता । वह असंग है क्योंकि वह कभी संग-लिप्स या आसक्त नहीं होता । वह अबद्ध है क्योंकि वह कभी वीढ़ित तथा हिसित नहीं होता । हे जनक ! तुम निश्चय ही अभय-पद को प्राप्त कर चुके हो ।]

इस कथन से ब्रह्म के संबंध में निम्नलिखित स्थापनाएँ होती हैं—

(क) ब्रह्म की अभिव्यक्ति मनुष्य की मानसिक क्रियाओं में होती है ।

(ख) ब्रह्म इन्द्रियों तथा मानसिक संस्थानों में अधिवास करता है ।

(ग) ब्रह्म बुद्धि, सत्यता, अनंतता, आनंदमयता, अविचलितता प्रभृति गुणों को धारण करता है ।

(घ) यह एक ‘आत्मा’ है जिसका ‘परिसीमन’ कथमपि संभव नहीं है ।

छांदोग्य के सप्तम अध्याय के प्रथम पञ्चीस खंडों में सनत्कुमार के द्वारा देवति नारद को दिए गए उपदेश में ब्रह्म के स्वरूप का अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है । नारद ने जिन-जिन सत्रह विद्याओं में निपुणता प्राप्त की है वे, सनत्कुमार के अनुसार, केवल ‘नाम’ हैं यद्यपि ‘नाम’ भी ब्रह्म ही है । सनत्कुमार ब्रह्म के अविकाधिक विशद स्वरूपों का परिगणन कराते हैं कि नाम, वाणी, मन (=आत्मा, लोक और ब्रह्म), संकल्प, चित्र, ज्ञान, विज्ञान (विशेष ज्ञान), अन्, तेज (उष्णता), आकाश, स्मरण आशा—क्रमशः एक के उपरांत दूसरे से बड़े हैं । परंतु सब से बढ़कर प्राण है—क्योंकि “जिस प्रकार रथचक्र की नाभि में श्रेरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में समस्त जगत् समर्पित है । × × × । प्राण ही पिता है । प्राण ही माता है । प्राण ही भाई है । प्राण ही आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है ।”*

प्राण से भद्रकर आन्ध सत्य कीन है, इसकी जिहासा नारद ने नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि उनका प्राण-रूप-आत्मा ही सर्वात्मा है। इस 'मिथ्याप्रह-विशेष' से विरत करने के हेतु श्री सनतकुमार ने भूमा-संज्ञक सर्वात्मीत परमार्थ सत्य का उन्मीलन किया। अत्यंत पुष्ट तरफना के द्वारा वे नारद से कहते हैं कि भूमा ही जानने योग्य है—

'यो दे भूमा तत्सुखं नात्मे सुखास्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विविक्षासि-
तम्य इति ।'

[निश्चय जो भूमा है, वही सुख है, अत्य में सुख नहीं। सुख भूमा ही है। भूमा की विशेष रूप से जिहासा करनी चाहिए ।]

यह भूमा आत्म-रूप ही है, अतएव, "आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है। आत्मा ही आगे है। आत्मा ही दाईं ओर है। आत्मा ही बाईं ओर है। और आत्मा ही यह सब है। इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला, तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मकीड़, आत्ममिथुन, एवं आत्मानंद होता है। वह स्वराट् है। संपूर्ण लोकों में उसकी वयेष्व गति होती है। X X X !'"

अंत में, छुन्डीसर्वे खंड के प्रथम मंत्र में प्राण, आशा, स्मृति, आकाश, तेज, जल, अन, चल, विशान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाणी, नाम, मंत्र, कर्म तथा आन्ध सब कुछ का उद्भव आत्मा से हीं बता दिया गया है।

इस प्रकरण से यह निष्पत्त होता है कि ब्रह्म (जो भूमा ही है) स्थूल दृश्यमान पदार्थों तथा मनुष्य की भीतरी मानसिक कियाश्रो में एकमात्र परम सत्य है। उक्त उप-निषद् (३, १८) में ही ब्रह्म की, अध्यात्मदृष्टि से तथा अधिदैवत दृष्टि से, व्याख्या की गई है। वहाँ कहा गया है कि अध्यात्म-दृष्टि से मन ब्रह्म है अथव अधिदैवत दृष्टि से आकाश ब्रह्म है। मनोरूप ब्रह्म के चार पाद हैं—वाक्, प्राण, चक्षु एवं ओत्र। आकाश-रूप ब्रह्म के चार पाद हैं—अभि, वायु, आदित्य तथा दिशाएँ। चार के चार मंत्रों में मनोब्रह्म के चारों चरणों में से प्रत्येक को समान महत्व देकर उन्हें आकाश-ब्रह्म के चारों पादों पर आभित ठहराया गया है—'वाक् या वाणी ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है तथा वह अभि-रूप ज्योति से दीप होता और तपता है। प्राण ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है तथा वह वायु-रूप ज्योति से प्रकाशित होता और तपता है। चक्षु ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है तथा वह आदित्य-रूप ज्योति से आलोकित होता और तपता है। ओत्र ही ब्रह्म

का अनुर्थ पाद है तथा वह दिशा-रूप ज्योति से प्रकाशित होता और उपला है।’ इस प्रकार, मन एवं आकाश, दोनों के ब्रह्मत्व तथा अन्योन्याभवत्व का स्पष्ट निरूपण किया गया है।

इस भाँति ब्रह्म-भावना के विकास में प्रथम यह स्पष्ट हुआ कि किसी विशिष्ट तत्त्व की अपेक्षा एक सर्वभौम तत्त्व की आवश्यकता अनुभूत हुई जिसमें विश्व के धारात् चराचर पदार्थों का संनिवेश हो जाय। और द्वितीय, यह कि यह सृष्टि-तत्त्व, किसी प्रकार, एक आत्मा है जो सक्षीम अहं से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म की आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्रत् किसी तरह ब्रह्म से पृथक् था। तैत्तिरीय (२, ६) में कहा गया है कि ‘ब्रह्म अग्रत् की सृष्टि कर हसी में समा गया।’ पुनः छान्दोग्य (६, ३) में भी कहा है कि “उस देवता ने सोचा, मैं जीवात्मा-रूप से इन तीनों देवताओं (तेज, जल एवं अन) में अनुप्रवेश करूँ और नाम तथा रूप की अभिव्यक्ति करूँ,”

इन उक्तियों में ब्रह्म के—जो सृष्टि पदार्थों से पृथक् है—प्रविष्ट होने अर्थात् सर्व-व्यापक होने की धारणा का उदय परिलक्षित होता है। क्रमशः ब्रह्म-भावना का ज्यों-ज्यों विकास होता गया, उसकी सर्वव्यापकता के बदले ‘सब कुछ वही है’ की धारणा प्रादुर्भूत हुई। सुतरां, विश्व का ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित हुआ कि ‘यह अविल विश्व ही ब्रह्म है।’ ऊपर छान्दोग्योपनिषद् के तीसरे अध्याय से जो उद्धरण दिया गया है, वह ‘सर्वात्मवाद’ का अर्थात् व्यापक प्रतिपादन है जिसके बीज, विकास की पूर्व-सरणियों में संनिहित थे। आगे चलकर “सर्वं खलिवदं ब्रह्म” (छान्दो०) तक पहुँचने में कितना गहन चिन्तन, कितनी अविचल अनुभूति एवं कितनी गंभीर प्रका तथा स्थिरमनस्तिता की अपेक्षा पढ़ी होगी—इसकी कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार सम्पूर्ण गोचर पदार्थों को पहले एक केंद्रीय तत्त्व में नियोजित कर यह निष्पत्ति किया गया कि यह ब्रह्म ससीम अहं के साथ संबद्ध है।

(३)

ऋग्वेद (१०, ९०) में सृष्टि के मूल उत्स के रूप में विराट् पुरुष को कल्पित किया गया है। उसी कल्पना से प्रेरणा ग्रहण कर ऐतरबोपनिषद् के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड (मंत्र ४) में कहा गया है कि उस विराट् पुरुष के मुख से वाणी उत्पन्न हुई और वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई; नासिका-रंब्रों से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से वायु। नेत्रों से चक्षुरिन्द्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। कानों से श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्र से दिशाएँ प्रकट हुईं। त्वचा से लोम और लोमों से श्रोषणि एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं।

हृदय से मन तथा मन से चंद्रमा प्रकट हुआ; नामि से आपान और अपान से मृत्यु की उत्पत्ति हुई अथव शिश्न (जननेनिद्रय) से रेतस् और रेतस् से जल उत्पन्न हुआ । इस कथन में दो बातें स्थैत हैं—(१) यह कि इस विश्वपुरुष के शारीरिक अवयव बहिर्जगत् के पदार्थों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और (२) यह कि उनका (शारीरिक अवयवों का) संबंध प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक क्रियाओं से भी है । अर्थात्, इस विवरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अग्नि वाणी बन कर व्यक्ति के मुँह में प्रवेश कर गया । वायु श्वास बनकर उसके रंगों में प्रवेश कर गया । सूर्य ज्योति बन कर उसके नेत्रों में प्रविष्ट हो गया । दिशाएँ श्रोत्र (सुनने की शक्ति) बन कर उसके कानों में प्रविष्ट हो गईं । विट पर्व वनस्पतियाँ लोम बन कर उसकी लत्वा में समा गईं । चंद्रमा मन (या मस्तिष्क) बनकर उसके हृदय में समा गया । अथव मृत्यु वीर्य बनकर उसके शिश्न में प्रविष्ट हो गया ।^१

पंडितों का अनुमान है कि मनुष्य की लघु सृष्टि (मैक्रोकॉर्जम) तथा विश्व की महत्-सृष्टि (माइक्रोकॉर्जम) में साम्य एवं साहस्र्य के स्थैत प्रतिपादन का यह प्रथम विवरण है यद्यपि छान्दोग्य में इसका यथेष्ट संकेत उपलब्ध है।^{१०} ऋग्वेद (१०। १६। ३) में मृत व्यक्ति को संबोधित कर कहा गया है कि तेरी आँखें सूर्य को चली जायें और तेरा निःश्वास पवन में मिल जाय । बृहदारण्यक अध्याय ३, ब्राह्मण २ (११), में अतिभाग ने याज्ञवल्क्य से यह जिज्ञासा की है—“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्थामिन वाग्वेति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमा-काशमात्मौषधीर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सुलोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवति ।” [हे याज्ञवल्क्य ! जिस समय इस मृत पुरुष की वाक् अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन हो जाता है, चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है, मन चंद्रमा में लीन हो जाता है, श्रोत्र दिश में लीन हो जाता है, शरीर पृथिवी में तथा हृदयाकाश भूताकाश में लीन हो जाते हैं, लोम श्रोषियों में तथा केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं अथव लोहित एवं वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ?]

६ - R. E. Hume : The Thirteen Principal Upanishads, ५० ३४.

१० - “उदेतच्चतुष्पादवास । वाक्पादः प्राणः पादस्त्वक्षुः पादः श्रोत्रः पाद इत्यध्यात्मग् । अधाधिरैव तमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिरैवतं च ।”

अतिथाग की उक्त जिज्ञासा में इस तथ्य की निर्वाच स्वीकृति उपलब्ध है कि मरने के समय पर्यावरण काशा का जो विषट्टन होता है उसमें मनुष्य की जीवन-कियाओं के बावजूद आश्रय बहिर्भगत् के भिन्न-भिन्न पदार्थों में विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति एवं विश्व में इस प्रकार तादात्म्य स्थापित करने के अनन्तर—ज्यों-ज्यों सूक्ष्म चित्तना का विकास होता गया—द्वितीय सौपान इस बात की कल्पना था कि विश्व एक 'आत्मा' है तथा व्यक्तिः जो भिन्न-भिन्न वा पृथक्-पृथक् आत्माएँ दीख पड़ती हैं, वे इसी विश्वात्मा के लघु रूप हैं। यह कल्पना तत्त्वचिन्ता के विकास को आगे बढ़ाती है। बृहदारण्यक् (१, ४, ७) में तथा खेताश्वर (२, १९) में इस कल्पना का अस्पष्ट एवं आलंकारिक प्रस्फुटन मिलता है कि आत्मा ही सृष्टि का मूल तत्त्व है। यहाँ यह स्मरण रखना अपेक्षित है कि ब्रह्म-सिद्धांत तथा आत्म-सिद्धांत, दोनों लगभग साथ-साथ विकसित होते रहे और एक दूसरे को प्रभावित करते गए; अंततः दोनों का सामंजस्य हो गया।

आत्म-तत्त्व की स्थापना के अनन्तर उसके संबंध में भी वही विकास-सरणि अपनाई गई जो ब्रह्म के विषय में अपनाई गई थी। बृहदारण्यक्, अध्याय १, ब्राह्मण ४ के प्रथम पाँच मंत्रों में, ब्रह्म के समान, आत्मा के संबंध में भी प्रजनन-सिद्धांत का निरूपण प्राप्त होता है। यथा—“सृष्टि से पूर्व यह सब पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने चारों ओर आलोचन किया और अपने से भिन्न कुछ न देखा। किन्तु, वह विराट्-पुरुष मयभीत हो गया, प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि एकाकी पुरुष 'रममाण' नहीं होता। तब उसने अपने से भिन्न दूसरे का संकल्प किया। वह विराट्-इतने परिमाण वाला हो गया जैसे परस्पर आलिंगित स्त्री-पुरुष होते हैं। उसने अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर दिया जिससे पति और पत्नी प्रकट हुए। वे दोनों भिन्न-भिन्न जानवरों—यथा, गाय-बैल, घोड़ी-घोड़ा, गर्दभी गर्दभ इत्यादि—के युग्मों के रूप में बदलते गए तथा इस प्रकार, चीटी से लेकर स्त्री-पुरुष के जितने ओड़े हैं, उन सब की उन्होंने उत्तर्ति की।”

प्रजनन की इस अपरिस्कृत कल्पना के अनन्तर, छांदोग्य के पंचम अध्याय के ग्यारह से अठारह खंडों तक, आत्मा के संबंध में अधिक गंभीरता-पूर्ण विचार किया गया है। पाँच शास्त्र-पारंगत महागृहस्थ ('महाशालाः महाश्रोत्रियाः') एकत्र होकर परस्पर विचार करने लगे कि—“को न आत्मा किं ब्रह्म !” [हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ?] शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि इस जिज्ञासा के मूल में आत्मा एवं ब्रह्म की अभेदता सिद्ध है। यहाँ हमें इस बात का आभास मिल जाता है कि आत्म-सिद्धांत तथा ब्रह्म-सिद्धांत में भीरे-भीरे अङ्गात-रूप से, संबंध स्थापित हो रहा था। वे पाँचों गृहस्थ, एक छँटे

आत्मसत्त्वक के सहित, केकबकुमार नरेश अध्यात्मि के निकट गए जो वैश्वानर आत्मा को अली भौंति समझता था। अध्यात्मि के गूँजे पर, एक ने कहा कि मैं युलोक की ही आत्मा के रूप में उपासना करता हूँ। इस कथन की आंशिक सत्यता ही अध्यात्मि ने स्वीकार की। नोन पाँचों ने कमलः यह कहा कि वे आत्मा की उपासना आदित्य, बायु, आकाश, जल, तथा पृथिवी के रूप में करते हैं। अध्यात्मि ने, प्रत्येक मान्यता की आंशिक सत्यता स्वीकार करते हुए भी, वैश्वानर-आत्मा की सर्वव्यापकता का उपदेश दिया। शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं कि 'वैश्वानरवेत्ता सर्वात्मा होकर अब भूषण करता है, अशानियों के समान विद्विमात्र में अभिमान करके अब नहीं खाता'—('वैश्वानरवित्सर्वात्मा सन्नन्दमस्ति, न वयथङ्गः पिण्डमात्राभिमानः सन्नित्यर्थः ।')

इस प्रकरण में आत्म-सिद्धांत से संबंधित नवीन कल्पना का उद्भव हुआ है। ब्रह्म के ही समान, आत्मा को पहले प्रकृति के विशिष्ट पदार्थों में स्थापित किया गया है। फिर उन्हें, आत्मा मानते हुए भी, आत्मा के विभिन्न अंग वा अवयव कहा गया है। तब, स्थूल इष्ट से दीखने वाले पदार्थों के धरातल का अतिक्रमण कर, बड़ी बुद्धिमानी-पूर्वक, चरम सत्य के अन्वेषण में संलग्न उन छहों जिजामुओं का ध्यान एक सर्व-आत्मा एवं सर्वलीन विश्वात्मा की ओर आकृष्ट किया गया है जिसकी कल्पना मानव-आत्मा के रूप में की गई है तथा जिसके साथ मानव-आत्मा का तादात्म्य निष्पत्ति किया गया है। सगृ ही, यहाँ एक नवीन विचार-सरणि का उद्घाटन हुआ है। प्रारंभिक स्तरों पर चिंतन बहिर्मुख था, किन्तु अब वह अंतर्मुख हो गया है जो एक गंभीरतर द्वार्शनिक विवेचन के प्रारंभ का घोतक है।

सर्वव्यापी आत्मा का—जो मनुष्य के भीतर भी है और प्रकृति की हृथ्यमान वस्तुओं में भी है—उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध है। बृहदारण्यक् (१।५) में आत्मा की सर्वव्यापकता का विशद निरूपण मिलता है—‘इस पृथिवी में जो यह प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है और हृदय में जो यह शरीर-उपाधि वाला प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है। जो जल में यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो वह शरीर के भीतर वीर्यसंबंधी प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। जो यह अग्नि में प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है, और जो शरीर में धातुमय प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है, वही अमृत और वही ब्रह्म है। जो यह वासु में प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष है और जो यह अग्न्यात्मप्राण तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है, वही अमृत एवं वही ब्रह्म है। जो यह आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है,

और जो यह अध्यात्म-चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है, वही अमृत एवं ब्रह्म है जो यह दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह वही है जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो यह चंद्रमा में तेजोमय, प्रकाश-स्वरूप, मनः संबंधी अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा, अमृत एवं ब्रह्म है, विद्युमत् में स्थित तेजोमय पुरुष तथा स्वचा के तेज में रहने वाला अध्यात्म-तेजस तेजोमय पुरुष, दोनों आत्मा, अमृत एवं ब्रह्म हैं। मेघ में स्थित तेजोमय अमृतमय पुरुष तथा स्वर में रहने वाला अध्यात्म प्रकाश-स्वरूप अमृतमय पुरुष, दोनों ही आत्मा, अमृत एवं ब्रह्म हैं। × × × × यह जो मनुष्य-जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा एवं ब्रह्म है; जो यह इस आत्मा में प्रकाशरूप अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा प्रकाशरूप अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा, अमृत एवं ब्रह्म हैं। अथवा, (स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषांभूताना ३ । राजा तथ्या रथनामौ च रथनेमौ चारा सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः ॥)

इस प्रकार, ब्रह्म और आत्मा की दोनों कल्पनाएँ पहले पृथक्-पृथक् सी जान पड़ती थीं क्योंकि ब्रह्म बहिंजगत् से अधिक संबोधित था और आत्मा, मनुष्य या प्राणिमात्र के आभ्यंतरिक सत्य की विज्ञति करता था। अंततोगत्वा उनका समाहार हुआ और ब्रह्म तथा आत्मा एक दूसरे के पर्याय बन गए। ऐतरेयोपनिषद् के तीसरे अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में उस आत्मा का वर्णन किया गया है जिसकी उपासना हमें अभीष्ट होनी चाहिए—

“एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ड्योतोर्धीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि चाधा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जगमं च पतन्ति च यष्ठ स्थावरं सर्वं तत्प्राणनेत्रम्। प्रक्षाने प्रतिष्ठितं प्रक्षानेत्रो लोकः प्रक्षा प्रतिष्ठा प्रक्षानं ब्रह्म ॥”

[“यह (प्रक्षान-रूप आत्मा) ही ब्रह्म है। यही इन्द्र है। यही प्रजापति है। (अग्नि इत्यादि) सारे देव तथा-पृथिवी, वायु, आकाश, जल एवं तेज, ये पंच महाभूत,

११ याद के मंत्रों में आत्मा का प्रथम याद ‘वैश्वानर’, दूसरा याद ‘तेजस’, तीसरा याद ‘प्राण’ तथा चतुर्थ याद ‘तुरीय ब्रह्म’ बताया गया है। यह ‘तुरीय’ न प्रक्ष है, न अप्रक्ष है, अपितु अदृष्ट, अग्राहण, अलक्षण, अचित्य, रातं, शिव एवं अद्वैतरूप है तथा विशेष है। — सेषाक ।

वही आत्मा है। वही कुछ जीवों के सहित उनके बीज तथा अन्य श्रंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्दिज, अध, गरय, मनुष्य तथा हाथी है, अथव (इनके अतिरिक्त) जो कुछ भी यह जंगम (पैर से चलने वाला) पतंगि (आकाश में उड़ने वाला), स्थावर-रूप (इच्छा, पर्वतादि) प्राणियर्थ है, वह समस्त प्रकानेत्र^{१३} एवं प्रकान (निस्पादिक चैतन्य) में ही स्थित है। लोक प्रकानेत्र है, प्रका ही उसका लयस्थान है, अतः प्रकान ही ब्रह्म है।”

प्रस्तुत उद्धरण में जीव, ब्रह्म, पञ्च महाभूत तथा सूर्यि के अन्य संपूर्ण पदार्थ एक ही केंद्रीय सूत्र में अनुसूत हो गए हैं। छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय के ८ से १६ खंडों तक, बार-बार आरणि उदालक ने अग्ने पुत्र श्वेतकेतु से यह उपदेश दुहराया है—

“स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं ॥ सर्वं तत्सत्य ॥ स आत्मा तत्त्वमसि इष्टेतकेतो ।”

[हे श्वेतकेतु ! यह जो अणिमा (जगत् की मूल अणुता बताई गई है)^{१३} है, एतदूर ही यह सत्य है। वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है।]

इस प्रकार हमने देखा है कि भारतीय चिंतन में किस प्रकार निखिल विश्व में व्याप्त एवं स्वदनशील एक ही परमतत्त्व का अनुसंधान संपन्न हुआ है। वैदिक बहुदेववाद का रहस्य समझने के लिए ऋग्वेद के “एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति” को स्मरण रखना अत्यावश्यक है जिसका विशद् विस्तार उपनिषदों में किया गया है। आज की उपलब्ध ‘ब्रह्मदेवता’ में इस एकत्रवाद (Monism) का स्पष्ट स्वीकरण प्राप्त है। सायणाचार्य ने सभी नामों से परमात्मा के ही पुकारे जाने की बात असंदिग्धतया कही है—“तस्मा-त्सर्वैरपि परमेश्वर एव हूयते,” उपनिषदों में इसी सत्य का अत्यंत तर्कपूर्ण, मार्मिक एवं प्रभावशाली निरूपण हुआ है।

[यह आत्मा सब भूतों का अधिपति है तथा सब प्राणियों में राजा है। जैसे रथ के पहिए में सब और समर्पित रहते हैं, वैसे ही इस आत्मा में संपूर्ण भूत, संपूर्ण देव, समस्त लोक, समस्त प्राण तथा समस्त आत्माएँ समर्पित हैं।]

इसी प्रकार, उक्त उपनिषद् के तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में याज्ञवल्क्य ने उपस्तनाकायण को यह उपदेश दिया है—“हे उपस्त ! तेरा हृदयगत

१२ पका अथवा ऐनन्य ही जिसका नेत्र, अर्धत व्यवहार का आधार हो, वह ‘प्रकानेत्र’ कहा जायगा।

१३ द० छान्दोग्योपनिषद्, सांकरभाष्यार्थ (गीता प्रेस), प० ६३७

आत्मा ही सब में विराजमान है। हे उपस्त ! जो प्राणवायु से चेष्टा करता है, जो अपान-वायु से अपानकिया करता है, जो व्यानवायु से व्यानकिया करता है, जो उदानवायु से उदानकिया करता है, वही तेरा आत्मा सर्वात्म है, सब के अम्बतर स्थित है,” तात्पर्य यह है कि काष्ठ-यंत्र के समान देहेन्द्रियसंघात में होने वाली प्राणन आदि समस्त चेष्टाएँ जिसके द्वारा की जाती हैं, वही हमारा आत्मा सर्वात्म है। (विद्याविनोद भाष्य, पृ० १५४) ।

उपर्युक्त अवतरणों से यह कल्पना पुष्ट होती है कि बहिर्जगत् एवं अंतर्जगत् का तत्त्वभूत सार एक आत्मा है जो मनुष्य के भीतर तथा बाहर, समान-रूप से, विद्यमान है। इस आत्मा को प्रथम उद्धरण में समस्त सृष्टि का ‘मधु’, ‘अमृत’, ‘तेज’ एवं ‘ब्रह्म’ भी कह दिया गया है। एक भिन्न प्रकार के चिंतन द्वारा, जो वस्तुनिष्ठ (objective) अधिक था, सृष्टि के एक मूल तत्त्व ब्रह्म की कल्पना की गई थी। यद्यपि यह ब्रह्म वस्तुपरक सत्ता था, तथापि उससे जो अस्तित्व के ऐक्य (unity of being) का घोतन होता था, उसके श्रालोक में चेतन की चेष्टाओं एवं अस्तित्व की श्रवदेलना नहीं हो सकती थी। ये चेष्टाएँ एवं क्रियाएँ उतनी ही सत्य थीं जितने सत्य सर्व, चंद, जल, आकाश इत्यादि थे। जैसा प्रस्तुत निर्वाचन के दूसरे भाग में दिखाया गया है, आत्मा के भीतर रहने वाले ब्रह्म की भावना का भी विकास हो रहा था। किंतु, मनुष्य के भीतर तथा बाहर में ऐक्य स्थापित करने के लिए एक ऐसे सृष्टि-तत्त्व की अपेक्षा बनी थी जो अधिक चेतन एवं व्यक्तिपरक (पर्सनल) हो। इसके निमित्त, विश्वपुरुष की पुरानी कल्पना अधिक उपयुक्त थी, यह पहले भौतिक एवं शारीरिक थी। बाद में इसका विकास तथा परिष्कार होता गया और अंततः अपेक्षाकृत एक अधिक आध्यात्मिक आत्मा की कल्पना प्रस्फुटित हुई जो चेतन एवं अचेतन, सब में, सम-भाव से, व्याप्त है तथा जो उनके पारस्परिक संबंध में अभिव्यक्त एकत्व ही है। (R. E. Hume)

तथापि, ये नव-अन्वेषित दो सृष्टि-तत्त्व, ब्रह्म तथा आत्मा, पृथक् एवं भिन्न नहीं हैं। प्रारंभ में उनकी एकता का केवल संकेत किया गया था, किंतु आगे चलकर, स्पष्ट शब्दों में इसका प्रतिपादन भी हुआ। मांडूक्योपनिषद् के दूसरे मंत्र में कहा गया है—“सर्वं श्वेतदृ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुर्थात् ।”—‘यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, वह आत्मा चार पादों (अशों) वाला है ॥’

मुंडकोपनिषद् २, २, ५ में कहा गया है —

‘‘परिमन्त्रोः पृथिवी चांतरिक्ष-
मोतं मनः सह प्राणेभ्य सर्वैः ।
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या
वाचो विमुक्त्यामृतस्यैष सेतुः ॥”

[जिसमें भुलोक, पृथिवी, अंतरिक्ष एवं संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उस एक आत्मा (जो यहाँ परमात्मा या ब्रह्म का वाचक बन जाता है) को ही जानो, और अन्य बातों को छोड़ दो, यही अमृत (मोक्षप्राप्ति) का सेतु या साधन है ।]

उसी उपनिषद् में अन्यत्र (३, १-१) कहा गया है—

‘‘तदेतत्सत्यं यथा सुदीपात्पावकाद्विस्फुलिंगाः
सहस्रशः प्रभवन्ते स्त्रूपाः ।
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥”

[वह श्रद्धार ब्रह्म सत्य है । जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिनगारियों निकलती हैं, उसी प्रकार, हे सौम्य ! उस श्रद्धार से अनेक-किञ्च जीव उत्पन्न होते हैं तथा उसी में पुनः विलीन हो जाते हैं ।]

श्रेताक्षर के प्रथमात्थाय के १५वें तथा १६वें मंत्रों में यही भाव यों विचित्रित है—

“जिस प्रकार तिल को पेने से तेल तथा दही को भयने से मक्खन पाया जाता है, अथवा जिस प्रकार नहर खोदने से पानी तथा अरण्य-काष्ठ के संघर्षण से आग पाई जाती है, उसी प्रकार सत्य एवं तपस्या के द्वारा खोज करने पर अपनी आत्मा में ही परमात्मा प्राप्त होता है ।”

नागरीप्रचारिणी पत्रिका
वर्ष : ६० संवत् २०१९ : अंक २

नागपुरी हिंदी

[विनयमोहन शर्मा]

क्षेत्र और बोलनेवालों की संख्या

डा० प्रियर्सन ने अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे जिल्ड ६ में इसका क्षेत्र नागपुर जिला बताया है और इसके बोलने वालों में केवल उन्हींको संमिलित किया है जिनकी मातृभाषा हिंदी का ही कोई रूप है। उन्होंने नागपुरी हिंदी के जो उदाहरण दिए हैं वह ऐसे वर्ग के हैं जिसकी मातृभाषा बुदेली है। प्रियर्सन ने यहीं भूल की है नागपुरी हिंदी का क्षेत्र नागपुर ही नहीं नागपुर के निकटवर्ती जिलों तक, जिनमें प्राचीन विदर्भ के जिले भी सम्मिलित हैं, फैला हुआ है। और इसे बोलनेवाले हिंदी-भाषा-भाषी ही नहीं, अहिंदी-भाषा-भाषी भी हैं। वास्तव में यह व्यापारिक क्षेत्र तथा बाजार में निभिज-भाषा-भाषियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की बोली है। प्रियर्सन ने अपनी उपर्युक्त सर्वे में इसके बोलनेवालों की संख्या १०५९०० लिखी है, जो आज इससे अत्यधिक बढ़ गई है। इसे वर्तमान नागपुर और विदर्भ प्रांतवासी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। यह किसी की मातृभाषा नहीं है। इसके क्षेत्र में बसा हुआ मारवाड़ीसमाज अपनी मातृभाषा मारवाड़ी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं के रूप में नागपुरी हिंदी और मराठी भाषाएँ बोलता है। इसी प्रकार तमिल, तेलुगु, कछड़, मलयालम आदि भाषा-भाषियों की भी दूसरी बोली नागपुरी हिंदी है।

नागपुरी हिंदी की विशेषताएँ

शब्दावली—क्यों कि नागपुरी हिंदी मातृभाषा के रूप में नहीं वरन् दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है अतः इसमें खड़ी बोली के शब्दों के साथ-साथ वक्ता की मातृभाषा

के भी कुछ सामान्य शब्द संमिलित हो जाते हैं। इस प्रकार नागपुरी हिंदी की शब्दावली में हिंदी की साहित्यिक भाषा में प्रचलित संस्कृत के कुछ तत्सम और बहुत से तदभव शब्द तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों के शब्दों के अतिरिक्त फारसी-अरबी मिश्रित उर्दू के सामान्य शब्द, मराठी के कुछ व्यावहारिक शब्द तथा वक्ता की मातृभाषा के भी कुछ शब्द संमिलित हैं।

धनियाँ—नागपुरी हिंदी में प्रायः वे सभी धनियाँ हैं जो खड़ी बोली में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त मराठी की 'च' (त्व) और 'ळ' धनियाँ भी आ गई हैं। फारसी-अरबी की धनियाँ इसमें नहीं आ सकी। 'शू' का उच्चारण इसमें मराठी के समान 'रु' हो गया है। खड़ी बोली की कतिपय दीर्घ धनियाँ हस्त और हस्त धनियाँ दीर्घ हो गई हैं—जैसे, और = और, किर=फीर आदि। 'ड' और 'ङ' में कोई मेद नहीं है। 'ङ' का उच्चारण ही नहीं होता। 'व' एवं 'ब' का उच्चारण-मेद साप्त है।

उच्चारण में धनिपरिवर्तन, आगम, लोप आदि

पदांत 'न' का 'ण' में परिवर्तन यथा कठिन=कठीण, कठिण। पदान्त 'ओ' का 'व' में परिवर्तन, यथा-जाओ = जाव तथा 'र' वर्ण के पूर्व 'ओ' का 'हो' में परिवर्तन भी पाया जाता है यथा—

ओर = होर।

औरत=होरत।

'ह' की धनि क्षीण होती जा रही है, जैसे —

(अ) शब्द के बीच और अंत में 'ह' का लोप पाया जाता है। यथा
तुम्हें = तुमें

साहब = साब

(आ) नागपुरी हिन्दी-शब्द के अंत में अनेक प्रयोगों में 'ह' का लोप और 'आ' का आगम दिखाई देता है। यथा—बारह = बारा, तेरह = तेरा।

शब्द के आदि के 'स' का 'ळ' में परिवर्तन भी अनेकत्र मिलता है जैसे—सब = छब
कहीं कहीं 'ओ' का 'ऊ' में परिवर्तन हो जाता है, यथा—परसों = परस्,

'ब' और 'ह' के एक साथ आजाने पर उनका 'भ' में परिवर्तन और 'ए' का आगम भी इस भाषा के प्रयोगों में देखा जा सकता है, जैसे —

बहन = मेन

पद में वर्णों के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण लुप्त होता जा रहा है यथा—

नहीं = नही, पांच = पाच, नवां=नवा ।

संज्ञा शब्द-रूप का वैशिष्ट्य

कुछ आकारान्त संज्ञा-शब्दों का बहुवचन 'आ' और कभी-कभी 'आँ' से और कभी-कभी अन्तिम व्यनि को इलन्त करने से भी बनता है—

बात = १ - बाता २ - बातां, ३ - बात्यां (बातां कर्ते कर्ते भोप लग गयी ।)

आकारान्त संज्ञा-शब्द के अन्तिम दीर्घ स्वर को हस्त (इलन्त) करके उसमें या जोड़ देने से छोटेमन या तिरस्कार का भाव द्योतित होता है —

धीसा=धीस्या

संज्ञोधन में भी यही रूप रहता है

(ओ धीस्या ! कां (कहां) जा र्खा है ?)

लिंग—खड़ी बोली के समान ही दो लिंग—स्त्रीलिंग और पुलिंग — के रूप होते हैं । पर खड़ी बोली में जहाँ ईकारान्त पुलिंग पद में 'हन' लगाने से स्त्रीलिंग होता है वहाँ नामपुरी हिंदी में मूल शब्द में 'अन' लगता है —

तेली=तेलन

गोली = गोलन

वचन—प्रायः खड़ी बोली के प्रथम लगकर बनते हैं । किन्तु ईकारान्त संज्ञा-शब्दों में 'ई' के स्थान पर 'या' लगाने की प्रवृत्ति है और उसका पूर्ववर्ती वर्ण इलन्त हो जाता है । जैसे —

रोटी=रोट्यां

गाली=गाल्यां

क्रमवाचक संज्ञा-शब्द—पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नवा, दसवा आदि । खड़ी बोली में जहाँ सामान्य संख्या चार के बाद की शेष संख्याओं में 'वा' जुड़ता है वहाँ नामपुरी हिंदी में 'वा' जुड़ता है ।

कारकों की विभक्तियाँ इस प्रकार हैं —

कर्ता—ने,

कर्म और सम्प्रदाय—कू, कूँ, को, के, करने

अपादान—सू, सूँ, सो, से

संबंध—का, के, की

अधिकरण—मो, मे, पे

सर्वनाम—व्यक्तिवाचक सर्वनाम के चिन्ह इस प्रकार हैं—

एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष—ये, हम	हम, आपन
कर्ता—मध्यम पुरुष—तू, तुम	तुम, तूम
आन्य पुरुष—वो	वो
कर्म—संग्रहान्-उ० पु० - मुजे, सुजे, मुजक	हमे, हमकू, हमनेकू
म० पुरुष—तुजे, तुजकू, तेरेकने	तुमकू, तुम कू
आन्य पुरुष—उसकू	उनकू
‘अतएव’ (इसलिए) के लिए ‘करके’ का प्रयोग मराठी के ‘महणून’ के अर्थ में व्यवहृत होता है।	

व्याकरण-संबंधी अन्य विशेषताएँ—-

अकर्मक किया में कर्ता के साथ ‘ने’ का प्रयोग होता है यथा—

हमने एक दुसरे को मदत करा चाहये।

उन्ने मुंडी इलाया।

सहायक किया के वर्तमान काल में ‘हू’ का उच्चारण प्रायः नहीं हो पाता यथा—
‘जाता उं।’

‘ए’ का ‘य’ में परिवर्तन हो जाता है, यथा—है=हय।

अकर्मक किया के कर्ता में ‘ने’ चिह्न लगकर भी किया में ‘हूँ’ लग जाता है यथा—
मैने रोई हूँ, मैने लाया हूँ।

किसी बात पर आग्रह प्रकट करने के लिए ‘व’ का प्रयोग किया जाता है, यथा—
तुमकू चलनच पडेगा (तुम्हें चलना ही होगा)।

दक्षिणी हिन्दवी अथवा उर्दू का भी प्रभाव नागपुरी हिंदी पर परिलक्षित होता है। नागपुरी हिंदी में बुंदेली और मालवी का प्रामुख्य, जिसकी ओर प्रियर्सन ने संकेत किया है, प्रायः अब नहीं के बराबर रह गया है। वह स्थानीय ध्वनि-प्रक्रिया कलिपय नई विभक्तियों और प्रत्ययों के साथ खड़ी बोली का मूल ढँचा सुरक्षित रखे हुए है।

प्रियर्सन ने अपने सर्वे में नागपुरी हिंदी का निम्नलिखित उदाहरण दिया है। इसे प्रियर्सन ने बुन्देली बोली से आन्द्रादित कहा है—

“एक आदमी से दो पोरवा हते। ओ मैं को नन्हो लरका बाप से कि हे दादा मोरे हिस्ता को माल मोले दे दे। फेर औ ने अपनी जिनगी की कमाई दोई पोरयन से काटनी कर दई। आगे योडेच दिन में नन्हे पोरवा ने अपनी सब धन साकड़ी। फेर उससे मुलक में फिरन से गओ। वहाँ अपनो सब पैसा ओ ने चहुलबाजी में उड़ा डओ।”

उपर्युक्त पंक्तियों में संप्रदान का ‘ख’ बुंदेली का नहीं; मध्यप्रदेश के खंडवा (निमाड) जिले की बोली निमाडी का है। पोरवाँ भी निमाडी है। ग्रियर्सन का उपर्युक्त उदाहरण बाजार में बोली जानेवाली नागपुरी हिंदी का नहीं है। भिज्ज-भिज्ज प्रदेशों से आकर वसे हुए परिवार बहुत काल तक अपने घर में अपनी क्षेत्रीय बोली बोलते रहते हैं। अतएव उदाहरण सामान्य जनता की सार्वजनिक रूप से बोली जानेवाली भाषा से लेना चाहिए। अब मैं आप के सम्मुख उस नागपुरी हिंदी के उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिसे सामान्य लोग बाजारों में बोलते-पहचानते हैं।

नागपुरी हिंदी

“अब मैं आपके समोर नागपुरी हिंदी के नमुने सादर करता हु जिसको बाजार के लोक बोलते पिचानते हय।

गोविन्दा (किसन से)—कल बड़ी फजर अपन दोनों मिलके फिरने चलेगे। उध्री से ठेसन निकल चलेगे होर वो बंबे मे टपाल डालके, हाटेल में हात-मु धोके, चा-फराल लेके दबाखाने कु जायगे। मे केता हु भाऊ मुजे रात कू झोपच नी आती। वर्तमानपत्र लेके बेठता भोत कोसीस करता फीर बी आख लगतिच नई। तबयत खूप सभालता। दुपेर कू जादा खाता बि नई। द्याम को धोड़ने मे नागा बि नई करता। कुच समज में नई आता क्या करू। करके तो ढाक्तर से फीर से तपासनी कराना हय। उसका पूराना बील की चुकती करना हय। पगार अभी हात मे आई नई। उसके बील का हफता देने कू पाकीट मे पैसे नई हय। तेरे कने हय कुच।

किसन—हव ना, खूप हय। मेरी यष्टा करते हो क्या? शेठ आदमी हो छुच बोलो। तुमारे खीसे मैं पेसे नई हय क्या? क्या फोक मारते हो भाऊ?

गोविन्दा—तुमकू मेरी बाता छट मालुम पड़ती हय तो कुछ हरकत नही। चल पास मे मेरा दोस रेता हे उसके पास से ला-सेंगे।

खड़ी बोली में रूपांतर

गोविन्दा (किसन से)—कल बड़े सबेरे हम दोनों साथ-साथ धूमने (या ठहलने) चलेंगे। उधर ही से स्टेशन निकल चलेंगे और वहाँ बंबे (लेटरबाक्स) में

चिट्ठी डाक्टर, होटल में हाथ-मुँह धोकर और चाय-नाश्ता लेकर अस्पताल जायेंगे। मैं कहता हूँ भाई सुने रात को नीद ही नहीं आती। समाचारपत्र लेकर बैठता (हूँ)। बहुत कोशिश करता (हूँ)। फिर भी औँख लगती ही नहीं। तबीयत खूब संभालता (हूँ)। दोपहर को ज्यादा खाता भी नहीं। शाम को दौड़ने में नागा भी नहीं करता। कुछ समझ में नहीं आता (कि) क्या करूँ। इसीलिए डाक्टर से फिर से जांच करवाना है। उसका पुराना बिल भी चुकाना है। वेतन अभी हाथ में आया नहीं। उसके बिल की किस्त देने को जेब में पैसे नहीं हैं। तेरे पास है कुछ?

किसन—हाँ ना, खूब है। क्या मेरी मज़ाक उड़ाते हो? सेठ आदमी हो। सच बोलो। क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं हैं? क्या गप मारते हो भाई?

गोविंदा—तुम्हारो भेरी बातें छूठ मालूम पढ़ती हैं तो कोई हर्ज नहीं। चल पास में मेरा दोस्त रहता है। उसके पास से ले आयंगे।

जिस प्रकार प्रेमचंद और प्रसाद में बनारसी और बृन्दावनलाल वर्मा में बुद्देली प्रभाव है, उसी प्रकार नागपुरी लेखकों में भी मराठीपन आने लगा है। यथा—

“हिंदू धर्म में वेद, स्मृति अनेक ग्रंथ हैं। परंतु उन सब ग्रंथों में सनातनी और नवमतवादी, भाविक चिकित्सक (समीक्षक) आदि सर्वमतों और पंथों के लोगों के लिए एक ही सर्वमान्य ऐसा गीता को छोड़कर और कोई ग्रंथ नहीं है।”

(गीताप्रणीत व्यवहारशास्त्र पृ० २)

“गीता ग्रंथ पर अनेक पंडितों ने और पंथवादियों ने चढ़ाए हुए अपने-अपने मतों के पे (ह) राव के कारण हरएक को अपने जीवन में साकार करने योग्य गीता का निश्चित मूलरूप पहिचानना कठिण हो गया है।” (वही) मुख्यष्ट २

उपर्युक्त उदाहरणों से बिदित हो जाता है कि नागपुरी हिंदी में मराठी-शब्दों का प्रवेश हो रहा है। संस्कृत और विदेशी शब्द भी अपने मूल तस्सम रूप का अर्थ न देकर मराठी अर्थ देने लगे हैं। उदाहरणार्थ हपता का अर्थ सप्ताह न होकर किस्त (इंस्टालमेंट) हो गया है। चिकित्सक वैद्य न रह कर आलोचक बन गया है। सादर करना उपस्थित करने के अर्थ में आता है। इसी प्रकार कई मराठी शब्द नागपुरी हिंदी में ही नहीं, आदर्श हिंदी में भी समाविष्ट हो गए हैं। उदाहरणार्थ—

शिस्त = अनुशासन

शिद्धण = शिद्धा

टीप = नोट

पावती = रसीद

मराठी का प्रभाव दक्खिनी हिंदवी, उदू' (जिसे आज दक्खिनी हिंदी कहा जाता है) पर भी पड़ा है । १४ वीं शताब्दी से वहाँ की जनता का बराबर मराठी भाषा-भाषी जनता से संपर्क रहा है । मराठी में जोर देने के लिए 'ही' के अर्थ में 'च' का प्रयोग होता है—तुला आलेच पाहिजे (तुसे आना ही चाहिए) । दक्खिनी उदू' या हिंदवी में भी इसी प्रकार 'च' प्रयुक्त होता है—“बली अपने च गम में नको होश ।”—दक्खिनी का पद्य और गद्य पृष्ठ २३७ ।

मराठी का 'नहीं' अर्थ-बोधक 'नको' दक्खिनी हिंदवी में खूब प्रचलित है और उसकी एक विशेषता बन गया है—

ये बस्ती सो दुनिया पड़े होकर दीवाना ।

अरे मन नको रे नको हो दिवाना । (वही पृष्ठ २५६)

कहीं-कहीं दक्खिनी हिंदी पर मराठी के प्रभाव से कठिपय शब्दों का 'स' 'श' में परिवर्तित हो गया है और मराठी का होता (था) 'ता' बनकर आ गया है—

'स' का 'श' —

तीन सौ = तीन शे

पैसे = पैशे

सिखाया = शिकाया

'होता' का 'ता' —

लाया ता (लाया था) । गया ता (गया था) ।

दक्खिण के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर नागपुरी क्षेत्र में यद्यपि मराठी ने हिंदी पर प्रभाव डाला है तो भी उसके व्याकरण का ढाँचा मूलतः सुरक्षित है ।



नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष : ६० संवत् २०१२ : अंक २

विमर्श

'हाल की 'सप्तशती' का काल'

साहित्य में हाल की गाथासप्तशती का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह अस्थंत मनोहारी शृंगारिक रचना है। कुछ विद्वान् उसे हाल राजा द्वारा निर्मित मानते हैं और कुछ उसे संग्रहीत स्वीकार करते हैं। अभी तक अनेक विद्वानों की यह मान्यता है कि वह ईसवी पूर्व की रचना है। इसीलिए ऐतिहासिक भी उसकी कुछ गाथाओं के उद्धरणों को उपयोग में लेते आए हैं। हाल की वह गाथा सुप्रसिद्ध है जिसमें विक्रमादित्य का उल्लेख आया है, उसको लेकर एक प्रमाण माना जाता है कि ईसवी पूर्व प्रथम शती में भी विक्रमादित्य का हाल ने स्मरण किया है। किंतु नागरीप्रचारिणी पत्रिका के केशव-स्मृति-अंक में उक्त गाथा सप्तशती के विषय में श्री माधुर का एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें योग्य लेखक ने विभिन्न तर्कों द्वारा, समसामयिक कवियों के नामोल्लेख आदि को लेकर यह बताने का प्रयत्न किया है कि यह सप्तशती बहुत अर्वाचीन है, प्रथम शती ई० पूर्व की नहीं। अवश्य ही लेखक के तर्कों की उचित समीक्षा होनी चाहिए। लेखक के तर्क सङ्कहरण में युक्तियुक्त प्रतीत होते लगते हैं, परंतु वे ही तर्क प्रथम शती के लिए भी सुसंगत हो सकते हैं। प्रद्वित गाथाओं को छोड़ दें तो सप्तशती की पुरातनता-में कोई बाधा नहीं आती दीखती। उनका विस्तृत उत्तर तो समय और सुविधा-सामेश्वर्य है। तथापि हम यहाँ एक मौलिक तर्क की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने सप्तशती को अत्रांचीन समझने में साधन मान लिया है। लेखक ने सप्तशती को वहिःसाक्ष्य की जित प्रकार समीक्षा करके अपने विचारों की अनुकूलता समझी है, उसी प्रकार प्रथम के अंतःसाक्ष्य की भी समीक्षा करते हुए ए० २६५ पर लिखा है—

“गाथा सप्तशती प्रथम शती की रचना नहीं हो सकती। इसका एक और स्पष्ट प्रमाण हमें अंतःसाक्ष्य से भी मिलता है। प्रथम शती में बौद्ध-धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। उत्तरापथ ही नहीं, दक्षिणापथ और देश-देशांतर तक सम्प्राट् अशोक के राज्य-

काल से ही बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था। उस समय जनता में बौद्ध धर्म के प्रति आदर-भक्ता का भाव था, अनादर और वृश्चिका का नहीं। देश की अधिकांश जनता बौद्ध-धर्म अंगीकार भी कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में वह सहज कल्पना की जा सकती है कि ऐसे किसी संग्रह-ग्रंथ में, जो बौद्धधर्म के चरम-उत्कर्ष-काल में विरचित हुआ हो, यदि बौद्धों का कोई उल्लेख हो तो वह संमान-सूचक होगा, वृश्चिक का व्यंजक नहीं। परंतु गाथा-सप्तशती में बौद्धधर्म के संबंध में केवल एक ही गाथा है, और उसमें बौद्ध मिक्षुओं का वृश्चास्थद उल्लेख हुआ है। चतुर्थ शतक की आठवीं गाथा में यह बात घ्यान देने योग्य है कि जिस गाथा सप्तशती की गाथाओं में राधा, कृष्ण, गणेश, वामन, हर, गौरी, लक्ष्मीनारायण, कालिका, सरस्वती, आदि देवी-देवताओं के अनेक उल्लेख हैं उसमें बौद्ध-मत-संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, और जो है भी वह उसके प्रति अपमानसूचक है।”

लेखक का उक्त उद्दरण बहुत स्पष्ट है। उनका यह आक्षेप कि प्रथम शती में बौद्ध-धर्म चरम उत्कर्ष पर था, ऐसी स्थिति में हिंदू-देवी-देवताओं का आदरपूर्वक और बौद्ध मिक्षुओं का अपमान व्यंजक उल्लेख कैसे संभव हो सकता था। किंतु लेखक महोदय संभवतः अशोक को याद रख कर प्रथम शती के उन ब्राह्मण-शुद्धियों की सत्ता को विस्मृत करते प्रतीत होते हैं, जिन्होंने बौद्धों के चरमोत्कर्ष के बाद विकारप्रस्त अवस्था में देश के विभिन्न भागों से उनका उन्मूलन आरंभ कर दिया था और ब्राह्मणधर्म की पुनःस्थापना करना आरंभ कर दिया था। वैयाकरण पतंजलि के पौरोहित्य में एक बार पुनः अवस्थापना का अर्थयोजन भी किया था, उस अवस्था में स्वाभाविक है कि बौद्धों की विकारप्रस्त अवस्था का चित्रण होता, और हिंदू देवी-देवताओं का संमान उस काल की घटना है जब विदिशा में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस जैसों ने भागवतधर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए यदि हाल की रचना का काल प्रथम शती माना जाता है तो यह प्रमाण्य प्रथम शती का समर्थन करने वाला ही है, जैसे कि अन्य तत्कालीन कवियों, नाटककारों ने बौद्ध मिक्षु-मिक्षुणियों को मद्यपी होने और राजकुमारियों के ‘दूती’-कर्म करने का उल्लेख किया है। उस समय बौद्धों का संहार हो रहा था; उच्छेदन ही ही रहा था और वह पहली शती के पूर्व की घटना है। इससे हाल की सप्तशती का पहली शती में निर्मित होना अस्वाभाविक नहीं लगता। लेखक के मतानुसार ‘हिंदू धर्म’ का उत्कर्ष गुप्त काल में हुआ है। यह ठीक है परं गुप्त काल में बौद्धों के विश्व वृश्चास्थापना नहीं हुआ, अनेक बौद्धों का राज-प्रवेश-संमान हुआ है और सहिष्णुता की भावना ही इष्टिगत होती है। इबके विपरीत शुंगकाल और उसके पूर्वती काल में ही बौद्धों के विश्व वर्यास घट-

नाश्वरों के होने का उल्लेख मिलता है। इसलिए प्रथम शती में हाल का होना अधिक सयुक्तिक और सुसंगत प्रतीत होता है और ऐसे ही अनेक प्रमाणों से कालिदास का काल भी उसी समय के आसपास ठहरता है। शुंग-काल ही चौद्ध-विरोधी काल है और वह प्रथम शती २० पूर्व का है जो कि हाल का भी माना जाता है। लेखक महादय का अंतः-साक्ष्य भी उसे उत्तरशती में सहज नहीं ला सकता। उत्तरशती के नामोलेखों को लेकर अभित होने का कारण नहीं। हाँ, लेखक महादय के तर्क अवश्य ही विद्वानों को समशती का अधिक गंभीरता से अनुशीलन करने की ओर प्रेरणा देने के लिये आगंतित कर देते हैं।

—सूर्यनारायण व्याप्त

‘अवधी भाषा के साहित्य की एक सूची’

नागरीप्रचारिणी पत्रिका के गत अंक, पृष्ठ ५६ पर जो अवधी भाषा के साहित्य की एक सूची प्रकाशित हुई है, उसमें निम्नलिखित संख्याओं में संशोधन एवं परिवर्द्धन अपेक्षित हैं—यथा—

१ मुङ्गादाउद—चंदायन १३७० ह० प्रो० अस्करी को प्राप्त मनेर शरीफ की स्विंडित प्रति के अतिरिक्त भारत कला भवन काशी में इसके ६ सचिव पत्र सुरक्षित हैं। और कुछ दिन हुए श्रगर चंद नाहटा जी को भी नागरी अक्षरों में लिखी एक प्रति का हवाला मिला था, और उन्होंने उसी के आधार पर ना० प्र० पत्रिका वर्ष ५४, अंक १, पृष्ठ ४२ पर यह विवरण प्रकाशित कराया था, “बरस सात सै होइ एक्यासी, तिहि याह कवि सरसेउ भासी। साहि पिरोज ढिली सुलताना। जौना साहि जीत बखाना॥ दत्यै नयद वसे नवरंगा। उतरि कोट तले बहे गंगा। हि० ७८१ का वि० वर्ष १४३१ होता है, यही उसका रचना काल होगा।” इस द्विसाब से उसका रचना काल १३७४ ह० होगा।

२ ईश्वरदास—भरत विलाप या मिलाप—जिसकी दो प्रतियाँ सभा में हैं। मेरे संग्रह में भी सं० १८८७ की लिखी हुई एक प्रति है, परंतु उसकी भाषा में उतना पुराना-पन नहीं प्रसीत होता है। जितना कि सिकंदर शाह (१४४९ - १५१७ ह०) के समय की भाषा (अवधी) में होना चाहिए।

३ ईश्वरदास—सत्यवती कथा। इसका रचना काल “जोति एक पंडव के संगा, पांच आत्मा आठौ संगा। भावौ मास पाल उजियारा, तिथि नौमी खो मंगरवारा। नष्ट अस्तित्वी मेष क चंदा, पंच जना सो सदा अनंदा।” के अनुसार संवत् १५५८ ठहरता है। इसे अवधीवासी लाला सीताराम जी ने हिंदुस्तानी (भाग ७, अंक १, पृष्ठ ८४ - १००) में प्रकाशित करा दिया था। अतएव पूरी रचना वहाँ देखी जा सकती है।

५. कुतुबन—मृगावती — १३०३ ई०। अभी तक इस ग्रंथ की कोई ऐसी प्रति नहीं मिल सकी है जिसे सर्वोंग पूर्ण कहा जा सके। एकड़ला से प्राप्त प्रति भी खंडित है, उसके केवल १५३ पत्र ही मिले हैं। जिनमें से १५० में ही रचना है। और तीन में केवल चित्र। प्रति पत्र में एक और ७ पंक्तियाँ लिखी हैं। और दूसरी ओर चित्र बने हैं, इस प्रकार इसमें १७५० पंक्तियाँ ही प्राप्त हैं जब कि चौलंभा प्रति में ६१२० इलोक होने के बात कही गई है, और बीकानेर तथा दिल्ली की प्रतियों में ३२०० से कुछ ऊपर पंक्तियों की संख्या पहुँचती है। एकड़ला प्रति पाठ की दृष्टि से भी अब संदिग्ध है, क्योंकि, चित्रों की सुरक्षा के लिये उनके पीछे की ओर कागज चिपकाया गया है और उसी पर (चित्र पृष्ठ पर लिखी हुई कुछ पंक्तियों को न पढ़ सकने के कारण चिपकाने वाले अथवा लिपि कर्ता ने या तो छोड़ दिया है या चिपकाये गए पृष्ठ पर रेखा स्त्रीच दी है। दै० डा० रामकुमार का वक्तव्य, दैनिक भारत, १३ सितंबर ५५ ई०।

७ बुरहान—अरील } परिचय के लिये ज० ब्र० रि० स०० भाग ३६ पृष्ठ
८ बक्सन—बारह मासा } १० देखना चाहिए।

९ साधन—मैनसत, १५७६ ई० इसकी एक प्रति बीकानेर के महाराज के पुस्तकालय में है और सं० १६२१ की एक प्रति अगरचंद नाहटा के संग्रह में है अतएव इसका रचनाकाल १६३३ के आसपास ही होना चाहिए। इनका एक बारहमासा भी बीकानेर में है। जिसकी भाषा भी अवधी ही है।

११ भंभन—मधुमालती। १५४५ ई० इसकी एक प्रति रामपुर में है जो द दिसंबर सन् १७१६ ई० की लिखी हुई है। और भारत कला भवन में भी एक खंडित प्रति सं० १६४४ की लिखी हुई सुरक्षित है।

१२ बलबीर—दंगव पर्व (१५५२ ई०) इसमें कौरव पांडवों की लड़ाई का वर्णन है [प्रेमाख्यात नहीं] इसका रचनाकाल १५३१ ई० है। दै० स०० रि०, १० पृष्ठ, द४,

१४ जटमल नाहर—प्रेम चिलास, इसका रचनाकाल [संवत् सोलह सौ त्रैयातु] के अनुसार सन् १६३६ ई० होना चाहिए। इसकी भाषा भी शुद्ध अवधी नहीं है।

१७ बनारसीदास—श्रवकथानक, इसका रचनाकाल [सोलह है अद्वानवै, संबत् अगहन मास] सोमवार तिथि पंचमी, सुकल पद्म परगास] इस दोहे के अनुसार संबत् १६६५-१६५६ ई० ठहरता है। अतएव यह रचना सत्रहवीं शती है। न कि १६ वीं शती।

१८ और ४२ चतुर्भुजदास—मधुमालती। दोनों संख्याएँ एक ही ग्रन्थ के लिये प्रयुक्त हुई हैं। यह चतुरभुज दास की मधुमालती अवधी की रचना नहीं है। अतएव उसे इस सूची में नहीं रहना चाहिए। इसकी भाषा का नमूना यह है।

कथा रसिक हिरदे सुख करनी, सुन सुख उपजै नर आह तरनी।

बर विरचि तनया बर पाऊँ, स्थपत शुभ गणपति खिर नाऊँ।

शाहद जुधि देहो अन मोही, हिरदे इयाम (?) विमल मन होही।

चतुर हित चित सुनत रिमाऊँ, सरस मालती भनोहर गाऊँ।

२० शेखनवी—शानदीप, १६१९ ई०। इसका रचनाकाल “संमत सोलह से क्षीहंतरा” के अनुसार ईसवी सन् १६१६ ई० होता है न कि १६१४ ई०। मिर्जापुर में अब उक्त प्रति कोई पता नहीं है। उसकी नागरी अच्छरों में सं १८८७ की लिखी एक प्रति मेरे संग्रह में है। उसकी पुष्टिका के अनुसार इसका नाम ‘शानदीपक’ होना चाहिये।

३२ कासिमशाह—हंस जवाहिर—पहले यह श्रयोध्या से प्रकाशित हुआ था, बाद में नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने छापा है। जिसका पाँचवा संस्करण आजकल प्राप्य है। इसका पहला संस्करण जो श्रयोध्या से प्रकाशित हुआ था, अधिक प्रामाणिक है। उर्दू में भी इसके दो तीन संस्करण छुप चुके हैं।

३४ नूर मुहम्मद—इंद्रावती। मिर्जापुर के मौलवी अबदुल्लाह के यहाँ से प्रति मिली थी, जिस पर से इसका पहला खंड बाबू श्यामसुंदरदास जी ने सन् १६०६ ई० में जमा से प्रकाशित कराया था। और दूसरा खंड तैयार किया हुआ सभा पुस्तकालय में सुरक्षित है। मूल प्रति का मिर्जापुर में अब कोई पता नहीं है।

३५ दूलनदास—शब्दावली। बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हो चुकी है।

४६ शेखनिसार—यूसुफ जुलेश्वा। हिंदुस्तानी प्रेक्षणी से “हिंदी प्रेमगाथा काव्य संग्रह” नामक संग्रह में प्रकाशित और प्राप्य।

४८ सईद पश्चार—रसरकाकर (ग्रन्थ का नाम रसरतनागर है) ग्रन्थ वैद्यक का है। भाषा मिश्रित अवधी है। अधिक विवरण के लिए बीकानेर में सुरक्षित प्रति देखनी चाहिए। तथा सोजा दि० सन् १६०६ से ११ पृ० ३७३

५० युगुलानन्द शरण होना चाहिए। श्रयोध्या में इनकी गही तथा ग्रन्थादि भी वर्तमान हैं।

६२ स्वाजा अहमद—नूरजहाँ। रचनाकाल सन् १९०५ ई०। इसकी एक प्रति बाबू गोपालचंद्र सिंह लखनऊ के पास है।

६३ मुहम्मद मसीर—प्रेम दर्शन, उर्दू में प्रकाशित और कानपुर से प्राप्य।

—हृष्मांक साली

नागरीप्रचारिणी पत्रिका
वर्ष : ६० संबत् : २०१२ अंक : २



चयन पताकास्थानक की समस्या

[डा० बी० एम० कुलकर्णी]

[जर्नल आफ द युनिवर्सिटी आफ बांबे, सितंबर, १९५५, खंड चौधीस (न्यू सीरीज), भाग २ में प्रकाशित 'द प्रॉब्लेम आफ पताकास्थानक' शीर्षक निर्बंध का संक्षेप ।]

संस्कृत के नाट्य शास्त्र में पताकास्थानक को महत्वपूर्ण नाट्यकौशल माना गया है। नाट्यशास्त्र ने उसके चार मेद किए हैं। परंतु पाठक की सहज बोधगम्भीरता के लिए इसमें कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं दिए गए। नाट्यविज्ञान के उत्तर आचार्यों ने भी या तो नाट्यशास्त्र की बात दुहरा दी है या आपनी रचि की परिभाषाएँ तथा उदाहरण दिए हैं। कभी कभी ये आचार्य एक ही उदाहरण को विभिन्न प्रकारों की पुष्टि के लिए उपस्थित करते हैं। इस निर्बंध में पताकास्थानक के विभिन्न रूपों पर विशद विवेचन करने का आयोजन है।

नाट्यशास्त्र ने इसकी साधारण व्याख्या यों की है —

जब आयोजित अथवा अपेक्षित वस्तु अथवा कल्पना के स्थान पर उसी प्रकार की दूसरी वस्तु आकस्मिक ढंग से उपस्थित हो जाय तो उसे पताकास्थानक कहते हैं।

नाटककार के हाथिकोण से 'प्रस्तुत' उसके विपरीत होता है। इसका समानांतर प्रमाण अलंकारशास्त्र से दिया जा सकता है। अन्योक्ति (अप्रस्तुत प्रशंसा) में 'अप्रस्तुत' केवल 'प्रस्तुत' का संकेत करता है जो कवि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वही उसकी कल्पना को अलंकरण प्रदान करता है। इस प्रकार यही उसका 'चितित अर्थ' तथा 'अप्रस्तुत' उसका 'अन्य अर्थ' होता है। दशरथक की व्याख्या से प्रतीत होता है कि धनञ्जय ने पताकास्थानक को नाट्यकार की दृष्टि से ही देखा। अभिनव तथा अन्य

आचार्य 'चितित श्रथ' को ही तत्कालिक प्रस्तुत मानते हैं। यह बताना कठिन है कि भरत के मन में उसका वास्तविक रूप क्या था। अधिक सुविधाजनक यही है कि दर्शक तथा पात्र के दृष्टिकोण से उसे समझा जाय।

साधारण परिभाषा देकर भरत ने इसके चार भेद बताए हैं—

जब (नायक का) लक्ष्य अप्रत्याशित ढंग से पूर्ण हो जाता है और प्रत्याशित (लक्ष्य) से ऊँचा उठकर रहता है, तब उसे प्रथम पताकास्थानक कहते हैं।

नाथशास्त्र के अनुसार (आलंकारिक चमत्कार के लिए प्रयुक्त अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य दूसरा पताकास्थानक होता है जिसका प्रयोग द्व्यर्थक होता है।

नाटकलक्षणरत्नकोश तथा साहित्यदर्पण इसके उदाहरण में वेरणी० १-७ का उद्धरण देते हैं जिसकी स्पष्ट धनि कौरवों का कस्याण तथा संकेत कौशल के विनाश का है। यह द्विविध अर्थ रक्त, विग्रह आदि द्व्यर्थक शब्दों के कारण है। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट नहीं माने जा सकते क्योंकि इनसे तीसरे तथा चौथे प्रकारों में कोई भेद स्पष्ट नहीं होता। रसार्णवसुधाकर ने उत्तर रामचरित का प्रसिद्ध वाक्य (... विरहः ।—उपस्थितः) इस भेद के उदाहरण में रखा है जो स्पष्टः अशुद्ध है। राघवभट्ट के अनुसार नेपथ्य-वाक्य "चक्रवाकषद्वृष्ट, आमंतेहि सहशरं। ठवट्टिआराणी ।" द्वितीय पताकास्थानक का लक्षण है। वह वाक्य स्पष्टः अप्रस्तुत प्रशंसा (अन्योक्ति) है—यह चक्रवाकी को प्रियतम से विदा लेने को प्रेरित करता है; और राजा तथा शकुंतला के संबंध में प्रेक्षकों पर इसका प्रभाव तत्काल होता है।

तीसरे पताकास्थानक की व्याख्या इस प्रकार है—जब कोई पात्र किसी घटना के घटित होने न होने के विषय में संदिग्ध होता है और किसी अन्य पात्र के अन्य संदर्भ में दिए गए उत्तर से उसका अम दूर हो जाता है तो उसे तीसरा पताकास्थानक कहते हैं।

पहले कहा गया है कि दूसरे तथा चौथे पताका स्थानकों के उदाहरणों में सूक्ष्म भेद करना कठिन है। दोनों उदाहरण दोनों के लिए दिए गए हैं। रुदिवादी टीकाकार इसके उत्तर में कहेरे कि दूसरा 'प्रधानार्थ विशेष' तथा चौथा 'अप्रधानार्थ' का द्योतक है। परंतु विश्वनाथ की स्पष्टोक्ति के आगे यह तर्क नहीं ठहरता।

आगे चलकर धनंजय के अतिरिक्त अन्य आचार्य भी नाथशास्त्र के मतैक्य में पताकास्थानक के चार भेद ही करते हैं। दशरथक के अनुसार प्रस्तुत (कथावस्तु अथवा विषय-सामग्री) से संबंधित किसी आगामी घटना का संकेत पताकास्थानक होता है। अन्यत्र

अवलोक ने अन्योक्ति (= अप्रस्तुत-प्रशंसा) तथा समासोक्ति के द्वारा पताकास्थानक के सेदूमाने हैं ।

धनंजय के तुल्यसंविशान तथा तुल्यविशेषण के आधार पर किए गए भेद ठीक तो है परंतु व्यवहार में कभी-कभी यह संयुक्त रूप से भी मिलते हैं । भावप्रकाशन ने इसका क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया है जब वह अपनी व्याख्या में भविष्य-संकेत के साथ भूत का संकेत भी मान लेता है ।

पताकास्थानक के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि (१) यह दर्शकों के आनंद के लिए प्रयुक्त कौशल है, (२) प्रायः इसके द्वारा निकटस्थ अथवा दूरस्थ भावी घटना का संकेत मिलता है, (३) स्थूल रूप में इसके दो भेद होते हैं—द्व्यर्थक परिस्थिति द्वारा तथा द्व्यर्थक वाच्य द्वारा, (४) नाट्यशास्त्र ने पताकास्थानक के चार भेद इस प्रकार किए हैं—प्रथम में द्विपार्श्व परिस्थिति से नायक की लक्ष्य सिद्धि, द्वितीय में प्रस्तुत से संबंधित अतिशयोक्ति द्वारा भविष्य का संकेत, तृतीय में पात्र के द्व्यर्थक कथन से प्रस्तुत का ही नहीं भावी का भी संकेत मिलता है; इसमें तथा गण्ड (अधम वीथियंग) में बहुत समानता होती है । परंतु गण्ड, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, व्याधात की सूचना करता है और पताकास्थानक शुभ की सूचना करने के साथ नायक की लक्ष्य सिद्धि में सहायक होता है ।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि नाट्य कौशल के वह तत्व जिन्हें पाश्चात्य समीक्षक नाटकीय व्याजोक्ति (ड्रामैटिक आइरनी) कहते हैं, संस्कृत के नाटककारों को विदित थे तथा प्राचीन नाट्य-आचार्य उन पर ध्यान देते थे । अवश्य ही इसका यह भाव नहीं कि उन्होंने उनका प्रयोग भी उतनी मात्रा में किया है जितना कि श्रॅंगरेजी के नाटककारों ने । ‘आगामी घटनाओं का पूर्वाभास’ होने का नियम अनुभव का तथ्य है । इस नियम के अनुसार संस्कृत नाटक की गंभीर घटनाएँ प्रायः अपनी पूर्वसूचना दे देती हैं । गण्ड तथा पताकास्थानक के भेद आगम-पूर्वाभास (Prophetic anticipation) से मेल खाते हैं । कभी-कभी प्रच्छन्न संकेत या अस्पष्ट छाया के रूप में इनके आभास मिलते हैं । पताकास्थानक और (गण्ड भी) कलात्मकता के साथ सफल हों; कभी भी उनका प्रयोग अस्वाभाविक रीति से नहीं होना चाहिए । संस्कृत के नाटककारों ने पताकास्थानकों की सुष्ठि कौशल के साथ की है ।

चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वसुन्धरा — एक टिप्पणी

[डा० उमाकांत पी० शाह]

[जर्नल आफ द ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, खंड पाँच, संख्या १ (सितंबर १९५५) में प्रकाशित 'ए नोट ऑन वसुन्धरा-द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड' शीर्षक निबंध का संक्षेप ।]

लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु हिंदू-धर्मशास्त्र का निबंध-ग्रन्थ है। लेखक ने अपने संबंध में महाराजाधिराज गोविंदचंद्र का महा-संधि-विग्रहिक होना लिखा है। गोविंद-चंद्र के अभिलेखों की अवधि प्रायः आधी शताब्दी, ११०८ से ११५४ ई० तक, है।

राजवाट से प्राप्त और संभवतः प्राचीन काशी में लिखा गया एक आंशिक लेख प्राचीन परंपरा के संबंध में विश्वसनीय कहा जा सकता है।

कृत्यकल्पतरु के नवे खंड, ब्रतकाण्ड में निम्नलिखित श्लोक (व्रतप्रशंसा) मिलता है—

सन्ति यथयि भूयांसो लोके धर्मा युगे युगे ॥

तथापि व्रतधर्मस्य नार्हन्ति षोडशीम् ॥

व्रतेन मुक्तिमापना हरिणाक्षी वसुन्धरा ॥

विक्रमस्य सुता साध्वी दशार्णनिवासिनी ॥

उपर्युक्त श्लोक से विदित होता है कि कि विक्रम की हरिणाक्षी, साधुस्वभाव की (साध्वी) तथा दशार्ण-निवासिनी पुत्री ने इस व्रत के द्वारा मुक्ति प्राप्त की।

यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त व्रत करके मुक्तिलाभ करने के उदाहरण में विशेष रूप से विक्रम की पुत्री का उल्लेख किया गया है। उसके व्रत का कारण क्या था? उसे साध्वी क्यों कहा गया? क्या वह विषवा थी जो आगे कठोर व्रत करके साध्वी नारी कहलाई तथा जिसने ऐसे आनंदण्ठों से मुकिलाभ किया? इन तथ्यों के निराकरण के साधन उपलब्ध नहीं हैं यथापि ऐसी कल्पनाएँ की जा सकती हैं। लक्ष्मीधर की इस उक्ति पर विवास किया जा सकता है कि विक्रम की पुत्री का नाम वसुन्धरा था और वह साध्वी की भाँति रहती थी। यहाँ यह संकेत किया जा सकता है यह विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता है जिसका संबंध दशार्ण तथा मालवा से प्रसिद्ध है।

बाकाटकवंशीय प्रवरसेन द्वितीय की माता प्रभावती गुप्ता बहुत युवावस्था में ही विषवा हो गई थी और कुछ काल के लिए वह सम्राट की अभिभावक रही। उसने अपने

को गुप्त सम्प्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय (देवगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध) की पुत्री कहा है। संभव है युवावस्था में ही विधवा हो जाने के कारण उसने अपना शेष जीवन व्रतान्वरणों में विताया और इस दिशा में आर्दश मानी गई हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्मीधर के द्वारा उल्लिखित वसुन्धरा संभवतः वाकाटक सम्प्राट् रुद्रसेन द्वितीय की सामाजी, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का ही वास्तविक नाम था।

निर्देश हिंदी

हिंदी अनुशीलन, प्रयाग, वर्ष ७, अंक ४, संवत् २०११

‘पृथ्वीराज रासो’ के तीन पाठों का आकार-संबंध—डॉ० माताप्रसाद गुप्त। पृथ्वीराज रासो के नार पाठ बताए जाते हैं—वृहत्, मध्यम, लघु और लघुतर। प्रस्तुत निर्बंध में प्रथम तीन पाठों को लेकर विचार किया गया है।

चिन्तामणि कृत ‘शृंगार मंजरी’—डॉ० भगीरथ मिश्र। जैसा शीषक से स्पष्ट है प्रस्तुत निर्बंध में कवि तथा उसकी कृति के रचना-काल आदि पर विचार है।

हिंदी के आदि नाटक—डॉ० दशरथ ओझा। नाटक का तात्पर्य प्रस्तुत निर्बंध में धनंजय के दस प्रकार के रूपों से नहीं बरन् इससे भी व्यापक अर्थ में लिया गया है। लेखक ने काव्यानुशासन के रचयिता हेमचंद्र के स्वतंत्र वर्गीकरण—प्रेश्य तथा गेय—को मान्यता देते हुए रास की अभिनेयता तथा वैष्णव एवं जैन मंदिरों में अभिनीत होनेवाले रास के स्वरूप, अभिनयशालाओं आदि पर प्रकाश डाला है।

दशधा-भक्ति—डॉ० जगदीश गुप्त। भागवत के सप्तम संधि में ‘नव लक्षण’ भक्ति का निरूपण किया गया है। ‘श्री हरिभक्ति रसामृत सिद्धु’ में रूप गोस्वामी ने भक्ति के ‘वैधी’ तथा ‘रागानुगा’ दो भेद करते हुए ‘रागानुगा’ को प्रधान माना है। प्रस्तुत निर्बंध में ‘प्रेम भक्ति’, ‘सुधा भक्ति’ आदि कही जाने वाली इस दसवें प्रकार की भक्ति का विवेचन है।

धौलपुर में रामायणी मूर्तिकला की झाँकी—गंगाप्रसाद कमठान। [शोधपत्रिका उदयपुर, भाग ६, अंक २-३, दिसंबर-मार्च, ५४-५५।] इससे सूचना मिलती है कि धौलपुर में बहुतेरी भारतीय शैली पर निर्मित मूर्तियों के भगवानशेष मिलते हैं। पचकुंडा (वर्तमान पचगाँव) के सभीप एक शिलालेख में राम की लोककथा की ध्वनि का आभास होता है। पचगाँव के उचरी-पूर्वी भाग में एक रामायणी

मंदिर के खंडहरों में पड़े एक शिलाखंड पर बाली-मुग्रीव गदा-युद्ध करते हुए अंकित है। भौलपुर से बाढ़ी जाने वाले रेल-मार्ग पर स्थितमीहारी नामक स्थान पर बाल्मीकि-आश्रम गुफा के स्पृष्ट में है। इस गुफा में २-३ फुट धरती खोदने पर रामायणी मूर्तियाँ निकलती हैं। इनमें की अनेक मूर्तियाँ कलकत्ता, दिल्ली तथा भारत-कला-भवन, बनारस में रखी हैं। (भारत-कला-भवन में शिलालेख भी आए हैं —संपादक)।

संतकवियों के प्रेमाख्यान—श्री परशुराम चतुर्वेदी। [साहित्य पटना, वर्ष ६, अंक ७, संवत् २०१२, १९५५] प्रस्तुत निबंध में दुखहरन की 'पुण्यावती' तथा धरणीदास की 'प्रेम प्रगास' नामक कृतियों पर विवेचन है।

अंगरैजी

मेथडस ऑफ वेदिक इंटरप्रिटेशन—श्री डी० टी० ताताचार्य [जनल आफ श्री वेंकटेश्वर ओरिपर्टल इंस्टीट्यूट, तिष्पती, खंड पंद्रह, भाग १, १९५४]। मैकडानल ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि कोई भी ऐसी प्राचीन टीका नहीं है जो ऋग्वेद को ठीक तथा संतोषप्रद ढंग से समझने में सहायक हो। ब्राह्मण, निश्च तथा भाष्य में उसने सायण के अनेक दोष इंगित किए हैं। प्रस्तुत निबंध में मैकडानल की निश्च संबंधी आलोचनाओं पर विचार किया गया है।

लैंगवेज—ऐन अप्रेज़ल—श्री कण्ठाटकी [जनल आफ द युनिवर्सिटी आफ बाम्बे, खंड चौबीस (न्यू सीरीज), भाग २, सेप्टेंबर १९५५]। भाषा के उद्घव, विकास तथा मूल्यांकन पर गवेषणात्मक निबंध।

द पीपुल ऑफ रामायण एज—डा० एस० एन० व्यास [जनल आफ द ओरिपर्टल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, खंड ५ संख्या १, सितंबर १९५५]। रामायणकालीन मानव-संस्कृति का निरूपण।

द आर्यन वे आफ लाइक इन द रामायण—डा० एस० एन० व्यास [वही, खंड ५ संख्या २, १९५५] रामायण में आर्यजीवन की भलक।

वेदिक 'इष्'—'दु प्रॉस्पर'—टी० बरो [बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिपर्टल एंड अफ़्रीकन स्टडीज युनिवर्सिटी आफ लंडन, खंड सत्रह, भाग २, १९५५]। इस निबंध में लेखक ने यह स्थापना की है कि वेदिक शब्द 'इष्' की व्याख्या समृद्धि, श्री आदि जैसे संपन्नता-सूचक अर्थों की छाया में ही होनी नाहिए।



नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष : ६० संवत् : २०१२ अंक : २



समीक्षा

काव्य मीमांसा (हिंदी-अनुवाद युक्त)। मूल लेखक—राजशेखर, अनुवादक श्री केदारनाथ शर्मा, सारस्वत, प्रकाशक—बिहार राष्ट्र-भाषा-परिषद्, पटना, पृष्ठ सं०-४६ + ३१८, मूल्य ६॥)।

संस्कृत के अलंकारशास्त्रियों अथवा शास्त्रज्ञों में बहुत दिनों से 'काव्य-मीमांसा' का प्रचलन लुप्तप्राय था। बीसवीं शती के प्रथम चरण में इस ग्रंथ का समुचित प्रकाशन, विद्वत्तापूर्ण ढंग से गायकवाङ् संस्कृत सीरीज, बडौदा द्वारा प्रस्तुत किया गया। तब से इस ग्रंथ का पुनः पठन-पाठन प्रचलित हुआ।

यह ग्रंथ, आष्टादश अधिकरणों में विभाजित राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' का प्रथम अधिकरण मात्र है। इस अंश का वास्तविक नाम है—कवि-रहस्य। काव्य-विषयक तत्वों की मीमांसा, इस अंश का मुख्य निरूप्य विषय नहीं है। रस, अलंकार, गुण आदि प्रचलित शास्त्रीय विषयों का निरूपण आगे के विभिन्न अधिकरणों में करने की योजना थी। इस योजना की अधिकरण-सूची से ग्रंथ की पूर्ण परिधि का पता चलता है। पर दुर्भाग्य से कदाचित् आगे के अधिकरण निर्मित न किए जा सके, या यदि निर्मित हुए भी तो विलुप्त हो गए हैं। फिर भी प्रस्तुत अधिकरण, कवि-रहस्य, का भी महत्व कम नहीं है। बहुत से ऐसे विषयों की चर्चा तथा विवरण इस ग्रंथ से मिलते हैं जो तत्कालीन साहित्य-शास्त्रीय दृष्टि की शृंखला में पर्याप्त महत्व रखते हैं। कवियों के भेद और प्रकार, भावक और कारक आदि वर्गीकरण—काव्य-मीमांसा की नई देन है। इन्हीं कारणों से प्रस्तुत ग्रंथ, संस्कृत साहित्यशास्त्र के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है।

अनुवाद अधिकारी व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित हिंदी में संपन्न हुआ है। आरंभ में ४६ श्लोकों की भ्रूमिका के अनन्तर मुख्य ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत मूल, हिंदी-अनुवाद (और यत्र

तत्र टिप्पणियाँ भी) हैं। तदनंतर चार परिशिष्टों द्वारा प्रस्तुत रचना में निर्दिष्ट आचार्यों, कवियों, ऐतिहासिक व्यक्तियों, भौगोलिक स्थानों, नदियों, पर्वतों, ग्रन्थों आदि का परिचय है और अंत में अनुक्रमणिका है।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का यह प्रकाशन अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल है। फिर भी सभूत ग्रन्थ में, विशेषतः भूमिका में, उस आधुनिक गवेषणात्मक दृष्टि का अभाव है, जिसका आधार लेकर ग्रन्थों का संपादन और समीक्षण आधुनिक वैज्ञानिक सरणि है। फिर भी अनुवादक ने यथा-संभव ऐतिहासिक सामग्री का संकलन और तद्विषयक परिचय देने का प्रयास किया है। ग्रन्थ संग्रहणीय, समयोग्योगी एवं स्वागतार्ह है।

— विश्वनाथ शास्त्री

संयुक्त-निकाय—अनुवादक, श्री भिक्षु जगदीश काश्यप तथा भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक—महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस। ४० सं० (प्रथम भाग) २+२+२+१२+१३२+४४२+२०, मूल्य, सात रुपए।

बौद्धों को दृष्टि में त्रिपिटक की वही प्रतिष्ठा है जो हिंदुओं के लिए वैदिक संहिताओं की। त्रिपिटक के तीन ग्रन्थों में ‘मुत्तः ग्रन्थ’ का सांप्रदायिक महत्व है। इसके भी तीन विभाग हैं—दीन-निकाय, मञ्चिकम निकाय और संयुक्त-निकाय। इस निकाय में छोटे-बड़े सभी प्रकार के सूत्रों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विषय भी विवृत किए गए हैं, भगवान् बुद्ध के द्वारा ‘प्रतीत्य-समुदाय’ सिद्धांत की व्याख्या की गई है एवं ‘स्वर्धवाद’ तथा ‘आयतनवाद’ के निरूपण द्वारा बुद्ध-प्रतिगादित ‘अनात्मवाद’ की स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म से संबद्ध महत्व के विषयों का इसमें संकलन है।

बुद्धकालीन भारत के मानचित्र के साथ भौगोलिक परिचय ग्रंथारंभ के पूर्व दे देने से ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है।

अनुवाद बौद्ध धर्म और पालि भाषा के मर्मज्ञ एवं प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा संपन्न हुआ है—अतः उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। महाबोधि सभा (सारनाथ) द्वारा हिंदी के माध्यम से बौद्धों के पालि-साहित्य का जो प्रकाशन-कार्य, अनवरत किया जा रहा है, वह अत्यंत समयोग्योगी है। राष्ट्रभाषा के माध्यम से ऐसे प्रकाशनों द्वारा प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय महापुरुष भगवान् तथागत के उपदेशों में निहित मानवता के आदर्शों से लोक-परिचय होगा तथा सर्वजनसुख, सर्वलोकहित, सर्व-

भूतानुरुक्ति के सिद्धांत का भारत ही नहीं, समस्त भूमंडल में प्रचार और प्रसार होगा। हमारा विश्वास है, महाबोधि सभा का यह महानुष्ठान द्रुतगति से अप्रसर होता चलेगा।

— कश्णापति त्रिपाठी

हिंदी निबंधकार—ले० श्री जयनाथ 'नलिन'; प्रकाशक — आत्माराम एंड संस, दिल्ली; मू० ६)।

आलोच्य पुस्तक में निबंध का क्रियाकल्प-संबंधी वैशिष्ट्य उद्घाटित करने के बाद अंगरेजी निबंध का संक्षिप्त विवरण और हिंदी के निबंधकारों का विस्तृत परिचय देने का प्रयास किया गया है। अब तक हिंदी-निबंध की तीन-चार छोटी-मोटी पुस्तकें निकल चुकी हैं, ऐसी स्थिति में इस नवीन पुस्तक से कुछ नवीनता और अधिक सार्थक विवरण-परीक्षण की आशा स्वाभाविक थी। पर स्वेद है कि नवीनता, भाषा की उछलकूद, आकार की स्थूलता और मूल्य की अधिकता में ही दिखाई पड़ी।

यों नशापन लाने की कोशिश यत्र-तत्र की गई है पर वह बागाड़नर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो पाया। लेखक ने निबंधों के दो वर्ग बनाए हैं—परात्मक (आब्जेक्टिव) और निजात्मक (सब्जेक्टिव)। परात्मक के अंतर्गत वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध माने गए हैं तथा निजात्मक के अंतर्गत विचारात्मक, भावात्मक और आत्मपरक निबंधों को रखा गया है। पर यह वर्गीकरण मामूली गड़बड़भाले का नहीं है। क्या शुद्ध वस्तुनिष्ठ वर्णन या विवरण निबंध माना जायगा? आखिर साधारण लेख और निबंध में मूलभूत अंतर तो यही है न कि निबंध में लेखक का आत्मीय राग न्यूनाधिक मात्रा में स्पष्ट रहता है जब कि साधारण लेख में नहीं के बराबर। तो फिर वर्णनात्मक और विवरणात्मक को 'परात्मक' के ही कब्जे में क्यों दे दिया जाय। वस्तुतः वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक (या विवेचनात्मक) और भावात्मक—ये कथन की शैलियाँ हैं और इनका उपयोग आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ—किसी भी प्रकार के निबंध की रचना में हो सकता है। ऐसी स्थिति में लेखक का उक्त वर्गीकरण निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।

अब जरा निबंधों के विभिन्न वर्गों का परिचय देखिए—'वर्णनात्मक निबंध में अधिकतर स्थिर—क्रियाहीन—पदार्थों का चित्र रहेगा, विवरणात्मक में क्रियाशीलता का। कथात्मकता इसकी सर्वोंगति विशेषता है। ऐतिहासिकता भी इसी को कहते हैं।' (पृ० २०) पर क्या वर्णन स्थिर और गत्वर दोनों ही प्रकार के दृश्यों का नहीं हो सकता? स्वयं लेखक ने भट्ट जी के 'मेला-ठेला' को वर्णनात्मक निबंध माना है जिसमें नाटकीय कौशल

से गत्वर हस्य सामने लाया गया है। पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'प्रभात' (पृ० १६) (जो पृ० १०७ तक पहुँचते पहुँचते संबद्ध होकर 'प्रभात-कुषमा' बन गया) को वर्णनात्मक माना गया है अब कि वह एक संस्कृत काव्य के प्रभातवर्णन के आधार पर लिखा गया यह निबंध वस्तुतः भावात्मक है। प्रसादजी की कहानियो—स्वर्ग के खँडहर और आकाश-दीप—के विषय में कहा है, 'इस प्रकार के भावात्मक गद्य-खंडों को हम निबंध की कोटि में ही रखते हैं' (पृ० २४)। इस उक्ति पर क्या कहा जाय। इगले ही पृष्ठ पर (पृ० २५) अंकित है—'हास्य-व्यंग की गद्यात्मक रचनाएँ भी भावात्मक निबंध' के अंतर्गत आती हैं। हास्य तो, माना, भाव (या रस) है पर व्यंग आलोचनात्मक वृत्ति पर आघृत होने से बुद्धिविशिष्ट ही होगा।

निबंध की शैली कई प्रकार की हो सकती है, नाटकीय और संवादात्मक भी हो सकती है, यह सर्वमान्य है। लेकिन लेखक के शब्दों में '‘नई सम्यता की बानगी’ में तो संवादों की वह भरमार कि निबंधात्मकता दब ही गई।' (पृ० ७०)। वैसे इस वाक्य की व्याकरणिक अशुद्धि पर कुछ कहना बेकार है क्योंकि ऐसे स्वलित अपूर्ण वाक्यों की तो आलोच्य पुस्तक में भरमार है।

ओज, माधुर्य और प्रसाद—ये भापाशैली के गुण हैं। विचारात्मक, भावात्मक आदि शैली के विविध रूप हैं। व्यास और समास मुख्यतः पद-योजना तथा वक्तव्य वस्तु के प्रकाशन के विस्तार और संकोच से संबद्ध हैं। इन भेदों या वर्गों के आधार को विस्मृत कर देने के कारण सारा गुड़ गोचर हो गया है। केवल एक उदाहरण दिया जाता है—'(शुङ्क जी लिखित) मित्रता, प्राचीन भारतीयों का पदरावा, भारतेन्दु हरिश्चंद्र की शैली प्रसादात्मक है। इनके अतिरिक्त सभी निबंध विचारात्मक हैं, श्रेष्ठ विचार-प्रधान निबंध इसी विवेचनात्मक शैली में रचे जा सकते हैं, व्यास या प्रसाद में नहीं।' (पृ० १५६)। इस कथन से यह पता चलता है कि प्रसादात्मकता और विचारात्मकता एक ही कोटि या वर्ग के हैं। वाक्य के अंतिम अंश से लगता है कि 'व्यास' और 'प्रसाद' भी एक ही वर्ग के हैं। इसे छोड़ भी दें तो प्रश्न रह जाता है कि श्रेष्ठ विचार-प्रधान-निबंध की शैली प्रसादगुण संपन्न क्यों नहीं हो सकती? यों लेखक ने तो कुछ रचनाओं को प्रसाद-गुण-विशिष्ट मात्र होने के कारण निबंध के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया है—'.... शैली इतनी प्रसादपूर्ण है कि निबंध न होकर ये बात-कथन मात्र रह गए।' (पृ० ७०)। मानों प्रसादगुण अर्थात् स्पष्टता, सरलता, सुव्योधता शैली का भारी दोष है।

अब आनंदी के तौर पर कुछ तथ्य-संबंधी दोषों का भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। लिखा है, 'प्रकृतिसंबंधी लेख लिखने में ठाकुर जगमोहन सिंह को भुलाया नहीं जा सकता।' (पृ० ६९)। पर जगमोहन सिंह ने लेख या निबंध लिखे ही नहीं। हाँ उनके 'श्यामास्वप्न' उपन्यास से प्रकृतिवर्णन वाले कुछ अंश कठिनय पाठ्य-पुस्तकों में आवश्य संकलित हैं। यही हाल 'ब्रह्मकांति' का भी है। पूर्णसिंह ने इस नाम का कोई निबंध नहीं लिखा है। यह उनके 'पवित्रता' शीर्पक निबंध का आरंभिक अंश मात्र है। पं० प्रतापनारायण के जिस 'शिवमूर्ति' नामक लेख को लेखक ने उनका उत्कृष्ट विचारात्मक निबंध माना है वह वास्तव में 'शैव सर्वस्व' नामक पुस्तक का एक अंश है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध-संग्रह 'कल्पता' को 'अशोक के फूल' के पहले का प्रकाशन मानकर विलक्षण निष्कर्ष निकाला गया है। वास्तव में 'अशोक के फूल' का प्रकाशन पहले हुआ है। यों लेखक ने कम से कम पुस्तकों या रचनाओं का निर्देश करके इस तरह के खतरों से बचने की सतर्कता भी बरती है; जैसे, गुलेरी जी के विवेचन के लिए केवल 'कुछआधर्म' को ले लिया गया है और अंत में उनके एक अन्य लेख से भी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं, वह गुलेरी जी खत्म।

पुस्तक में कई नए लेखक भी आए हैं। उन्हें देखते हुए अन्य वैसे या उनसे अच्छे लेखकों का छूट जाना खटकता है। होना तो यह चाहिए कि मूल्याकान के लिए उने हुए लेखकों को ही लिया जाय और नाम गिनाने की प्रणाली छोड़ दी जाय। ऐसा होने से बहुत सा कड़ा-कचरा अपने आप छूट जायगा और निवंधालोचन का एक स्तर भी बनेगा।

आलोच्य पुस्तक की भाषा और शैली अत्यंत चिंतनीय है। 'प्रथक' (पृ० २६ आदि), 'गांभीर्ता' (पृ० १४४) 'गुदगुदी करके' (पृ० ८८) जैसे महादोषों को छोड़ भी दिया जाय तो सैकड़ों वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनका या तो कुछ अर्थ ही नहीं होता या महाभयंकर अर्थ होता है। कुछ अनायास चुन लिए गए उदाहरण लीजिए—

* 'उनकी कला का आदर्श जन-जन का मनोरंजन नहीं, सामान्य समाज में प्रियता प्राप्त करना नहीं, शृंगार-सदन मैं सजते रहना, अपने सौंदर्य पर स्वयं मुख्य होना और आराम से पढ़े एकश्राव आग-विलासी के यहाँ पहुँच मन-बहलाव कर आना। ऐसी भाषा जन-संरक्ष में न आएगी, न उसमें प्राणी होंगे, न जीवन-शक्ति। वह तो अपने विलास-भवन में ही मर जाएगी।' (पृ० ८२)

- * ‘विचारात्मक निबंध ही द्विवेदीजी ने अधिक लिखे। ऐसा नहीं; इन्होंने अन्य प्रकार के निबंध लिखे ही नहीं।’ (पृ० १०७)
- * ‘ब्रह्मकांति के अतिरिक्त (पूर्णसिंह के) शेष ... निबंध विषयानुसार विचारात्मक हैं। इनमें न तो प्रसाद और न विवेचन-शैली अपनाई गई। विचारात्मक होने पर भी ये निबंध भावात्मक बन गए हैं। शैली, रसानुभूति, भावावेग, आत्मीय मधुर अनुरोध, के कारण इनमें भावात्मक निबंध का रस मिलता है।’ (पृ० १२७)—[इसके बाद वाग्जाल और सधन हो गया है]
- * ‘भाषा पर पूर्णसिंह का मैत्रीपूर्ण असाधारण अधिकार है।’ (पृ० १३०)—[फिर आगे कोरा वागाडंबर है।]

इन सभी अंशों में भौति-भौति के चमत्कार और नाना प्रकार के रस हैं। स्थल-संकोच से उन्हें स्पष्ट नहीं किया जा सकता पर सुधी पाठक स्वयं समझ लेंगे। इस पुस्तक की माषा के संबंध में, एक अन्य लेखक के संबंध में प्रस्तुत पुस्तक में प्रकट किए विचारों को उद्धृत कर देना असंगत न होगा—‘भाषा में स्थलन... चंचलता और उछलकूद (इसकी) विशेषता है। भाषा-संबंधी दोष जहाँ-तहाँ ... विसरे पड़े हैं ... वाक्य का विलक्षण और दुर्बोध स्वर्ग भी मिलता है।’

आलोचना के क्षेत्र में मिथ्याडंबर से भरे, अशुद्ध और निरर्थक वाग्जाल फैला कर पैसा कमाने वाले लेखकों की भीड़ अब अनियंत्रित होती जा रही है। इससे साहित्य और उसके विद्यार्थियों का असाधारण अपकार हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक एकदम ऐसी नहीं है। इसमें विद्वान लेखक ने कुछ नई बातें भी कहने का प्रयत्न किया है। हम आशा करते हैं कि अगले संक्षरण में ऊपर निर्दिष्ट और उस तरह के अन्य दोषों का परिदृष्ट कर दिया जायगा और सार्थक बातों को अधिक व्यवस्थित ढंग से सामने रखा जायगा, व्यर्थ की बातें निकाल दी जायेंगी और कागज का जरा अधिक सतर्कता से सदुपयोग किया जायगा—तब इस पुस्तक के कम से कम सौ पृष्ठ कम हो जायेंगे। ऐसा होने पर लेखक, प्रकाशक, विद्यार्थी और साहित्य सबका हित-साधन होगा।

—समीक्षक

विश्वधर्म-दर्शन—ले० श्री सौंवलिया बिहारीलाल वर्मा एम०ए०, एल०एल० बी०, एम० एल० सी०। प्रकाशक—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना। पृष्ठ संख्या ६+६+४८४ (साइज—डबल क्राउन अठपेजी)। मूल्य सचिल्ड १३॥) सामान्य १२॥)

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने सर्वप्रथम जिन आठ ग्रंथों को प्रकाशित किया है, उनमें एक ग्रंथ यह भी है। यह विशालकाय ग्रंथ श्री साँवलिया विहारीलाल वर्मा के गंभीर अध्ययन तथा अध्यवसाय की उपज है। छृपरा निवासी श्री साँवलिया विहारीलाल वर्मा, एडबोकेट, एक पुराने हिंदी साहित्य-सेवी हैं। ये विहार की लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य भी हैं। वकालत के अत्यधिक व्यस्तजीवन को बिताते हुए भी वर्मा जी ने इस ग्रंथ के प्रणयन में जो मनन तथा ज्ञानमन्थन किया है, वह स्तुत्य है। जैसा कि ग्रंथ के 'दो शब्द' से ज्ञात होता है, वर्मा जी ने इस विषय पर एक अत्यधिक विशाल ग्रंथ लिखने की योजना बना रखी थी। उस योजना को देखते हुए प्रस्तुत ५०० पृष्ठों का ग्रंथ भी उसका एक क्षुद्र अंश सिद्ध होता है। श्री वर्मा जी इस विषय पर पाँच खंडों का प्रणयन करना चाहते थे, और उनका विचार था कि प्रत्येक खंड लगभग हजार पृष्ठों के अलग अलग ग्रंथ हो। इस प्रकार वह संपूर्ण ग्रंथ लगभग ५००० पृष्ठों तक विस्तीर्ण होता। प्रस्तुत ग्रंथ में वर्मा जी ने अपने इसी विशाल अध्ययन तथा मनन की एक 'माइक्रोफोपिक फ़िल्म' देने की चेष्टा की है। यद्यपि वर्मा जी ने इस ग्रंथ में अपनी मधुमत्तिका दृच्छा घोषित की है, तथा इसमें वे अपनी भौलिकता और निदृत्ता नहीं मानते, तथापि यह लेखक की शालीनतामात्र है, जैसा कि ग्रंथ के अध्ययन से ज्ञात होता है।

प्रस्तुत ग्रंथ को आठ खंडों में निभाजित किया गया है। पहले खंड में दस अध्याय हैं। प्रथम अध्याय सिंधुसभ्यता (हरप्पा तथा मोहेंजोदहों की सभ्यता) से संबद्ध है। इस अध्याय में बड़े संक्षेप में सिंधुसभ्यता का विवरण उपस्थित किया गया है। लेखक ने इसे द्रविड या अनार्य सभ्यता मानने का खंडन किया है। वे इसे वैदिक सभ्यता के ही परंपरागत विकास की एक कढ़ी मानते हैं। अगले आठ अध्याय वैदिक धर्म से संबंध रखते हैं। इनमें क्रमशः आर्यों के आदिनिवास, ऋग्वेद का काल-निर्णय, वेद का अर्थानु संधान, वेद और वैदिक साहित्य, वैदिक देवता, उपनिषद्, वेदांग, एवं वैदिक सभ्यता का विवेचन किया गया है। लेखक ने आर्यों के आदिम निवास के विषय में भी पाश्चात्य निदानों की उद्धावना का खंडन किया है। डाक्टर अविनाशचंद्र दास तथा स्वामी शंकरानंद की साक्षी पर वे आर्यों का आदिम निवास स्थान भारत को ही मानते हैं। वे कश्मीर को आर्यों का जन्मस्थान घोषित करते हैं। इसी परिच्छेद में वे पश्चियों का उल्लेख करते हैं, जो अनार्य न होकर आर्य ही थे, किंतु वैदिक धर्म व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये लोग ही पश्चोनिशिया आदि में जाकर बसे थे। मोहेंजोदहो की सभ्यता इन्हीं पश्चियों की समृद्ध दशा का संकेत करती है। ऋग्वेद के काल के विषय में भी लेखक ने स्वतंत्र

भारतीय मत प्रदर्शित किया है। वे मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए स्व० तिलक के मत को ही विशेष वैशानिक मानते हैं तथा ऋग्वेद का काल ईसा से ४००० वर्ष से बाद का मानने को तैयार नहीं। अगले परिच्छेदों में वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् तथा वेदांगों का परिचय है। वैदिक देवताओं तथा वैदिक सन्ध्या पर दो स्वतंत्र परिच्छेद प्रस्तुत किये गये हैं। इस खंड के दसवें परिच्छेद में पारसी धर्म का विवरण भी उपस्थित किया गया है।

दूसरे खंड में पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में वैदिकोत्तर भारत का ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिचय प्रस्तुत किया गया है। तदनंतर रामायण, महाभारत, तथा भगवद्गीता पर तीन परिच्छेद हैं। रामायण वाले परिच्छेद में रामायण-कालीन सांस्कृतिक चित्र तथा आर्य एवं अनार्यों का संघर्ष-शीर्षक अंश विशेष महत्वपूर्ण है। भगवद्गीता के संबंध में अपने विचार प्रकट करते समय लेखक ने महात्मा गांधी तथा योगी श्राविंद के बहुमूल्य विचारों को देकर इस परिच्छेद को महत्वपूर्ण बना दिया है। इस खंड का अंतिम परिच्छेद 'यहूदी धर्म' पर है। संक्षेप में यहूदी धर्म के उद्भव एवं विकास का ऐतिहासिक विवरण तथा उनकी धार्मिक मान्यताओं का संकेत किया गया है।

अगला खंड १० परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें आरंभ के ८ परिच्छेद भारतीय विचारधारा से संबद्ध हैं। बाकी दो परिच्छेदों में कनप्युशियस तथा ता-ओ के दर्शनिक एवं धार्मिक विचारों को उपस्थित करते हुए, चीन के प्राचीन धर्म का संकेत किया गया है। भारतीय विचारधारा से संबद्ध परिच्छेदों में जैन तथा बौद्धधर्म के पूर्व के भारत की सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हुए जैनधर्म तथा बौद्धधर्म का ऐतिहासिक, धार्मिक तथा दार्शनिक उपन्यास मिलता है। इसी खंड में दो परिच्छेद तत्कालीन नास्तिक दर्शन तथा आस्तिक दर्शन पर हैं। आस्तिक दर्शन में वे सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का विचार करते हैं, जैसा कि भारतीय दर्शन के पंडितों में प्रसिद्ध है। षट् आस्तिक दर्शनों में प्राचीनतम दर्शन सांख्य ही माना जाता है। इस प्रकार इस परिच्छेद में केवल सांख्य का विवेचन प्रस्तुत करना लेखक के इस मंतव्य को स्पष्ट कर देता है कि उसने इस ग्रंथ का खंड-विभाजन ऐतिहासिक आधार पर किया है।

अगला खंड बुद्धोत्तर काल के भारत का धार्मिक इतिहास है, जिसमें अंतिम परिच्छेद में ईसाई धर्म का विवेचन किया गया है। हिंदू-धर्म के रूप को समझने के लिए यह खंड अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें पुराणों का परिचय देते हुए उन जैन एवं बौद्ध-

पुराणों का भी संकेत किया है, जो ब्राह्मण पुराणों के ढंग पर बने थे। आगे के परिच्छेदोंमें शैवमत, शाक्तमत, सौरमत तथा गाण्डारितमत का विवेचन किया गया है। गाण्डारितमत का संकेत करते समय ग्रंथकार ने गणेश जी के विकास के विषय में दो विरोधीमतों को प्रस्तुत किया है। विद्वानों का एक दल गणेश को अनार्थ देवता मानता है, जब कि उपाध्याय जी उन्हें आर्य देवता ही घोषित करते हैं। पर इतना तो निश्चित है कि गणेश जी का वैदिक साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु पौराणिक काल में आकर वे देवताओं में अप्रणीत बन गए हैं। अगले परिच्छेद में धर्मशास्त्र का परिचय देते हुए स्मृतियों के संबंध में आवश्यक ज्ञानकारी दी गई है।

पांचवें खंड के प्रथम आध्याय में इस्लाम धर्म का विवरण उपस्थित किया गया है। इसमें कुरआन के सिद्धांतों का परिचय तथा इस्लाम धर्म के तत्त्व, संप्रदायों का उल्लेख है। शेष भाग में शंकरचार्य के अद्वैतवाद, योगमार्ग, वैष्णव या भागवतमत, शैव संप्रदाय, वैष्णवमत, तथा परवर्ती सुवारक और उनके पंथों का परिचय देते हुए कठीर पंथ, रैदासी पंथ, दादू पंथ आदि पंथों तथा सिख धर्म का विवरण दिया गया है। इस प्रकार इस खंड के शेष आठ परिच्छेदों में इसकी आठवीं शती से लेकर १५वीं-१६वीं शती तक के भारतीय धर्म का ऐतिहासिक विकास उपस्थित किया गया है।

अगले खंड में आधुनिक युग के विभिन्न धार्मिक उत्थानों का संकेत किया गया है। इसमें जायान के शितो धर्म पर भी एक परिच्छेद है। शेष परिच्छेदों में ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज, राधास्त्रामी-मत, यियोसोफिकल सोसायटी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद एवं रामतीर्थ के आध्यात्मिक संदेशों और दार्शनिक उद्घावनाओं का सुषुप्त आलेखन है।

ग्रंथ के शेष दो खंड संस्कृति से संबंध रखते हैं। इनमें प्रथम खंड के चार परिच्छेदों में भारतीय संस्कृति की समस्त विशेषताओं का संकेत करते हुए एक परिच्छेद वर्णाश्रम धर्म पर भी दिया गया है। अंतिम खंड में वर्तमान काल के भारतीय रीति-रिवाज़; वेश-भूषा, रहन-सहन, व्रतोपचास, एवं सामाजिक रुदियों का विवरण उपस्थित करने के बाद भारतीय संस्कृति के आधुनिक उत्पायकों—लोकगान्य तिलक, महामना मालबीय जी, कवींद्र, महर्षि रमण, योगिराज अरविंद, स्वामी शिवानंद, डॉ० राधाकृष्णन, तथा डॉ० भगवानदास के महत्वशाली व्यक्तियों का अंकन पाया जाता है। अंतिम दो अध्याय कमशः गांधीजी एवं सर्वधर्म-समन्वय पर हैं। जिनमें ‘सर्वधर्मसमन्वय’ शीर्षक परिच्छेद को समस्त ग्रंथ का निर्वहण या उपसंहार कहा जा सकता है।

यद्यपि ग्रंथ का नाम 'विश्व-धर्म दर्शन' है, तथा इस ग्रंथ में भारतीय धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्मों का भी विवेचन किया गया है, तथापि ग्रंथ का अधिकांश भारतीय संस्कृति तथा धर्म की कहानी से संबद्ध है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ को भारतीय संस्कृति तथा धर्म के विकास का एक धारावाहिक इतिहास भी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि यहाँ धर्म कभी भी विद्वेष का कारण नहीं रहा है। धर्म के विषय में भारतीय सदा सहिष्णु रहा है। यही कारण है, भारतीय संस्कृति को धर्म के नाम पर होने वाली उस नृशंसता ने कभी कलंकित नहीं किया है, जो ईसाई तथा इस्लामी धर्म के इतिहास में काले धब्बों के रूप में दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से भारतीय धर्म 'विश्व-धर्म' का आदर्श रूप कहा जा सकता है। आज जब भारतीय गणतंत्र ने अपने आपको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में न केवल सिद्धांततः अपितु व्यवहारतः भी प्रमाणित कर दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह आध्यात्मिक कर्तव्य है कि वह धार्मिक समन्वय-भावना का प्रचार-प्रसार विश्व के कोने कोने में करे। लेखक ने इस महान् यज्ञ में जो हाथ बँटाशा है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन के लिए विहार राष्ट्रभाषा-परिषद् का प्रयास भी सुल्य है।

—भोलाशंकर व्यास

समीक्षार्थ ग्राम

भारत के प्राचीन गणराज्य, भागीरथ दुबे 'गौतम', गौतम प्रकाशन इंदौर, मूल्य २)

साहित्य चितन, इलाचंद जोशी, अजंता प्रेस लि., पटना - ४, मूल्य ३॥)

सर्वोदय, गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, आहमदाबाद, मूल्य २॥)

खड़र काका क तरंग, श्री हरिस्मोहन भा, अजंता प्रेस लि०, पटना - ४, मूल्य ४)

गधे, हबीब तनबीर, आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली - ६, १)

चरित्र निर्माण की कहानियाँ, राजबहादुरसिंह, आत्माराम ऐंड संस दिल्ली - ६, १)

एक था राजा एक थी रानी, चिरंजीत, आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली - ६, १)

सूम का घड़ा, संतोष गार्गी, आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली—६, १)

नटखट के गीत, चिरंजीत, आत्माराम ऐंड संस दिल्ली—६, १)

उत्तर भारत की लोक कथाएँ—१ सावित्री देवी वर्मा आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली-६, १)

”	”	भाग २	”	”	”	१)
---	---	-------	---	---	---	----

”	”	भाग ३	”	”	”	१)
---	---	-------	---	---	---	----

प्राग्वाट इतिहास (भाग १) अरविंद बी० ए , श्री प्राग्वाट इतिहास प्रकाशन-समिति

राणी (मारवाड) २१)

बूढ़े बच्चे—रामचंद्र तिवारी तथा सिद्धि तिवारी, आत्माराम एँड संस, दिल्ली, १॥)

कथामंजरी-नागार्जन तिवारी, आत्माराम एँड संस, दिल्ली १)

ब्रज की लोक कथाएँ (१) आदर्श कुमारी यशगाल, आत्माराम एँड संस, दिल्ली १)

पंजाब की लोक कथाएँ, प्रीतम पंछी तथा बनजारा बेदी, आत्माराम एँड संस, दिल्ली १)

बंगाल की लोक कथाएँ, मन्मथनाथ गुप्त, आत्माराम एँड संस, दिल्ली १॥)

कुमुदावली, श्री० गो० प्र० कुमुदेश, चौधरी गढ़या आगामीर, लखनऊ, १॥)

कीर्तिलता और अवहृ भाषा, श्री शिवप्रसाद सिंह, साहित्य भवन लि० इलाहाबाद, ५)

निवेदन, तेजकरण बोथरा, धनराज अग्रवाल, हनुमान गेट, लाइनू०, बिना मूल्य

सूरदांसः एक विलेषण, विभिन्न, पन्निकेसंस डिवीजन, दिल्ली—८ ।=)

टीटो की कहानी, ब्लादिमीरदेवीयर, कैपिटल न्यूज एँड प्रीयर्स, २५ यार्कहोटल, नई दिल्ली ३॥)

छीत स्वामी, गो० श्री ब्रजभूषण शर्मा, विद्याविभाग, कांकरोली, २)

संत्रिंश्च के राही, रामगोपाल शर्मा, विनोद पुस्तक मंदिर, हास्पिटल रोड, आगरा, ॥)

देशवंदना, भगवती प्रसाद सिंह 'शूर' भगवती प्रसाद सिंह 'शूर', छपरा, ।)

अहिंसक समाजशाद की ओर—गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, २)

अवधी कौष, श्री रामाज्ञा द्विवेदी, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, इलाहाबाद, ७॥)

लोहा सिंह, श्री रामेश्वर सिंह काश्यप, ग्रंथमाला कार्यालय, पटना ४, १।)

सावित्री (खंड काव्य) श्री गौरीशंकर मिश्र „ „ १॥)

चिनगारी, पं० छबिनाथ पांडेय „ „ १॥)

अंतररागिनी, श्री चंद्रिका श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भाषा परिषद, देहली १।)

धार्मिक कथाओं के मौलिक अर्थ, श्रीत्रिवेणी प्रसादसिंह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, ३)

नीहारिकाएँ, डा० गोरखनाथ सिंह, „ „ ४।)

ग्रह नक्षत्र, श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह „ „ ४।)

राजकीय व्यय-प्रबंध, श्री गोरखनाथ सिंह „ „ १॥)

रबर, श्री फूलदेव सहाय वर्मा „ „ ४।)

गो सेवा, गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद १॥)

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष : ६० संवत् : २०१२ अंक : १



विविध

भारतीय पुरातत्व विवरण

भारतीय पुरातत्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, “इंडियन आर्केयलोजी १९५४-५५ (ए रिव्यू) ” गत वर्ष के समान इस वर्ष भी ठीक समय पर प्रकाशित हुई है। इसका एक हेतु जनता को अपने कार्य से सूचित करने का भी है। पर इसका मूल्य और प्राप्ति स्थान रिपोर्ट में नहीं लिखा है और प्राप्ति में कठिनाई होती है।

इस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं—

नवासा, जिला अहमद नगर—खुदाई में पाँच भिज-भिज कालों की सम्यता की वस्तुपैँ मिली है; (१) चड़े पत्थर-शब्द दो विभागों में, (२) उनसे क्षेत्रे नए पत्थर-शब्द दूसरे नए काल के, (३) आरंभिक इतिहास काल के, (४) रोमन-सातवाहन काल के, (५) आरंभिक मुस्लिम काल के। इन खुदाईयों में प्राप्त वस्तुओं से पता चलता है कि इन कालों में मनुष्य की सम्यता कैसी थी।

रुपड़, जिला अंबाला—यहाँ खुदाई पहले से जारी है। इस वर्ष कविस्तान की खुदाई हुई। रुपड़ से ५ मील दक्षिण में सलोड़ा तथा बाड़ा ग्रामों में खुदाई हुई। इनसे हड्डिया सम्यता के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ा।

रंगपुर, जिला भालावाह—यहाँ की नई खुदाई से हड्डिया सम्यता का संबंध उसके पीछे वाली सम्यता से प्रगट हुआ।

प्रकाश, जिला पश्चिम खानदेश—यहाँ की खुदाई से, (१) १००० ई० पू० के स्तर की, तथा (२) ५०० से १०० ई० पू० काल की, (३) १०० ई० पू० से ४०० ई० सन् तक के स्तर की, तथा (४) सन् ई० ५०० के बाद की सम्यताओं के इतिहासों पर प्रकाश पड़ा।

पुराना किला, नई दिल्ली—यहाँ की खुदाई से प्रगट हुआ कि यहाँ १०००ई० पूर्व में भी वस्ती थी जब तोंबा धातु का ही व्यवहार हो पाया था। सन् ६०० ई० पूर्व में लोहे का उपयोग आरी हो चुका था। मुद्राएँ, ठप्पेवाली और ढली, व्यवहार में आ चुकी थीं। फिर दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में यहाँ मथुरा का राज्य हुआ और प्रथम शताब्दी ई० में यहाँ यौवेयों का और दूसरी शताब्दी ई० में कुशन लोगों का राज्य हुआ। यहाँ की खुदाई अभी पूरी नहीं हो पाई है।

मथुरा में पुरातत्व-ज्ञान-वृद्धि की बहुत आशा है। इस साल एक छोटी-सी खुदाई ४२ फुट गहरी आरंभ हुई है जो ६०० ई० पूर्व से ६०० ई० तक के काल को दर्शाती है और अंत तक पूँचती है।

कौशांबी जिला इलाहाबाद—यहाँ खुदाई कई बर्षों से जारी है। इस साल की खुदाई में नई इमारतें, मुद्राएँ ढालने के साँचे तथा इस्ताब्दर या व्यक्ति-निह प्रगट करने की मुहरें, जिनमें नए-नए राजाओं के नाम मिलते हैं, बहुत संख्या में मिली हैं।

कुमराहर, जिला पटना (पुराना पाटलीपुत्र) —मौर्यकालीन राजसभाभवन की खुदाई फिर आगे बढ़ाई गई। इस प्रधान सभाभवन में कुल ८४ खंभे निकले। यह भवन द्वितीय शताब्दी ई० पूर्व में जला दिया गया था।

तामलुक (ताम्रलिति), जिला मेदिनीपुर—खुदाई से जान पड़ा कि यह नगर नवीन पाषाण युग से आधुनिक कालतक बराबर बना रहा है पर कभी कभी बीच में उड़ड़ भी जाता था। प्रथम-द्वितीय शताब्दी ई० में इसका रोम नगर से व्यवसाय-संबंध था।

नागार्जुन कोंडा—यहाँ अक्टूबर १९५४ से खुदाई तीव्रता से चल रही है। सात स्थानों पर खुदाई में विहारों के भग्नावशेष मिले हैं। एक बड़े मंदिर के भग्नावशेष और पदार्थ २००-५०० स० ई० के समय के मिले हैं।

सिरपुर, जिला रायपुर, म० प्र०—यहाँ खुदाई में दो बड़े विहार और बहुत से छोटे विहार मिले हैं। इनका समय सन् ६०० की आठवीं शताब्दी है। २०० वर्ष बौद्धों के यहाँ रहने के बाद शैवों ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। इस स्थान का त्याग ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ बहुत सा पुरातत्वोपयोगी सामान पाया गया है।

शिलालेख

इस विभाग में १७ ताम्रपत्र और १०० से अधिक शिलालेखों की नकलों को पढ़ा गया है जिनमें से कुछ प्रधान लेखों का वर्णन रिपोर्ट भी है। उनसे कोई बड़े महत्व की बात प्रगट नहीं होती। स्थानाभाव से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है।

कुछ महत्व की बातें

गुजरात की हड्ड्या और दूसरी आरंभ की बसियों के अध्ययन से यह सिद्धांत निकलता है कि हड्ड्या वाले समुद्र मार्ग से आकर नदी मुहानों के बंदरगाहों पर ठहरे और वहाँ से नदी के किनारे किनारे मीठर आकर किनारों पर ही बस गए ताकि उन्हें पानी की सुविधा रहे। सारनाथ, एलीफेटा, पश्चिमीय भारती गुफाएँ (कारला, नाजा और बेडसा), कन्देरी और बीजापुर के पिक्चर पोस्टफार्ड छुप चुके हैं और दूसरे छुपनेवाले हैं।

— पंड्या वैजनाथ



प्राप्ति के लिया

- १ - वेदों की विषय के लिये जागीर का उत्तम अवलोकन।
- २ - वेदों की विषय के लिये जागीर का उत्तम अवलोकन।
- ३ - वेदों की विषय के लिये जागीर का उत्तम अवलोकन।
- ४ - वेदों की विषय के लिये जागीर का उत्तम अवलोकन।

वेद सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

(८४)२२(८४)७५५१

लेखक

शीर्षक जागीरप्रचारणी पाठ्याला
रुपरेखा ६० रुपरेखा २ क्रम संख्या २५०१०